C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXVI, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)
No. 33, Monday, May 21, 2012/Vaisakha 31, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.621 to 624	3-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.625 to 640	35-82
Unstarred Question Nos.7131 to 7360	83-416

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **417-432**

MESSAGE FROM RAJYA SABHA **433**
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS **433**
(i)15th and 16th Reports
(ii)Statement **434**

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT TOURISM AND CULTURE **434**
179th and 180th Reports

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE **435**
51st and 52nd Reports

STATEMENT BY MINISTER
Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Defence.
Shri A.K. Antony **436**

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE **437**
Situation arising out of shortage of Drinking Water, in Jhunjhunu and Churu Districts of Rajasthan and steps taken by the Government in this regard
Shri Sis Ram Ola **437**
446-449

Shri Jairam Ramesh **438-445**
448-450

MOTION RE:THIRTY-NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **451**

GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED **451-452**

(i)Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2012 **451**

(ii)Universities for Research and Innovation Bill, 2012 **452**

SUBMISSION BY MEMBERS **460-463**

Re: Alleged irregularities in cricket organisations and need for auditing the accounts of those organisations

MATTERS UNDER RULE 377 **474-493**

(i) Need to provide air connectivity to western Odisha and also renovate and upgrade Jharsuguda airstrip in the State

Shri Hemanand Biswal 475

(ii) Need for construction of a ring road at Kottarakkara town in Mavelikkara Parliamentary constituency of Kerala

Shri Kodikunnil Suresh 476

(iii) Need to lift ban on visit of Pakistani Hindus, Sikhs and Sindhis in certain parts of Gujarat and Rajasthan and also provide Indian citizenship to people already living in Gujarat on long term visa

Shri Jagdish Thakor 477

(iv) Need to repair the stretch from KM. 33/8 to 36/8 of Sadras-Chengalpattu-Kanchipuram-Arakonam-Thirutani road in Tamil Nadu under Revamped Central Road Fund Scheme

Shri P. Viswanathan 478

(v) Need to constitute and set up Peppermint Board of India in Sultanpur, Uttar Pradesh

Dr. Sanjay Singh 479

(vi) Need to set up an Institute of Information Technology and Management at Nagpur, Maharashtra

Shri Vilas Muttemwar 480-481

(vii) Need to provide funds for conservation and preservation of historical Fort at Lohagarh in Bharatpur, Rajasthan.

Shri Rattan Singh 482

(viii) Need to expedite construction of school building of Jawahar Navodaya Vidyalaya in Amreli district, Gujarat and provide adequate facilities to teachers and students of the Vidyalaya

Shri Naranbhai Kachhadia 483

(ix) Need to provide financial assistance for construction of roads and bridges in Balaghat district, Madhya Pradesh

Shri K.D. Deshmukh 484

(x) Need to abolish imposition of TDS on transmission of natural gas to industrial units in Agra, Uttar Pradesh

Prof. Ramshankar 485

(xi) Need to set up a Mega Food Park in Meerut Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Rajendra Agarwal 486

(xii) Need to undertake implementation of social welfare schemes under Corporate Social Responsibility policy of Central Public Sector Undertakings in an equitable and unbiased manner

Shrimati Usha Verma 487

(xiii) Need to convert and doubling of railway line from Saharanpur to Meerut into broad gauge and augment railway facilities in Saharanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Jagdish Singh Rana 488-489

(xiv) Need to enact stringent laws to ban child labour in the country

Shri Kaushalendra Kumar 489

(xv) Need to review the decision to increase excise duty on clay bricks

Shri E.G. Sugavanam 490

(xvi) Need to set up the proposed National Chhau Dance Centre at Baripada in Mayurbhanj district, Odisha

Shri Laxman Tudu 491

(xvii) Need for maintenance of water flow and tackling water pollution in Ganga and Yamuna rivers

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 492

(xviii) Need to expedite completion of gauge conversion work by the Rangia - Murkongseleek railway line and run two new trains proposed between Kamakhya and Tezpur as well as Rangia and Tezpur in Assam

Shri Joseph Toppo 493

RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH DEVELOPMENT BILL , 2011 **494-540**

Motion to Consider 494

Shri Ajay Maken 494-496,
530-533

Shri Kirti Azad 497-503

Shri Ninong Ering 504-508

Shri Shailendra Kumar 509-511

Shri Ramashankar Rajbhar 512-515

Shri Arjun Roy 516-520

Shri R. Thamaraiselvan 521-522

Shri A. Sampath 523-526

Shri Lalu Prasad 527-529

Clauses 2 to 46 and 1 534-540

Motion to Pass 540

DISCUSSION UNDER RULE 193

Centre-State relations 541-567

Shri Basu Deb Acharia 541-554

Shri Manish Tewari 555-561

Shri Ananth Kumar 562-567

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Agricultural profession 569-584

Shri Arjun Ram Meghwal 569-572

Shri Shailendra Kumar 573-574

Shri Jagdish Sharma 574-575

Shri K.D. Deshmukh 575

Shri Prabodh Panda 576

Shri Harish Rawat 578-584

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 606

Member-wise Index to Unstarred Questions 607-611

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 612

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 613-614

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, May 21, 2012/Vaisakha 31, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Now, we will take up the Question Hour. Q. No. 621, Shri Bhisma Shanker.

… (*Interruptions*)

SHRI ANAND PRAKASH PARANJPE (KALYAN): Madam, there is the issue of strike by Air India pilots. … (*Interruptions*) The Government is not ready to talk with the pilots. … (*Interruptions*) The Government is talking with the Maoists; the Government is talking with the terrorists; but it is not ready to talk with the pilots who are on strike. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। ऐसा नहीं करते हैं।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना सवाल पूछिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : भीष्म शंकर कौशल तिवारी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठिए। यह क्या हो रहा है, यह क्या कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, एयर इंडिया स्ट्राइक की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं?

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER**:**Q. No.621**,**Shri Bhisma Shankar.

(Q. 621)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : महोदया, मानव अधिकार और विषाक्त अपशिष्ट पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के द्वारा एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए दुनिया भर में चिकित्सा अपशिष्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका खतरा लाखों लोगों के लिए बन गया है। इससे पर्यावरण भी डिस्टर्ब हो रहा है। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत विश्व के देशों का कूड़ाघर बनता जा रहा है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। विश्व के उन्नत देश जो सबसे ज्यादा संसाधनों की खपत करते हैं, वे अपने यहां के कूड़े को भारत जैसे प्रगतिशील देशों में भेज रहे हैं तथा हमारे देश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

महोदया, यह बहुत ही गंभीर विषय है, इससे वातावरण और जलवायू दूषित हो रही है। यहां तक कि यहां की मिट्‌टी भी दूषित हो रही है। आज जब सारे देश वातावरण को शुद्ध रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देश बाहर का कूड़ा अपने यहां इम्पोर्ट कर रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मेडिकल वेस्टेज अपशिष्ट को रोकने के लिए जो मौजूदा कदम हैं, वह नाकाफी पाये गये हैं। अतएवः क्या सरकार इन नियमों में कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रही है अथवा नहीं और ऐसी संस्थाएं जो यह कचरा भारत में आयात कर रही हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Madam, I want to state categorically to the House, through you, that we do not allow hazardous waste or medical waste to be imported into this country.

We formed a team consisting of members including the customs authorities of other Ministries, and we announced very specific rules that ban import of any kind of hazardous waste, particularly, bio-medical waste into this country. It is not permitted according to Rule 13 of The Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules. The port and customs authorities are the designated authorities to verify the documents and to inform the Ministry of any illegal traffic, and to carry out random sampling and inspection of the consignments received in the ports. In case, we come across any illegal import, then these are immediately confiscated; the importer is directed to re-export those items; and the importer is also liable to fine and

punishment. So, by no means will we allow India to become a dumping ground of medical or of any other waste.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर और मंचों पर भारत सरकार ने कोई कदम उठाकर ऐसे देशों से कोई बातचीत की है जिनके यहाँ से अपशिष्ट हमारे यहाँ आयात हो रहा है, या ऐसे मामले में वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की है? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे मामलों में कोई रिसर्च स्टडी हुई है या नहीं जिसमें इस प्रकार के अपशिष्ट से जो नुकसान हो रहा है, उसका आकलन किया गया हो, तथा उस स्टडी का क्या नतीजा निकला और उस पर सरकार क्या निर्णय ले रही है?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, there is a Basel Convention which deals with these issues to which India is a signatory. It deals with the entire issue of hazardous wastes. Apart from that, Madam, there is absolutely no question and in the answer itself, I have pointed out that there were five cases of attempted import of medical wastes into the country. In 2009-10, from Malaysia, things like latex, gloves and lumps; in 2010-11 from Germany, pet bottles scrap with bio-medical wastes; in 2011, there were two cases from the United States of used medical equipments like dialysis disposable, urine catheter, medicines for personal use which shall expire up to 30.04.2012; and supplies like syringes and so on from United States. All these things, Madam, have actually been seized and they have been directed to be re-exported and action will be taken against the importers.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : माननीय मंत्री जी जो बयान दे रही हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका प्रश्न हो गया है। Nothing will go on record. यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप प्रश्न पूछ चुके हैं।

(Interruptions) … *

श्री राम सुन्दर दास : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह वेस्टेज अमेरिका और यूरोप के देशों से आया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब यह नियम विरुद्ध है, इस पर प्रतिबंध है तो सरकार को कब मालूम हुआ, और इस पर निश्चित रूप से कौन सी कार्रवाई की गई?

* Not recorded.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We come to know about this, Madam, when the customs authorities have actually seized it. And very often, Madam, we have joint meetings along with the authorities of the customs and with other officers. I have notified this in the Committee. They themselves know how to deal with it and from time to time when there are changes in the rules. We notify them and all the customs authorities, all the authorities at the borders and airports are very well sensitized to the rules. So, those are the steps that we have taken.

As regards wrongful import goods which are seized, action is initiated according to the law by the proper authorities. So, whatever steps which need to be taken are taken and we are extremely vigilant to see that bio-medical waste is not allowed to enter this country illegally. Action is that there is a fine of Rs. 5 lakh or imprisonment.

SHRI MANICKA TAGORE : Madam, through you, I would like to ask a question. The hon. Minister has replied that in the ports and others, it will be stopped by the customs department. After that also, the bio-medical waste is entering into India. We do not want to go into that picture where it enters, how it enters and all these kinds of things because she has replied that the customs looks after that process. But I would like say is that only four cases are identified by the customs. There are many cases across India in small hospitals and medical shops where those kinds of things are used because it is cheap in cost. I would like to say a proverb in our area which says that if a cat closes its eyes and it will think that it has become dark and night. So, we cannot run away from the responsibility that if it is not entering into the ports, there is nothing that only four things have entered into India. There are many cases across India. Through you, what I would like to ask the hon. Minister is that, is there any mechanism or is there any toll free number or anything that if anyone has any grievances in the small town from where I come from, as I am unable to see that I can register a complaint that this kind of things are available and these have been sold.

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI MANICKA TAGORE : I am coming to that only. Then, they can come into picture, seize those things and stop those kinds of things and create email ids and others which can be popularized to the people to register the complaint first.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I think, the hon. Member is actually talking about entirely different issues. The question was about the import of biomedical wastes and the answer was about the import. The hon. Member wants to know about the generation. There is no question of any cat closing its eyes. I do not really know what he is trying to say by that. The fact is that biomedical waste is generated within the country and outside the country. This question relates to biomedical wastes which are imported. I have said that it is not imported. Therefore, that question stands answered. If the hon. Member has a question about the biomedical waste being generated within the country and how it is disposed of, I am happy to answer that. The State Pollution Control Boards are in-charge of it. Should I answer this Madam?

MADAM SPEAKER: Do you think that it is outside the scope of the question?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is totally outside the scope of the question.

MADAM SPEAKER: You call him to your office and you can explain it.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Certainly. The only thing I wish to add with your permission, is that it is widely publicized. It is all over the website. Anybody who actually wants to contact the State Pollution Control Board can easily do it, if they wish to do so.

SHRI JANARDHANA SWAMY :Madam, in September 2009, customs at Tuticorin Port detained containers with hazardous waste weighing about 195 metric tonnes from Spain, Malaysia and Saudi Arabia. One of the containers imported from Malaysia had around 20 metric tonnes of hazardous medical waste.

Every year, dangerous waste reaches India from various countries including Saudi Arabia, Malaysia, Barcelona, Greece and various parts of UK and United States. Do we know why those countries love to ship their garbage into India? According to one of the reports published recently, this is because shipping their waste to India is about four times cheaper than recycling it in their own countries. Probably, it is even more economically attractive to ship the medical waste because recycling of medical waste is even more costly in their countries. So, it is all about money. The real problem is, our own Ministry of Environment and Forests legally allows the import of hazardous waste into India, all in the name of reprocessing. In fact, we have recently given a licence to one of the reprocessing industries in Roorkee. The question is, when we are not able to manage the waste generated within India, which is expected to rise significantly in the coming days, why are we allowing the import of hazardous waste from outside? Why is the Government, which is presently incapable of providing doctors to our own hospitals, is inviting waste that will cause serious environmental and health issues for our own people?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I do not actually understand the question that the hon. Member wants to ask. We are not allowing import of wastes. There are certain cases where illegal import of non-bio-degradable items has been caught, maybe from USA to Kochi in the name of brown-mix waste paper. The customs authorities found out that it actually contained totally prohibited things as waste plastics, used gloves, PVC packing and also even municipal solid waste. They do attempt to export it to India. … (*Interruptions*)

SHRI JANARDHANA SWAMY : The website is very clear. We are allowing the import of waste … hazardous waste in the name of processing ….(*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: There are rules. I have got the rules here. In the name of recycling, only certain categories are allowed. These are totally prohibitive. … (*Interruptions*)

SHRI JANARDHANA SWAMY :They include even hazardous wastes. … (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The Member is wrongly informed. I would like to assure the House that hazardous waste is not there.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह सब आपकी वेबसाइट पर है। यह सब आपने वेबसाइट पर डाला हुआ है।

श्रीमती जयंती नटराजन : आप सुन लीजिए। मैं लिस्ट पढ़ रही हूं। Some hazardous waste is allowed with prior and informed consent. I can read out the list of hazardous wastes applicable for import and export without informed consent. They include metal and metal bearing wastes, chromium scrap, clean uncontaminated metal scrap including alloys, wastes of selenium, waste of copper. These are without prior informed consent. There is some waste which is totally prohibited and there is some waste which is allowed with informed consent based upon the Basel Convention and those are only metal and metal bearing wastes, assemblies which have a shelf life of eight to ten years and certain categories. … (*Interruptions*) Only for the purpose of recycling. Please understand. … (*Interruptions*) If you permit me, I will explain.

For example, e-waste is something which is hazardous which we do not want to import. Suppose we get used computers, suppose we get multi-function devises, for example which are electronic waste in other terms. Suppose they have a shelf life of ten years and those are allowed to be imported into the country and students are allowed to make zerox copies for one rupee or fifty paise a copy, instead of a new machine being imported, which will make the cost of one sheet of zerox fifty rupees or thirty rupees which makes it quite prohibitive. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : No, no, no. This is not proper logic. … (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am just bringing to the notice of the House that these are the rules which we have notified. We are constantly

reviewing them. If you have concerns, if you feel that these will continue to be of tremendous danger to the environment, we will review the rules. I have a completely open mind. I do not have any issue about it. We will review it. I am only sharing the existing situation with the hon. Members. … (*Interruptions*) We are constantly reviewing it. As and when we receive representations, we will review it.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH : Madam, a lot of medical wastage is imported from all over the world. India is a fast-developing country. There are some countries which feel happy as well as there are some countries who feel envious also. In this situation I would like to put a question to the hon. Minister. We are importing medical wastage. I would like to know whether the Government has any plan to make sure that disease-spreading items are not mixed with the medical wastage imported.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We are not importing medical wastage, Madam.

MADAM SPEAKER : Question No.622, Shri Inderjit Singh Rao-Not present.

Dr. Mehboob Beg.

(Q. 622)

DR. MIRZA MEHBOOB BEG : Madam, the Defence Act came into being as early as in 1903. Guidelines have been issued by the Department from time to time and the latest guidelines were issued on 18th May 2011. To each part of the question the answer says that there is no plan to reduce the radius or relocate the ammunition depots.

Madam, I talk about a place called Khundru in South Kashmir, which is Anantnag. We have a huge defence installation and a huge ammunition depot. Way back in 2005 and 2006, something happened within the premises, there was a big blast, and the entire vicinity surrounding that area got affected. When we visited those places we saw that all kinds of ammunition from the ammunition depot had flown into nearby residential areas causing huge damage. As many as sixty per cent of the neighbouring population had to leave their places and migrate to safer places. We were told that the Defence Ministry will have a look at it and would try to re-locate it so that the people who are living nearby or in the neighbourhood of the Ammunition Depot would feel safe. But the answer says that there is no plan at all.

Even now, many days after the incident had happened there, when people went to the paddy fields to do their normal farming, something happened and we got many casualties. I would like to know from the Defence Ministry – the Ammunition Depot I am talking about is at Khundru, Anantnag – whether there is any plan and whether the Government would send a special team to the area, to have a look at it and try to do whatever it thinks fit.

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam Speaker, the original Question related to Gurgaon where the Air Force Ammunition Depot is there. But the hon. Member has asked a question about a totally different area where an unfortunate incident did take place. But we would definitely look at the situation; I am sure, after the incident, everything must have been reviewed and adequate precautions must have taken. Whatever compensation is to be given, I am sure, it is under process. But we will definitely take a look at it.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्षा जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गोला-बारूद भण्डारण के आसपास बस्तियों के होने से आये दिन घटनाएं होती रही हैं, चाहे वे विस्फोट के रूप में हुई हों या अन्य किन्हीं कारणों से हुई हों, जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है, जो हम लोगों के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। वहां भी पिछले वर्ष इस तरह की घटनाएं हुई हैं और माननीय मंत्री जी से यह पूछा गया है कि क्या गुड़गांव या देश के अन्यत्र स्थानों में ऐसे जो भण्डार हैं, उनके आसपास जो बस्तियां अनधिकृत रूप से बस रही हैं, उनमें आये दिन, चाहे अभ्यास के रूप में हों, चाहे गोला-बारूद चलाने के अभ्यास के रूप में हों, घटनाएं तो होती ही रहती हैं, इन्हें रोकने के लिए आपने जो उत्तर दिया है कि इसमें हमने 100 मीटर से 900 मीटर तक प्रतिबन्ध लगाने की 2007 में व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद अनधिकृत बस्तियां बस रही हैं। उनको हटाने के लिए गुड़गांव सहित देश के अन्यत्र स्थलों पर, उसमें इलाहाबाद भी आता है, जहां पर गोला-बारूद भण्डारण है, जहां अनधिकृत बस्तियां बस रही हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्हें हटाने के लिए क्या कोई त्वरित योजना बनाकर आये दिन जो इस तरह के संकट हैं, उन्हें रोकने का कोई उपाय करेंगे?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: The Works of Defence Act prohibits constructions and activities around the defence establishments, especially critical establishments like ammunition depots and firing ranges. This range of 100-900 metres specifically refers to the installations around the air-fields related to Air Force. But as far as ammunition depots are concerned, there are very clear guidelines about what should be the restriction from the outer-parameter, which ranges from 500-1000-2000 metres, because otherwise the capacity holding of the magazine or the ammunition depot gets reduced, if that buffer is not available for the safety distances. Otherwise, in the case of any unfortunate incident, the public gets affected. What has been happening over a period of time is that that minimum buffer zone is getting compromised

because of encroachments and people moving into those areas. They are constantly being warned by the defence authorities and also the local administration. But people tend to overlook these things, at times, and they overlook the safety factor. However, in some cases, there have been very strict instructions to maintain the minimum distance required. We do take precautions. If there is more cooperation from the public representatives and the local administration, these parameters could be very strictly enforced.

SHRI ANAND PRAKASH PARANJPE : Thank you, Madam Speaker. In answer to part (e) of the Question, the hon. Minister mentioned about removal of unauthorized constructions. In Mumbai's Thane District, a lot of land belonging to the military had been encroached upon by the illegal hutments. In the State of Maharashtra, pre-1995 hutments had been legalized by the State Government. My question to the hon. Minister is this.

MADAM SPEAKER: Since the hon, Member Shri Paranjpe is asking question, Kirti Azad ji it would have been better if you had taken a back seat. You should not cross the floor in front of the Member who is speaking.

SHRI ANAND PRAKASH PARANJPE : UPA-1 and UPA-2 had launched flagship schemes like BSUP and Rajiv Gandhi Awas Yojana for giving homes to the people living in these illegal or unauthorized colonies. In Mumbai or Thane district if the local self-bodies and the State Government come up with a proposal for implementation of Rajiv Gandhi Awas Yojana where the poor people will get homes, will the Minister give NOC for such proposals which come from the Government of Maharashtra?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Madam, Speaker the Question is regarding the Works of Defence Act related matters whereas the hon. Member is asking about encroachments on Defence land. I think he is particularly alluding to Mumbai. In general, if I can give a reply, the Ministry and the Government are taking all steps to preserve the Defence lands wherever encroachments have already taken place. We are taking steps to recover that land. Right now we are in the process of identifying all our land, re-surveying all our land and all the records pertaining to Defence land have been computerized. We are taking

further steps to ensure that no further encroachment takes place. As regards the land that has already been encroached upon, we will take measures to recover it or we will look at local solutions.

(Q. 623)

श्रीमती ज्योति धुर्वे : अध्यक्ष महोदया, पिछली पंचवर्षीय योजना में यूपीए की सरकार ने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप प्लान में स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई के लिए पिछड़े और निचले जिलों को चिन्हित किया था। लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े उन्होंने दिखाये हैं, मुझे लगता है कि यह केवल कागजों में ही दिखायी पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदया, आज भी यदि हम रोजगार की वृद्धि के अवसर को देखें तो आपने मनरेगा को गांव में रोजगार के उद्देश्य से लागू किया है। यदि हम स्किल डेवलपमेंट, आईटीआई और पॉलीटेक्निक के इन बच्चों को देखें तो प्रतिवर्ष एक लाख बच्चे आज भी उस गरीब अंचलों से, उन पिछड़े जिलों से, उन पिछड़े प्रदेशों से निकलकर आते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आज भी उन अंचलों में, उस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें वे सारी सुविधायें सरकार ने आज भी उपलब्ध नहीं करायी हैं और इसका दोष उन बेरोजगारों तथा उन युवाओं तक धकेल दिया जाता है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए अन्यायपूर्ण कार्य होगा। आज यदि रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर हम देखें तो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग हैं, जहां हम हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। यदि सबसे बड़ा हमारा रोजगार है तो भारत में यही एक रोजगार है जो इस रूप से हम उन बच्चों को उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पॉलिटेक्निक से निकलने वाले बच्चों को छोटे-छोटे कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से हम रोजगार दे सकते हैं। हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। आज भारत बहुत ही पिछड़ चुका है और शायद खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और इन पिछड़े जिलों में आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार दिए हैं, यदि हां, तो कितने दिए हैं, कहां दिए हैं, किन प्रदेशों को दिए हैं, कौन सा प्रदेश सबसे आगे है और कौन सा प्रदेश सबसे पीछे है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अध्यक्ष महोदया, जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है। Whether the Government has any well defined policy for providing adequate employment both for the professionally qualified and for others alike. इसलिए मैंने यह उत्तर दिया था और यह उत्तर हमने नहीं तैयार किया है। यह उत्तर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेशन ने जो डेटा फीड किया है मैंने वही उत्तर दिया है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) …[*]

अध्यक्ष महोदया : कृपया इन्हें जवाब तो समाप्त करने दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : वर्ष 2004-05 में इम्प्लायमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स 17.31 मिलियन थे। वर्ष 2009-10 में 30.11 मिलियन थे।…(व्यवधान) प्रोफेशनल इम्प्लायमेंट में 74 परसेंट इन्क्रिज हुआ है। अन्य और स्कील टुगेदर 459 मिलियन से 465 मिलियन वर्ष 2009-10 में यानी उसमें केवल 1.4 परसेन्ट इन्क्रिज हुआ है। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …**

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आप आईटीआई की जो बात कर रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं, और खास कर जो नम्बर ऑफ आईटीआईज सिन्स इन्सेपशन,_वर्ष 2007-08 तक 6079 थे और आज सिर्फ चार-पांच साल में आईटीआईज बढ़कर 9447 हो गए हैं। सिर्फ चार साल में इतने आईटीटाईज बढ़े हैं। पहले इनकी कैपेसिटी 8.29 लाख थी आज ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ कर 13.35 लाख हम ने की है। इसका मतलब है कि पिछले वर्षों की तुलना में आज कम से कम पांच लाख ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके अलावा जो आईटीआईज थे। …(व्यवधान) आईटीआई में कितने लोगों को काम मिला, कहां काम मिला यह डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।…(व्यवधान) मैं प्रोवाइड करा कर उनको भेज दूंगा …(व्यवधान) यह क्वैश्चन केवल आईटीआई से कंसर्न्ड नहीं था। अगर आपको वे फीगर्स चाहिए तो मेरे पास जितने अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वह दे दूंगा। बाकी एनएसएसओ या स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से मैं मंगा कर और कोशिश करके दूंगा। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : धन्यवाद अध्यक्षा जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। शायद वह उत्तर देना चाहते तो जो कम से कम स्कील डेवलपमेंट के लिए, पंचवर्षीय योजना में कितना फंड दिया है वही बता देते तो मुझे लगता कि उनके पास में कुछ आंकड़े सही हैं।

दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लगातार लंबे समय से उन लोगों के लिए चला रही है जो आज बीपीएल में हैं और उन्हें बीपीएल से एपीएल में लाना है। पीएमईजीपी, स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना उन्होंने चालू की है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू की है। इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को छोड़ कर चाहे स्वर्ण ज्यंती शहरी रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन

[*] Not recorded.

योजना हो या स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो इनका प्रमुख लक्ष्य है कि जो परिवार, जो व्यक्ति बीपीएल में आता है उसे योजना के माध्यम से एपीएल की ओर लाना है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि पिछले तीन वर्षों में वे ऐसे कितने लोगों को बीपीएल से एपीएल में लाए हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी की बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अध्यक्ष महोदया, बीपीएल से कितने लोग एपीएल में आए, ये आंकड़े हमारे पास नहीं मिलते। इसे प्लानिंग डिपार्टमैंट करता है। मुझे रूरल डैवलपमैंट के आंकड़े मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर इम्प्लॉयमैंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना, महात्मा गांधी नैशनल रूरल इम्प्लॉयमैंट जनरेशन स्कीम और स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 का फिजिकल और फाइनैंशियल टारगैट क्या है, मैं उसकी डिटेल्स अभी बता देता हूं। पहली स्कीम में वर्ष 2008-09 में 2.55 लाख इम्प्लॉयमैंट दिए गए, खासकर फरवरी 2011-12 तक वे 3.57 लाख हुए। इसी तरह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना में कम से कम 2,238 करोड़ रुपये 2008-09 में, 2,230 करोड़ रुपये 2009-10 में और 2010-11 में 2,665 करोड़ रुपये हैं।...(व्यवधान) आपको फाइनैंशियल टारगैट मालूम है, मैं फिजिकल टारगैट बताना चाहता हूं - 18.62 लाख, 21 लाख और 11.63 लाख बाकी जितने भी आंकड़े हैं, मैं उनकी डिटेल्स की कॉपी माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि ट्वैल्थ फाइव ईयर प्लान में आईटीआई के लिए कितना पैसा रखा गया? स्किल्ड डैवलपमैंट के लिए 1500 आईटीआईज़ खोले जायेंगे और स्किल्ड डैवलपमैंट के लिए 5205 करोड़ रुपये रखे गए हैं। हर साल एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने का हमारा इरादा है। हम बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड डैवलपमैंट और आईटीआईज को प्रोत्साहित करेंगे।

श्री नारनभाई कछाड़िया : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है और मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। मंत्री जी थोड़ा घबरा गए हैं।

महोदया, आज हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा बहुत महंगी है फिर भी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए किसी तरह लोन लेकर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दिलाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा होते हुए भी आज लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप कोई नौकरी नहीं मिलती, विशेषकर नक्सल प्रभावित राज्य जैसे झारखंड, ओड़िसा, पूर्वी राज्य। मध्य प्रदेश के पढ़े-लिखे बच्चों को भी जब रोजगार नहीं मिलता तब वे नक्सलियों के साथ जुड़ जाते हैं और नक्सलवादी बन जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के लिए खास पैकेज देने की कोई योजना बनायी है? अगर कोई योजना बनायी है, तो कितने लोगों के लिए नौकरी का प्रबंध किया गया है? अगर कोई योजना नहीं बनायी, तो उसे बनाने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरी इन बातों का जवाब दें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अध्यक्ष महोदया, नक्सल प्रभावित एरियाज में स्किल्ड डेवलपमैंट को फोकस करने के लिए हमने 34 डिस्ट्रिक्ट्स आईडेंटिफाई किए हैं और इसके लिए 233 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है। इस योजना को हम उन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वहां की स्टेट गवर्नमैंट लैंड और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आगे आयेगी, तो यह स्कीम वहां भी इम्प्लीमैंट होगी।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि यह प्रश्न है या उत्तर है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर ठीक ही है, लेकिन बड़ी मुश्किल है कि आप उसे समझना नहीं चाहते। ...(व्यवधान) 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इस योजना को इम्प्लीमैंट कर रहे हैं।...(व्यवधान) ऐसी योजना उनके लिए बना रहे हैं ताकि उन्हें इम्प्लायमैंट मिले और वह नौकरी प्राप्त कर सके। अगर उन्हें किसी फैक्ट्री में काम करना है, तो उनके पास कोई न कोई स्किल होना चाहिए। स्किल्ड डेवलपमैंट का यह पहला स्टेप है जिसे हम कर रहे हैं। हम दूसरी जगह भी इसी ढंग से करेंगे।

श्री जगदीश ठाकोर : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि बेरोजगारों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में तीन-चार तरह से नौजवान बेरोजगार हैं, जैसे पढ़े-लिखे नौजवान, हॉयर एजुकेशन प्राप्त नौजवान, देहातों में रहने वाले अनपढ़ नौजवान आदि। स्टेट गवर्नमैंट हो या सैंट्रल गवर्नमैंट, सभी विभाग की नौकरियां जो उनके विभाग से बाहर पड़ती हैं, उन सबमें ऑन लाइन एप्लीकेशन्स को इन्वाइट करने का सिस्टम बना हुआ है। मैं अपने क्षेत्र पाटन की अगर बात बताऊं, तो मेरे वहां 1300 गांवों में से 700 गांवों में कहीं पर कोई कम्प्यूटर नहीं है। अब ऑन लाइन सिस्टम हो गया है। पहले बेरोजगार नौजवान किसी पोस्ट के लिए कहीं भी एप्लीकेशन पोस्ट द्वारा भेज सकता था, लेकिन वह सिस्टम बंद कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पुराने सिस्टम, यानी पोस्टेज द्वारा आई एप्लीकेशन्स को भी स्वीकर करेंगे? ऑन लाइन भी एप्लीकेशन्स आये। इस सुझाव को क्या वह मानने के लिए तैयार हैं? दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि इम्प्लायमैंट एक्सचेंज हर जिले में है। वहां पर बेरोजगार नौजवान अपना नाम दर्ज करवाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं होती हैं। उन ग्राम सभाओं में पायलट प्रौजेक्ट के नाम पर हम कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते

हैं कि हर एक स्टेट में, एक जिले की ग्राम पंचायत से अगर बेरोजगार युवक का नाम आयेगा तो हमें सही पता चलेगा। बाकी जो सर्वे वाली या दूसरी बातें हैं, बीपीएल जैसी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीश ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विनती करता हूं कि यह बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए यदि आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाने की इजाजत दें, तो मैं आपका आभारी होऊंगा।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न पूछा, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पहले अगर इम्प्लायमैंट एक्सचेंज में डायरेक्ट एप्लीकेशन देते थे, तो उसे नोट किया जाता था, लेकिन आज ई-गवर्नैंस की वजह से उन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि विलेज में कम्प्यूटर की व्यवस्था न होने की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाते। उनकी जो सलाह है, वह मैं रिएग्जामिन करता हूं और हमारे डिपार्टमेंट में इसको डिस्कस करके इसके बारे में उनको बताऊंगा।

दूसरी चीज यह है कि हम नेशनल इम्प्लायमेंट पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और अब कम से कम 34 विभागों से हमने कंसल्ट किया है। मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द इसको सरकार कंसीडर करेगी और अगर यह नेशनल इम्प्लायमेंट पॉलिसी बन गयी, तो इसमें सारे चीजें आएंगी - मैन्यूफैक्चरिंग साइड में क्या होगा, एग्रीकल्चर साइड में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्टक्चर आदि सारी चीजें इसमें जाएंगी। इसलिए हमको इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी नेशनल इम्प्लायमेंट पॉलिसी आ जाए।

श्री तूफ़ानी सरोज : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

देश को आजाद हुए कम से कम छः दशक से ज्यादा समय हो गया है और यूपीए सरकार अपना तीसरा वर्ष बीतने का जश्न मना रही है। इसी सदन में यूपीए सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए योजना बनाने का वायदा किया था, लेकिन बेरोजगारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। पढ़े-लिखे, शिक्षित अकुशल लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेन्ड, व्यावसायिक रूप से योग्य तमाम लोग भी नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। तमाम डाक्टर और इंजीनियर भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। पहले व्यावसायिक रूप से योग्य लोग विदेशों में नौकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मंदी के कारण उनके लिए वहां जाना भी मुश्किल हो गया है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने व्यावसायिक रूप से योग्य बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणीवार गणना कराई है? यदि हां, उन लोगों की संख्या क्या है और उनको रोजगार देने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: एग्रीकल्चर लेबरर्स की जो भी इनफार्मेशन है, उनके बारे में मैंने अभी बताया है कि अनस्किल्ड लोगों में वे आते हैं और उनके लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं और जो चार योजनाएं मैंने अभी आपके सामने बताई हैं, उनमें से किसी का भी लाभ वे उठा सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री तूफ़ानी सरोज : जो लोग व्यावसायिक रूप से योग्य हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया है, अब जवाब सुनिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: महोदया, स्किल्ड और कुशल कार्मिक को जिस जगह रोजगार मिलना है, उसके लिए उनको उसी ढंग से ट्रेनिंग देना, तैयारी करना आदि काम हमारे विभाग का है और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी इम्प्लायमेंट जेनरेशन की जो स्कीम्स हैं, मोस्टली प्लानिंग डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैयार करते हैं, उस ढंग से वहां पर उनको इम्प्लायमेंट मिलता है, मैन्यूफैक्चर सेक्टर में होता है, हाउसिंग सेक्टर में होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है। ...(व्यवधान) इन सारी योजनाओं के अनुसार उनको काम मिलता है और उस काम के लिए उनको हमें जो कुछ भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं।

(Q.624)

श्री अर्जुन राय : महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह आधा-अधूरा और सत्य से परे है। मैं बताना चाहता हूं कि जंगल कानून, वनाधिकार कानून और कई समितियां बनाने के बावजूद जंगल घट रहे हैं। आजादी के बाद से जंगल देश में इस रफ्तार से घट रहे हैं कि अभी कुल भूभाग का मात्र 20 प्रतिशत भूभाग पर ही जंगल है। आजादी के बाद 42000 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक जंगल कट गए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हाल ही में प्रकाशित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दो वर्षों में 367 स्क्वायर किलोमीटर जंगल की कटाई हो गयी। अकेले आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों में नौ महीनों में 180 किलोमीटर जंगल काट दिये गये। सरकारी सर्वे के मुताबिक जंगलों में जो कमी आई, नक्सलियों के माथे इसका ठीकरा फोड़ने का काम सरकार ने किया, लेकिन सच बात यह है कि जिन 12 राज्यों में जंगल की अधिक कटाई हुई, वहां नक्सली न के बराबर हैं और अगर हैं भी, तो अल्पमात्र हैं। एक तरफ विकास के लिए जंगल काटने के लिए सरकार मजबूर हुई, लेकिन दूसरी तरफ जंगल लगाने के लिए सरकारी प्रावधान भी है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फण्ड एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी फंड लगभग एक दशक से कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष महोदया : आप सवाल पर आइये।

श्री अर्जुन राय : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों से यह फंड काम कर रहा है और सरकार कहती है, इनके इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं कि कम्पा के माध्यम से, 11,000 करोड़ रुपये से हमने, एनजीओज के माध्यम से, 0.33 प्रतिशत फोरेस्टेशन किया है। दूसरी ओर सरकार के इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं कि 500 स्वैच्छिक एजेंसीज कम्पा के पैसे लेकर चम्पत हो गयी। सबसे बड़ा सवाल मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एनजीओज के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये आपने लुटवा दिये। कम्पा के पैसे लेकर 500 वोलन्टियर एजेंसीज चम्पत हो गयीं। मैं सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि इन तमाम बातों का मतलब है कि जो आपका वन-संरक्षण का कानून है वह फैल है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वन-प्रबंधन में परिवर्तन, सुधारात्मक प्रस्ताव या ऐसा संशोधित कानून लाए जिसमें वन के मूल वासी जो आदिवासी और जनजाति हैं, उनकी भूमिका उसमें प्रमुख रूप से हो। मैं केवल यही जानना चाहता हूं।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The hon. Member has talked about the CAG Report and that some NGOs have got some money. According to the Report by the Forest Survey of India, which was released by my Ministry, there has been a marginal decrease in afforestation for reasons which he himself has mentioned.

I would like to point out that the specific Question raised by the hon. Member is about the extent of participation of local administration – I am reading his Question – in the management of forest land at present; (b) Whether suggestions have been received from various quarters to empower gram sabhas, village councils and panchayats in the management of forest projects; and other steps taken or being taken by the Government to ensure meaningful participation of the local people in the management of the forest land. So, there is no connection between what he has said just now and the main Question

However, I want to assure the hon. Member that no afforestation funds are given to NGOs at all. No funds are given. We have taken a very strict view that Compensatory Afforestation Funds must be used only for afforestation. I personally take a very strict view that even infrastructure – like buying jeeps or computers for forest personnel, who are posted at very remote outposts – has to be strictly governed and be cleared at the highest level.

We have got Rs. 25,000 crore under the CAMPA Fund. We have actually requested the Comptroller and Auditor General of India to come and audit it because we do not want to be sitting on this large amount of money. However, there is a Supreme Court order. According to that order, it has to be kept in the nationalised banks. The Comptroller and Auditor General has said that he will not be able to audit anything which is not in the Consolidated Fund of India. Therefore, we are asking him to help us to audit these funds and make sure that every rupee goes back towards the replanting of trees.

Actually the Question raised by the hon. Member – not what he has said just now, but his main Question – is an excellent example of what steps that have been taken over several years now. The participation of local bodies in the

management of forests is a success story. We have Joint Forest Management Committees. … (*Interruptions*) I do not understand.

MADAM SPEAKER: Madam, you please continue.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The Joint Forest Management Committees are a success story in all the States. … (*Interruptions*)

Madam, I am sorry, I beg to disagree. Of course, when he will ask the question, I will answer. I will show him the success stories. There are over 1,60,000 Joint Forest Management Committees (JFMCs).

Madam, the fact of the matter is we want in principle local people who live in the forests to be completely involved in the management of those forests. Madam, tribals who are living over there and the local people who have a right over the forest land that is why I am saying that it should not be only of Government's. So, this is a pioneering and innovative step by which the local communities are totally involved in the management of our forests over their rights. This, I believe, is a success story of this Government. Therefore, Madam, I can give other details as and when the hon. Member asks for it.

श्री अर्जुन राय : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने किसी भी एनजीओ को वृक्षारोपण के लिए और वन लगाने के लिए पैसा नहीं दिया। मैं इनके सवाल पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि इनके जो इनस्पेक्टर जनरल फारेस्ट ने हाल ही में स्वीकार किया है कि कम्पा के कोष से 11 हजार करोड़ रुपए उपयोग करके एनजीओज द्वारा 0.33 प्रतिशत क्षेत्र पर वृक्षारोपण या वन लगाने का काम हुआ। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैंने कोई राशि नहीं दी है, लेकिन इनस्पेक्टर जनरल स्वीकार करते हैं।

दूसरी बात यह है कि इनका वन प्रबंधन और वनाधिकार कानून ऐसा है कि अभी समाचार पत्र ट्रिब्यून में खबर छपी थी कि असम के कोकराझार जिले में एक आदिवासी को अपने नवजात शिशु को वनाधिकार कानून में कोई लाभ न मिलने के कारण बेचना पड़ा। दूसरी तरफ मंत्री जी कहती हैं कि इस कानून के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिया गया है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा उत्तर में बताया है कि इस तरह की समितियां देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जंगल की भूमि का रखरखाव, संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु

क्रियाशील हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की कितनी समितियां अभी तक कार्यरत हैं और इसमें आदिवासी जनजाति का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है?

अध्यक्ष महोदया : आप कितने सवाल पूछेंगे? आप केवल एक प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन राय : इस राज्य में जंगल की भूमि का कितने प्रतिशत इन्हें अलाट किया गया है? क्या इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक या मासिक राशि की कोई व्यवस्था की गई है? अगर राशि की व्यवस्था की गई है, तो आबंटित राशि कितनी है और राज्य को कितनी राशि रिलीज की गई है?

MADAM SPEAKER: Madam Minister, you answer only one question.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, the last two questions are not concerned with my Ministry. … (*Interruptions*)

Madam, as far as the constitution of these Committees is concerned, we have a State Forest Development Agency at the State level and the Chairperson is the Principal Conservator of Forests. The Members are all Officers and Directors of the Panchayati Raj and Tribal Welfare Departments, Chairpersons of two FDAs and there is also an Executive Body which can co-opt other Members.

The more important one is the Forest Development Agency (FDA). The FDAs are registered as a Federation of all Joint Forest Management Committees. The Chairperson is again the Conservator of Forests. Members, Madam, not more than 50 however are nominated by the Chairperson from the JFMCs on a rotational basis for five periods of one year of which 20 would be women representatives and in case adequate number of women are not available, the women representatives will be drawn … (*Interruptions*) You asked about the Committees. I am talking about the Committees. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Madam Minister, you please address the Chair.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, therefore, they will be drawn from the General Bodies of the JFMCs.

The responsibilities of these FDAs are to implement the Centrally sponsored schemes; to provide support and assistance to JFMCs for micro planning and approve the microplans.

Madam, an important DO was sent out by the Ministry of Environment. According to which, the existing JFMCs should function under the overall guidance and supervision of Gram Sabhas and where new JFMCs are to be set up, they should be done by Gram Sabhas.

JFMCs should be recognized as organs of Gram Sabhas relating to Panchayati Raj institutions. They also function as Standing Committees of the Gram Sabhas.

As far as social forestry and farm forestry and as far as minor forest produce is concerned and also the way the development funds of the JFMCs are used, they should be approved by the Gram Sabha. So, there is a complete involvement of the local population, the Joint Forest Management Committees in the Gram Sabha and also in the management of the forests.

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri Pranab Mukherjee.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, with your permission, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 'White Paper on Black Money' - May, 2012 (Hindi and English versions).

(Placed in Library, See No. LT 6959/15/12)

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of third quarter of financial year 2011-2012 under sub-section (1) of Section 7 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

(Placed in Library, See No. LT 6960/15/12)

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the V.V. Giri National Labour Institute, Noida, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.V. Giri National Labour Institute, Noida, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6961/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Board for Workers Education, Nagpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of

the working of the Central Board for Workers Education, Nagpur, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6962/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Action Taken Report (Hindi and English versions) on the Recommendations contained in the Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6963/15/12)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6964/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National

Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6965/15/12)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(i) S.O.2100(E) published in Gazette of India dated 20th September, 2011, making certain amendments in Notification S.O. 1533(E) dated 20th September, 2011.

(ii) S.O. 2483(E) published in Gazette of India dated 3rd November, 2011, constituting the Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority, Union Territory of Daman, Diu, Dadra and Nagar Havelli comprising three members, mentioned therein.

(iii) S.O. 2484(E) published in Gazette of India dated 3rd November, 2011, constituting the State Level Environment Impact Assessment Authority, Kerala, comprising three members, mentioned therein.

(iv) S.O. 2772(E) published in Gazette of India dated 12th December, 2011, making certain amendments in Notification S.O. 1844(E) dated 8th August, 2011.

(v) S.O. 568(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2012, constituting the State Level Environment Impact Assessment Authority, Haryana, comprising three members, mentioned therein.

(vi) S.O. 412(E) published in Gazette of India dated 14th March, 2012, constituting the State Level Environment Impact Assessment Authority, Arunachal Pradesh, comprising three members, mentioned therein.

(vii) S.O. 411(E) published in Gazette of India dated 14th March, 2012, constituting the State Level Environment Impact Assessment Authority, Meghalaya, comprising three members, mentioned therein.

(viii) S.O. 731(E) published in Gazette of India dated 4th April, 2012, constituting the Tamil Nadu State Level Environment Impact Assessment Authority, comprising members, mentioned therein.

(ix) S.O. 156(E) published in Gazette of India dated 25th January, 2012, making certain amendments in Notification S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) to (iii) of (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6966/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): Madam, on behalf of my colleague Shri Jyotiraditya M. Scindia, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textile Cluster, Ahmedabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textile Cluster, Ahmedabad, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6967/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Tools Technology Centre, Jalandhar, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Tools Technology Centre, Jalandhar, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6968/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bamboo Technology Park, Guwahati, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bamboo Technology Park, Guwahati, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 6969/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the British India Corporation Limited, Kanpur, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the British India Corporation Limited, Kanpur, for the

year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6970/15/12)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987:-

(i) S.O. 898(E) published in Gazette of India dated 24th April, 2012, allowing the quantities of 56000 bales of HDPE/PP bags leftover from the previous season *i.e.* Khariff Marketing Season 2009-2010 and RMS 2010-11 be used by the Food Corporation of India, Haryana State Agencies, Madhya Pradesh State Agencies and Punjab State Agencies during Rabi Marketing Season 2012-13.

(ii) S.O. 933(E) published in Gazette of India dated 27th April, 2012, exempting the Madhya Pradesh State Agency from the operation of the Order No. S.O. 88(E) dated 17.01.2012 upto the extent of a total quantity of 40,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-13.

(iii) S.O. 1023(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2012, exempting the Haryana State Agency from the operation of the Order No. S.O. 88(E) dated 17.01.2012 upto the extent of a total quantity of 24,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-13.

(iv) S.O. 1041(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2012, exempting the Uttar Pradesh State Agency from the operation of the Order No. S.O. 88(E) dated 17.01.2012 upto the extent of a total quantity of 20,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-13.

(Placed in Library, See No. LT 6971/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6972/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. TUSHAR CHAUDHARY): Madam, on behalf of my colleague Shri Jitin Prasada, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 1598(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (MP-MH Border to Dhule Section) in the State of Maharashtra.

(ii) S.O. 1725(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 9 (Pune-Solapur Section) in the State of Maharashtra.

(iii) S.O. 798(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 in the State of Maharashtra.

(iv) S.O. 1193(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Pimpalgaon-Nashik-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(v) S.O. 734(E) published in Gazette of India dated 8th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 6 (Bhandara-Nagpur Section) in the State of Maharashtra.

(vi) S.O. 459(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Pimpalgaon-Nashik-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(vii) S.O. 2160(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 9 (Maharastra/Karnataka Border to Sangareddy Section) in the State of Karnataka.

(viii) S.O. 1856(E) published in Gazette of India dated 10th August, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 in the State of Assam.

(ix) S.O. 1710(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 in the State of Assam.

(x) S.O. 1706(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 (Chariabahi-Teok Section) in the State of Assam.

(xi) S.O. 1707(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 (Morabazar-Khaloighuguti Section) in the State of Assam.

(xii) S.O. 1565(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 in the State of Assam.

(xiii) S.O. 1566(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 31 (Guwahati-Nalbari Section) in the State of Assam.

(xiv) S.O. 1592(E) published in Gazette of India dated 11th July, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 405(E) dated 16th February, 2010.

(xv) S.O. 1670(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 5 (Chilakaluripet-Rudrakota Section) in the State of Andhra Pradesh.

(xvi) S.O. 1999(E) and S.O. 1994(E) published in Gazette of India dated 27th August, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 4A (Belgaum-Goa/KNT Border Section) in the State of Karnataka.

(xvii) S.O. 1997(E) published in Gazette of India dated 27th August, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 393(E) dated 15th February, 2011.

(xviii) S.O. 1818(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 13 (Hungund-Hospet Section) in the State of Karnataka.

(xix) S.O. 1719(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 13 (Hospet-Chitradurga Section) in the State of Karnataka.

(xx) S.O. 371(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2011, authorising the Special Land Acquisition Officer, NHAI, Dharwad, as the competent authority to acquire land for building,

maintenance, management and operation of National Highway No. 63 (Ankola-Hubli-Hospet Section) in the State of Karnataka.

(xxi) S.O. 348(E) published in Gazette of India dated 14th February, 2011, authorising the Special Land Acquisition Officer, NHAI, Hospet, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 63 (Hospet-Bellary-AP/Karnataka Border Section) in the State of Karnataka.

(xxii) S.O. 981(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4A (Karnataka/Goa Boundary) in the State of Karnataka.

(xxiii) S.O. 2501(E) published in Gazette of India dated 4th November, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 348(E) dated 14th February, 2011.

(xxiv) S.O. 2167(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2011, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 2638(E) dated 25th October, 2010.

(xxv) S.O. 2382(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2011, authorising the Special Land Acquisition Officer, NHAI, Udupi, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 66 (Panaji-Mangalore Section) in the State of Karnataka.

(xxvi) S.O. 2280(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 13 (Hospet-Chitradurga Section) in the State of Karnataka.

(xxvii) S.O. 2233(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, authorising the Special Land Acquisition Officer, NHAI, Bijapur, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway

No. 218 (Bijapur-Gulbarga-Homnabad Section) in the State of Karnataka.

(xxviii) S.O. 2218(E) published in Gazette of India dated 26th September, 2011, regarding aquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Mulbagal-Kolar-Bangalore Section) in the State of Karnataka.

(xxix) S.O. 2384(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Bhandara-Nagpur Section) in the State of Maharashtra.

(xxx) S.O. 2417(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 in the State of Maharashtra.

(xxxi) S.O. 2455(E) published in Gazette of India dated 28th October, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 395(E) dated 15th February, 2011.

(xxxii) S.O. 2466(E) published in Gazette of India dated 28th October, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 394(E) dated 15th February, 2011.

(xxxiii) S.O. 2460(E) published in Gazette of India dated 28th October, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 391(E) dated 15th February, 2011.

(xxxiv) S.O. 970(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Pimpalgaon-Nashik-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(xxxv) S.O. 967(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 69 (Nagpur-Saoner-Pandhurna Section) in the State of Maharashtra.

(xxxvi) S.O. 562(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Vadape-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(xxxvii) S.O. 1188(E) published in Gazette of India dated 26th May, 2011, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Amravati-Gujarat/Maharashtra Border Section) in the State of Maharashtra.

(xxxviii) S.O. 458(E) published in Gazette of India dated 1st March, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Pimpalgaon-Nashik-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(xxxix) S.O. 919(E) published in Gazette of India dated 29th April, 2011, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 in the State of Maharashtra.

(xl) S.O. 795(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2011, authorising the Sub-Divisional Officer, Dahanu, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of Mumbai-Vadodara Expressway in the State of Maharashtra.

(xli) S.O. 822(E) published in Gazette of India dated 26th April, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1500(E) dated 21st June, 2010.

(xlii) S.O. 402(E) published in Gazette of India dated 21st February, 2011, authorising the officers, mentioned therein, as the

competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 211 (Aurangabad-Dhule Section) in the State of Maharashtra.

(xliii) S.O. 1319(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 42(E) dated 11th January, 2011.

(xliv) S.O. 1081(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Vadape-Gonde Section) in the State of Maharashtra.

(xlv) S.O. 2376(E) published in Gazette of India dated 15th October, 2011, authorising the Additional District Magistrate (Administration) Bulandshahr, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 93 (Aligarh-Moradabad Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xlvi) S.O. 2181(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2011, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 91 in the State of Uttar Pradesh.

(xlvii) S.O. 2240(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, authorising the Sub Divisional Magistrate, Musaffirkhana, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 56 in the State of Uttar Pradesh.

(xlviii) S.O. 1854(E) published in Gazette of India dated 10th August, 2011, authorising the Special Land Acquisition Officer, Sanyukt Sangthan, Bareilly, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of

National Highway No. 74 (New National Highways No. 30) in the State of Uttar Pradesh.

(xlix) S.O. 1925(E) published in Gazette of India dated 19th August, 2011, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24B in the State of Uttar Pradesh.

(l) S.O. 1567(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, authorising the officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 235 (Meerut-Bulandshahr Section) in the State of Uttar Pradesh.

(li) S.O. 1563(E) published in Gazette of India dated 8th July, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4A (Karnataka/Goa Boundary Section) in the State of Karnataka.

(lii) S.O. 2162(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Bharol-Dahisar Section) in the State of Maharashtra.

(liii) S.O. 2250(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1096(E) dated 4th August, 2005.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (vii) to (xv) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6973/15/12)

(3) A copy of the Notification No. S.O. 2313(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th October, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 76(E) dated 20th January, 2005 under

sub-section (3) of Section 50 of the National Highways (Land and Traffic) Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 6974/15/12)

(4) A copy of the Notification No. S.O. 2249(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th September, 2011, entrusting the stretches, mentioned therein, of National Highway No. 19 in the State of Bihar to National Highways Authority of India issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988.

(Placed in Library, See No. LT 6975/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI D. NAPOLEON): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 6976/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Social Defence, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Social Defence, New Delhi, for the year 2009-2010.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 6977/15/12)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, for the year 2010-2011.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 6978/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, for the year 2010-2011.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 6979/15/12)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2010-2011.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 6980/15/12)

(11) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Backward Classes Finance Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment for the years 2011-2012 and 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 6981/15/12)

12.02 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Copyright (Amendment) Bill, 2012 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 17th May, 2012."

2. Madam Speaker, I lay on the Table Copyright (Amendment) Bill, 2012, as passed by Rajya Sabha on the 17th May, 2012."

12.02 ¼ hrs.

STANNDING COMMITTEE ON RAILWAYS

(i) 15th and 16th Reports

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:-

(1) Fifteenth Report on "New Catering Policy – 2010 of Indian Railways".

(2) Sixteenth Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Standing Committee on Railways (Fifteenth Lok Sabha) contained in their 12th Report on 'New Railway Recruitment Policy'.

(ii) Statement

SHRI T.R. BAALU : I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and Chapter-V of the Tenth Action Taken Report (15^{th} Lok Sabha) on Eighth Report (15^{th} Lok Sabha) on 'Protection and Security of Railway Property and Passengers'.

12.02 ¾ hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

179th and 180th Reports

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) One Hundred Seventy-ninth Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its One Hundred Sixty-Seventh Report on the Functioning of National Museum.

(2) One Hundred Eightieth Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its One Hundred Seventy-second Report on the Development of Tourism in North-Eastern Region.

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
51st and 52nd Reports

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

12.03 ½ hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2011-12), pertaining to the Ministry of Defence.*

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Madam, I beg to make the statement on the status of implementation of recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Defence (15th Lok Sabha) in pursuance of the direction 73A of the Hon'ble Speaker vide Lok Sabha Bulletin - Part II dated September 01, 2004.

The 12th Report of the Standing Committee on Defence (15th Lok Sabha) relates to 'Demands for Grants of Ministry of Defence for the year 2011-12'. The 12th Report was presented to Lok Sabha on 03.08.2011.

Action Taken Statements on the recommendations/ observations contained in the 12th Report were sent to the Standing Committee on Defence on 23.12.2011.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in their 12th report is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No.LT 6982/15/12.

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of shortage of Drinking Water, in Jhunjunu and Churu Districts of Rajasthan and steps taken by the Government in this regard

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदया, मैं पेयजल और स्वच्छता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें

> " देश में विशेषकर राजस्थान के झुंझुनू और चुरु जिलों में पेयजल के अभाव से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदया, मेरा एक लंबा वक्तव्य है, जो मैंने सदन के पटल पर रख दिया है।

अध्यक्ष महोदया : शीश राम ओला जी, क्या आपने इसे पढ़ लिया है?

***श्री जयराम रमेशः** माननीय संसद सदस्य ने करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डालने वाला अहम मुद्दा उठाया है।

पेयजल की आपूर्ति जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत में सिंचाई, बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या के कारण हर गुजरते साल के साथ जल संसाधनों पर विभिन्न मांगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दबाव तब और बढ़ जाता है, जब जलवायु में परिवर्तन के कारण वर्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से पानी की उपलब्धता कम हो जाती है।

हालांकि जल राज्य का विषय है, फिर भी भारत सरकार पेयजल उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। गर्मी के महीनों में मानव आबादी और पशुओं को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की चुनौती और बढ़ जाती है। इसके अलावा, 80% पेयजल आपूर्ति जमीन के नीचे से पानी निकालकर की जाती है। जमीन से नीचे का पानी का स्तर हर वर्ष गर्मी के महीनों में और नीचे चला जाता है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सरकार ने पुनर्भरण संरचनाओं के स्रोतों और खानों की पहचान करने के लिए भूजल संभावना मानचित्र तैयार करने, भविष्य में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए भूमिगत एक्विफरों की मैपिंग और देश भर में ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने जैसे कई उपाय किये हैं। इन योजनाओं को तैयार करने का उद्देश्य आम लोंगों को पानी की मांग और उपयोग की निगरानी और नियमन करके उपलब्ध जल के उपयोग की योजना बनाने और प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नामक 10 राज्यों में अति दोहित जल स्रोतों वाले 15 ब्लॉकों में प्रायोगिक योजनाएं शुरू की गई हैं।

1.4.2012 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश भर में 16.64 लाख ग्रामीण बसावटों में से 12.72 लाख बसावटों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 40 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब भी लगभग 2.92 लाख बसावटों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर से कम पेयजल उपलबध कराया जा रहा है और लगभग 99,000 बसावटों में पेयजल स्रोत जल गुणवत्ता की समस्याओं से ग्रस्त है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी भू-भाग अधिकतर रेगिस्तानी हैं और वहां सूखे की आशंका भी अधिक होती है, इसलिए ये क्षेत्र पेयजल की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत राज्यों को वर्ष की शुरूआत में वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार करनी होती हैं, जिनमें कवर की जाने वाली उन बसावटों और क्षेत्रों की प्राथमिकता तय की जाती है, जहां जलापूर्ति अपर्याप्त है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास

* Speech was laid on the Table .

किया है कि राज्यों को दीर्घावधिक उपायों तथा आवश्यक अल्पकालिक उपायों एवं तात्कालिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो।

भारत निर्माण के प्रारंभ होने से लेकर अब तक ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के लिए आवंटन 2004-05 में 2900 करोड़ रूपये से बढ़कर 2012-13 में 10,500 करोड़ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में 37,277 करोड़ रूपये रिलीज किए गए। इसी दौरान राज्य सरकारों ने भी अपने संसाधनों में लगभग समान राशि खर्च की। यह संभावना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के परिव्यय में और अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरकार न केवल पेयजल आपूति के लिए बल्कि मध्यम तथा दीर्घावधिक समाधानों की योजना बनाने के लिए राज्यों को तत्काल सहायता प्रदान कर रही है जिनमें स्पॉट स्कीम्स, एकल तथा बहु-ग्रामीण योजनाएं शुरू करना, जलशोधन संयंत्रों की स्थापना करना तथा जल संरक्षण उपाय शुरू करना शामिल है जिससे भू-जल का पुनर्भरण किया जा सकता है तथा वर्षा जल एकत्रीकरण जैसे जल एकत्रीकरण व्यवस्था शुरू की जा सकती है।

मैं, माननीय संसद सदस्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के आवंटन के मानदंड में मरुभूमि क्षेत्रों तथा सूखा-प्रवण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के आवंटन में मरुभूमि क्षेत्रों तथा सूखा-प्रवण क्षेत्रों आदि के तहत आने वाले क्षेत्रों को 40% वेटेज दी जाती है। 10% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां 233 मरुभूमि विकास कार्यक्रम ब्लॉकों के लिए निर्धारित की गई हैं जिनमें से राजस्थान में 85 ब्लॉक हैं और इनमें से 8 ब्लॉक झुंझूनु में और 6 ब्लॉक चूरू जिले में हैं। राजस्थान को 2012-13 में एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 1346 करोड़ रूपये का अनंतिम आवंटन किया गया है जो कि राष्ट्रीय आवंटन का 12.82% है। मंत्रालय ने नागौर जिले में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) सहायता तथा भीलवाडा जिले में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता की सिफारिश भी की है।

माननीय सदस्य द्वारा राजस्थान के झुंझूनु और चुरू जिलों में स्थिति के संबंध में उठाए गए मामलों पर राजस्थान सरकार से जानकारी एकत्र की गई है।

झुंझूनु जिले में 12 शहर और 856 गांव हैं। हालांकि, सभी शहरों में पाईप के जरिए जल की आपूर्ति की जाती है लेकिन गांवों में आपूर्ति के अलग-अलग स्रोत हैं। खेतड़ी के अलावा, सभी शाहरों में अब प्रतिदिन जल की आपूर्ति की जा रही है। खेतड़ी शहर में प्रत्येक 48 घंटे में एक बार जल की आपूर्ति की जाती है। खेतड़ी में जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 47 लाख रूपए की लागत वाली एक परियोजना मंजूर की गई है जिसके तहत नए टयूबवेल तथा ऊंचाई पर जलाशय बनाने का प्रस्ताव

किया गया है। अब तक, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आबाद गांवों में जल आपूर्ति की काम-चलाऊ व्यवस्था है और कहीं भी टैंकर के जरिए जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। झुंझूनु तहसील की अलसीशर पंचायत समिति में 14 गांव हैं जहां जल गुणवत्ता की समस्या है, जिसके लिए चुरू-बिसाऊ नहर परियोजना से जल की आपूर्ति की जा रही है।

चुरू जिले में 10 शहर और 854 गांव हैं। यहां भी सभी शहरों में पाईप के जरिए जल की आपूर्ति की जाती है जबकि गांवों में आपूर्ति के अलग-अलग स्रोत हैं। सुजानगढ़ और राजगढ़ के अलावा, सभी शहरों में अब प्रतिदिन जल की आपूर्ति की जा रही है। सुजानगढ़ में प्रत्येक 48 घंटे में तथा राजगढ़ में प्रत्येक 72 घंटे में एक बार जल की आपूर्ति की जाती है। सभी आबाद गांवों में जल आपूर्ति की काम-चलाऊ व्यवस्था है। 2012-13 में "आपनी योजना" के दूसरे चरण के अंतर्गत, रतनगढ़-सुजानगढ़ परियोजना के लिए 325 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जबकि, राजगढ़-बूंगी परियोजना के लिए 248 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। ऐसी संभावना है कि 2014-15 तक पूरे चुरू जिले में "आपनी योजना" के अंतर्गत पर्याप्त रूप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी।

मेरा मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को पर्याप्त रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है। मैं, इस प्रयास में माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

विवरण-1 दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति के बारे में ग्रामीण बसावटों की स्थिति

विवरण-2 2012-13 में बसावटों के कवरेज के लिए राज्यवार लक्ष्य

विवरण-3 11वीं योजनावधि में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए निधियों का आवंटन, रिलीज और व्यय

विवरण-4 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 2012-13 के लिए राज्य-वार अनंतिम आवंटन

विवरण- I

दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार पेयजल आपूर्ति के बारे में ग्रामीण बसावटों की स्थिति

क्र.स.	राज्य	कुल बसावटें	बसावटें		
			पूर्णतः कवर	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता प्रभावित
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	72407	44469	27542	396
2	बिहार	107642	82772	10392	14478
3	छत्तीसगढ़	72329	40392	25632	6305
4	गोवा	347	302	45	0
5	गुजरात	34415	34033	381	1
6	हरियाणा	7385	6169	1206	10
7	हिमाचल प्रदेश	53201	42111	11090	0
8	जम्मू व कश्मीर	12826	5815	6986	25
9	झारखंड	120154	118652	1109	393
10	कर्नाटक	59532	29750	23678	6104
11	केरल	11883	10969	0	914
12	मध्य प्रदेश	127197	90803	33976	2418
13	महाराष्ट्र	98842	88780	8541	1521
14	उड़ीसा	141928	74861	53800	13267
15	पंजाब	15338	12236	3057	45
16	राजस्थान	121133	70919	22365	27849
17	तमिलनाडु	94500	91914	2154	432
18	उत्तर प्रदेश	260110	245868	13838	404
19	उत्तराखंड	39142	28035	11093	14
20	प. बंगाल	95395	87668	3746	3981
21	अरूणाचल प्रदेश	5612	3076	2536	0
22	असम	86976	49010	22736	15230
23	मणिपुर	2870	1588	1280	2
24	मेघालय	9326	5528	3700	98
25	मिजोरम	777	711	66	0
26	नागालैंड	1432	1015	287	130
27	सिक्किम	2498	1805	693	0
28	त्रिपुरा	8132	2722	47	5363
29	अ. व नि. द्वीप समूह	491	433	58	0
30	चंडीगढ़	18	18	0	0
31	दादर व नागर हवेली	70	0	70	0
32	दमन व दीव	21	0	21	0
33	दिल्ली	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	9	0	9	0
35	पुदुचेरी	248	244	4	0
कुल		1664186	1272668	292138	99380

विवरण- II

2012-13 के दौरान बसावटों के कवरेज के (बसावटों की संख्या) लिए राज्यवार लक्ष्य

क्र.स.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4882	384	5266
2	अरूणाचल प्रदेश	279	0	279
3	असम	3807	3423	7230
4	बिहार	4170	5200	9370
5	छत्तीसगढ़	5505	4173	9678
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	795	225	1020
8	हरियाणा	943	7	950
9	हिमाचल प्रदेश	2524	0	2524
10	जम्मू व कश्मीर	1042	236	1278
11	झारखंड	16156	480	16636
12	कर्नाटक	6039	2148	8187
13	केरल	641	61	702
14	मध्य प्रदेश	19540	825	20365
15	महाराष्ट्र	4980	774	5754
16	मणिपुर	150	100	250
17	मेघालय	417	0	417
18	मिजोरम	60	0	60
19	नागालैंड	77	30	107
20	उड़ीसा	6709	2407	9116
21	पंजाब	1440	33	1473
22	राजस्थान	1284	1378	2662
23	सिक्किम	270	0	270
24	तमिलनाडु	6538	462	7000
25	त्रिपुरा	18	1034	1052
26	उत्तर प्रदेश	23150	850	24000
27	उत्तराखण्ड	1075	0	1075
28	प. बंगाल	846	1623	2469
29	अ. व नि. द्वीपसमूह	0	0	0
30	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
31	दमन व दीव	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	0
33	लक्षद्वीप	0	0	0
34	पुडुचेरी	17	0	17
35	चंडीगढ़	0	0	0
	कुल	**113354**	**25853**	**139207**

विवरण- III

11वीं योजना के दौरान एन आर डी डब्ल्यू पी के अंतर्गत आंबटन, रिलीज और व्यय (रू. करोड़ में)

राज्य / संघ शासित प्रदेश	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			कुल 11 वीं योजना (2007-2012)		
	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय
आंध्र प्रदेश	295.30	305.24	388.41	394.53	395.05	398.05	437.09	537.37	394.45	491.02	558.74	423.38	546.32	462.47	446.37	2164.26	2258.87	2050.66
अरूणाचल प्रदेश	112.41	112.41	121.31	146.12	162.46	160.97	180.00	178.20	193.80	123.35	199.99	176.55	120.56	184.83	213.38	682.44	837.89	866.01
असम	189.59	189.59	117.26	246.44	242.78	265.40	301.60	323.50	269.34	449.64	487.48	480.55	435.58	522.44	468.6	1622.85	1765.79	1601.15
बिहार	279.37	169.69	0.00	425.38	452.38	73.30	372.21	186.11	279.36	341.46	170.73	425.91	374.98	330.02	367.3	1793.40	1308.92	1145.87
छत्तीसगढ़	95.95	95.95	104.16	130.42	125.26	112.42	116.01	128.22	104.06	130.27	122.01	97.77	143.57	139.06	141.12	616.22	610.50	559.53
गोवा	3.31	1.66	2.31	3.98	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50	5.34	0.00	1.16	5.20	5.01	1.16	23.47	9.99	5.13
गुजरात	205.89	205.89	219.12	314.44	369.44	289.33	482.75	482.75	515.69	542.67	609.10	610.50	478.89	571.05	467.62	2024.64	2238.23	2102.26
हरियाणा	93.41	93.41	109.54	117.29	117.29	117.29	207.89	206.89	132.35	233.69	276.90	201.57	210.51	237.74	344.71	862.79	932.23	905.46
हिमाचल प्रदेश	117.46	130.42	132.45	141.51	141.51	141.49	138.52	182.85	160.03	133.71	194.37	165.59	131.47	146.03	145.97	662.67	795.18	745.53
जम्मू व कश्मीर	329.92	329.92	361.41	397.86	396.49	176.67	447.74	402.51	383.49	449.22	468.91	506.52	436.21	420.42	394.91	2060.95	2018.25	1823.00
झारखंड	113.88	84.46	117.51	160.67	80.33	18.85	149.29	111.34	86.04	165.93	129.95	128.19	162.52	148.17	169.84	752.29	554.25	520.43
कर्नाटक	278.51	283.16	286.57	477.19	477.85	449.15	573.67	627.86	473.71	644.92	703.80	573.93	687.11	667.78	782.85	2661.40	2760.45	2566.20
केरल	82.93	84.25	83.46	103.33	123.33	106.56	152.77	151.89	150.56	144.28	159.83	137.97	144.43	113.39	126.98	627.74	632.69	605.54
मध्य प्रदेश	251.62	251.62	267.56	370.47	380.47	368.61	367.66	379.66	354.30	399.04	388.33	324.94	371.97	292.78	339.59	1760.76	1692.86	1655.00
महाराष्ट्र	404.40	404.40	378.38	572.57	648.24	511.06	652.43	647.81	625.59	733.27	718.42	713.48	728.35	718.35	642.79	3091.02	3137.22	2871.31
मणिपुर	38.59	45.59	34.71	50.16	45.23	36.33	61.60	38.57	30.17	54.61	52.77	69.27	53.39	47.60	47.03	258.35	229.76	217.50
मेघालय	44.46	55.29	56.61	57.79	107.79	74.50	70.40	79.40	68.57	63.48	84.88	70.47	61.67	95.89	85.44	297.80	423.25	355.59
मिजोरम	31.88	38.88	30.16	41.44	54.19	45.48	50.40	55.26	51.11	46.00	61.58	58.02	39.67	38.83	54.03	209.39	248.74	238.80
नागालैंड	32.72	39.75	27.39	42.53	42.53	39.60	52.00	47.06	71.58	79.51	77.52	80.63	81.68	80.91	81.82	288.44	287.77	301.02
उड़ीसा	168.85	171.95	233.60	298.68	298.68	273.12	187.13	226.66	198.87	204.88	294.76	211.11	206.55	171.05	239.6	1066.09	1163.09	1156.30
पंजाब	52.91	51.80	40.28	86.56	86.56	96.68	81.17	88.81	110.15	82.21	106.59	108.93	88.02	123.44	122.32	390.87	457.20	478.36
राजस्थान	606.72	606.72	619.67	970.13	971.83	967.95	1036.46	1012.16	671.29	1165.44	1099.48	852.82	1083.57	1153.76	1429.18	4862.32	4843.95	4540.91
सिक्किम	13.42	20.13	15.36	17.45	32.45	28.85	21.60	20.60	28.98	26.24	23.20	19.51	28.10	69.19	24.49	106.81	165.57	117.19
तमिलनाडु	190.90	190.90	190.90	241.82	287.82	230.58	320.43	317.95	370.44	316.91	393.53	303.41	330.04	429.55	287.6	1400.10	1619.75	1382.93
त्रिपुरा	39.43	54.43	54.30	51.25	41.01	36.99	62.40	77.40	77.35	57.17	74.66	67.20	56.20	83.86	108.39	266.45	331.36	344.24
उत्तर प्रदेश	401.51	401.51	421.14	539.74	615.78	514.54	959.12	956.36	967.38	899.12	848.68	933.28	843.30	802.32	754.2	3642.79	3624.65	3590.54
उत्तराखण्ड	89.30	89.30	114.14	107.58	85.87	61.09	126.16	124.90	67.24	139.39	136.41	55.44	136.54	75.57	118.72	598.97	512.05	416.63
प. बंगाल	191.37	191.37	230.55	389.39	389.39	371.62	372.29	394.30	87.76	418.03	499.19	363.31	343.60	342.51	519.48	1714.68	1816.76	1572.72
अ. व नि.	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1.01	0.00	35.50
दादरा व नगर	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1.47	0.00	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.61	0.00	0.00
दिल्ली	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00		4.62	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	0.00
पुड्डुचेरी	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1.85	0.00	1.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
कुल	**4757.01**	**4699.67**	**4762.96**	**6896.72**	**7172.01**	**5998.28**	**7986.43**	**7989.72**	**6924.16**	**8550.00**	**8941.81**	**8161.41**	**8330.00**	**8474.02**	**8925.49**	**36520.16**	**37277.23**	**34772.30**

विवरण- IV

2012-13 में प्रस्तावित एनआरडीडब्ल्यूपी आवंटन		
		(रू. करोड़ में)
क्र.सं.	राज्य	अनंतिम आवंटन
1	बिहार	497.50
2	छत्तीसगढ़	169.08
3	गोवा	6.07
4	झारखंड	190.84
5	केरल	173.53
6	मध्य प्रदेश	449.33
7	महाराष्ट्र	881.35
8	उड़ीसा	246.78
9	पंजाब	102.70
10	तमिलनाडु	387.75
11	उत्तर प्रदेश	1102.48
12	उत्तराखंड	159.72
13	प. बंगाल	510.81
14	आंध्र प्रदेश	643.47
15	गुजरात	565.95
16	हरियाणा	249.41
17	हिमाचल प्रदेश	153.90
18	जम्मू एवं कश्मीर	510.76
19	कर्नाटक	858.70
20	राजस्थान	1346.06
21	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.15
22	पुदुचेरी	1.75
23	अरूणाचल प्रदेश	143.89
24	असम	550.53
25	मणिपुर	63.72
26	मेघालय	73.66
27	मिजोरम	47.54
28	नागालैंड	98.88

29	सिक्किम	34.07
30	त्रिपुरा	68.62
	कुल	**10290.00**

श्री शीश राम ओला: महोदया, मैंने वक्तव्य को पढ़ा है। अच्छा होता कि यह वक्तव्य कल रात को मुझे मिलता तो मैं इसे तसल्ली से पढ़ लेता। कोई बात नहीं, मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बड़ी विद्वत्ता से उत्तर दिया है। लेकिन आज दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में या किसी बड़े शहर में पीने का पानी 48 घंटे नहीं मिले तो क्या कोई इसे बर्दाश्त करेगा। हम तो गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं। हमारे यहां मंत्री जी ने माना है, चुरू में दो जगह राजगढ़ और सुजानगढ़ और झुंझुनू जिले की खेतड़ी में 48 घंटे में पानी मिलता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले में और मेरी कांस्टीच्युएंसी के सीकर जिले की फतेहपुर असेम्बली कांस्टीच्युएंसी में और चुरू में कई जगह इतना खारा पानी है, उसमें दाल भी नहीं बन पाती है, लोग उस पानी को पीते हैं तो उन्हें हैजा हो जाता है। बारिश का पानी यदि कभी आता है, बारिश हमारे यहां हमेशा नहीं आती है तो हम उसका पानी इकट्ठा करते हैं, जहां चूहे पड़ते हैं, छिपकली पड़ती है, ऊंट का मींगना पड़ता है, बकरी की मिंगनी, भेड़ की मिंगनी और गाय, भैंस का गोबर पड़ता है, उस पानी को हम लोग, वे लोग पीते हैं, जो वहां बसते हैं। आज 64 साल की आजादी के बाद हमको शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मंत्री जी ने बड़ी आसानी से यह फरमा दिया कि मैंने एक वक्तव्य डिटेल में रख दिया है। लेकिन असलियत कुछ और है, वक्तव्य कुछ और है।...(व्यवधान) बताऊंगा, आप मुझे हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। हमारे यहां झुंझुनू जिले में और चुरू जिले की खास तौर से मैंने चर्चा की है, लेकिन बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक, अजमेर ये सारे जिले ड्राउट प्रोन हैं। यहां माननीय मंत्री जी ने कुछ धन ज्यादा ड्राउट प्रोन एरिया में देने का जिक्र किया है, लेकिन अभी बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट पर आर्मी की एक एक्सरसाइज हो रही थी। राजस्थान की भूमि लगभग 11-12 सौ किलोमीटर हिन्दूमल कोट से लगाकर जो गंगा नगर के पास, वहां से बाड़मेर, रणओफकछ तक पाकिस्तान से लगती है। यह उत्तरलाई एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाडमेर में स्थित है। वहां पायलेट्स को पीने का पानी नहीं मिला, ऐसी खबर अखबारों में आयी, लोगों ने मुझे बताया।

यह हालत राजस्थान में पीने के पानी की है। सबसे अधिक राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई देश की सीमाओं पर तैनात हैं, तो वे राजस्थान के नौजवान हैं। उनको पीने का पानी नहीं मिले, इससे बड़ी और गंभीर कोई समस्या नहीं हो सकती। माननीय मंत्री जी ने चुरू बिसाऊ योजना का ज़िक्र किया। चुरू बिसाऊ योजना के 1 अरब 33 करोड़ रुपये मैंने मंज़ूर करवाए थे 1997-98 में। वे सौ गाँव मंडावा विधान सभा क्षेत्र और पंचायत समिति अलसीसर, वहाँ पर 15-16 गाँव अब भी बचे हैं जो उस योजना से जुड़े हुए हैं पर

उनको अब तक पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ पीने का पानी नहीं है, खारा पानी है। उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। वे गाँव हैं - मंडावा विधान सभा क्षेत्र के दमकौर, जवाहरपुरा, होरी, मुखेकाबाद, बुद्धे बांस दूरपुरा, राणासर, बालूराम की ढाणी, जाबासर, नाथपुर, सोपरा, गोखरी, चारणों की ढाणी आदि। इसी प्रकार से सीकर ज़िले का फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है, वहाँ गाँव हैं - सेखीसर, बोद्देसर, कलाणपुरा, ढाणी बेदणा, रामसीसर, जुगलपुरा, पालास, नैथवा, बैरास, चाचीवाठ, खेजिया, रोसावाँ, रोलसाबसर, गोबिन्दपुरा, हरदयालपुरा, देवास आदि, जहाँ पीने का पानी कड़वा है, खारा है और उपलब्ध नहीं है। ये सारे जिले जो मैंने राजस्थान के बताए हैं, ये ड्राउट प्रोन एरिया के हैं। यदि इनको पानी नहीं दिया गया तो ये वहाँ बसावट कैसे करेंगे, इन्हें प्लांट करना पड़ेगा। अब न कहीं ज़मीन मिलेगी, न कोई बसने की ज़मीन देगा, न खेती की देगा।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन होगा कि वे इस सारे मसले पर गंभीरता से विचार करें और जो गाँव बिछाऊ चुरू योजना बनी थी, उससे बच गए हैं, अलसीसर पंचायत समिति के, उन सबको उसमें जोड़ा जाए, धन उपलब्ध कराया जाए और बाकी जो गाँव और ज़िले मैंने बताए हैं, उनके बारे में मंत्री जी क्या विचार रखते हैं, उनका मंत्रालय क्या सोच रहा है? क्या कोई योजना बनाई है या बनाने पर विचार कर रहे हैं, इसका स्पष्ट उत्तर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। मंत्री जी, जवाब दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। अभी ध्यानाकर्षण चल रहा है। Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियम जानते हैं। आप बैठ जाइए।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह मुद्दा यहां उठाया है। मैं उनकी पीड़ा और संकट को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद खेतड़ी और सुजानगढ़ का दौरा किया है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में पानी की बहुत समस्या है। जिस मात्रा में पानी शहरों और गावों में उपलब्ध होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता की समस्या है, कई जगहों पर खारा पानी ही खास तौर से ज्यादा मिलता है।

श्री शीश राम ओला : फ्लोराइड की भी मात्रा पानी में ज्यादा है, जिसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं।

श्री जयराम रमेश : मैं फ्लोराइड का भी ज़िक्र करूंगा।

---

* Not recorded.

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे कहा गया था कि आज दस बजे के पहले अगर वक्तव्य पहुंच जाएगा तो वक्तव्य बांटा जाएगा। वक्तव्य तो परसों ही तैयार था। चूंकि कल छुट्टी थी, इसलिए हमने आज पहुंचाया है। मैं माफी चाहता हूं कि इनको कल उसे देखने का मौका नहीं मिला।

महोदया, ऐसा तो मैंने पहले भी कई सवालों के जवाब में कहा है कि हम मंत्रालय की ओर से जो राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम चलाते हैं, उससे हम राज्य सरकारों को मदद देते हैं। राज्य सरकार जिलेवार प्रस्ताव तैयार करती है। वे प्रस्ताव हमारे पास आते हैं और हम उनको अनुमोदन देते हैं। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि इस साल, यानी वर्ष 2012-13 में पेयजल और स्वच्छता के आवंटन के लिए बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।...(व्यवधान) सुनिए! सुनने का थोड़ा कष्ट कीजिए। इस साल सारे देश में दस हजार पांच सौ करोड़ रुपए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। राजस्थान के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है यानी 13 प्रतिशत बजटरी एलोकेशन सिर्फ राजस्थान में ही खर्च होगा और यह नंबर वन स्थान पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पानी की समस्या बहुत गम्भीर है।

मैडम स्पीकर, जब हम समर्थन देते हैं तो राज्य के स्तर पर समर्थन देते हैं। राज्य सरकार प्रस्ताव लाती है और हम राज्य सरकार के एनुअल एक्शन प्लान को समर्थन देते हैं। अगर आप राजस्थान सरकार के एनुअल एक्शन प्लान देखें तो पचास फीसदी खर्च, पिछले साल और इस साल भी, वह बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ जिलों में होता है। हमारे एनआरडीडब्ल्यूपी झुंझुनू में करीब 70 करोड़ रुपए और चुरू में करीब पचास करोड़ रुपए जाएंगे और राज्य सरकार का भी उसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। झुंझुनू में करीब 140 करोड़ रुपए और चुरू में करीब सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं मानता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि आज भी राजस्थान में कई जिलों में चालीस लीटर प्रति व्यक्ति पानी हम नहीं दे पाए हैं। कई जगह पानी की गुणवत्ता की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है और खारे पानी की समस्या है। फ्लोराइड में नागौर और भीलवाड़ा कें लिए वर्ल्ड बैंक को एक अलग से विशेष प्रोजैक्ट तैयार करके हमने भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें शीघ्र ही उसकी अनुमति मिलेगी। इसके अलावा जब कभी राज्य सरकार से प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार हम से विशेष तरह की मांग करती है कि हमें कुछ और अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है तो हम अवश्य देने को तैयार हैं। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमारे फार्मुले या मानक में मरुस्थल जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे साढ़े दस हजार करोड़ रूपए में से करीब बीस प्रतिशत पैसा केवल मरुस्थल ब्लॉक्स के लिए ही है। इससे राजस्थान को बहुत फायदा होगा। जहां तक झुंझुनू और चुरू का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि चुरू में खेतड़ी की जो समस्या है, वह अगले दो-तीन साल तक दूर होने की उम्मीद है और झुंझुनू में जो प्रोजैक्ट राज्य सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिनके लिए सहायता दी जा रही है, मुझे कहा गया है

कि वर्ष 2014-15 तक यह योजनाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। जिन समस्याओं को माननीय सदस्य ने झुंझुनू और चुरू के संदर्भ में उठाया है, वे अगले दो-तीन साल में मैं उम्मीद करता हूं कि ओनगोइंग कार्यक्रम के द्वारा उनमें कुछ सफलता देखने को मिलेगी। अगले दो-तीन साल में गुणवत्ता की समस्या है, कई बसावटों को पेयजल सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, उनमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा।

श्री शीश राम ओला : माननीय मंत्री जी, बिसाउ चुरू स्कीम में 100 गांवों को इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी आप झुंझनू में दे रहे हैं, 65 गांवों को चुरू जिले में दे रहे हैं। उसमें मैंने ये जो पन्द्रह-सोलह गांवों के बारे में आपसे निवेदन किया है, आप चाहें तो मैं दुबारा पढ़ दूं या मैं अलग से आपको चिट्ठी लिख दूंगा, उन गांवों का उस योजना में उनसे जुड़ना जरूरी था। उस योजना में ये खारे पानी वाले गांव हैं जो बच गए हैं। इनको अलग से जोड़ने के लिए आप अपना हिस्सा राज्य सरकार को भेजें और राज्य सरकार को यह आदेश भी दें कि वे भी अपना हिस्सा देकर उन गांवों को भी इसमें जोड़ दें जो गांव इसमें बच गए हैं। हमारे यहां पानी इतना नीचे चला गया है कि सारा जिला डर्ट ज़ोन में है। हम वहां कुआं खोद नहीं सकते। वहां हजार फीट पर भी पानी मिल नहीं सकता। आप कहां से उन्हें पानी देंगे?

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय मंत्री जी को ये सूचनाएं भेज दीजिए।

12.22 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

श्री जयराम रमेश : महोदया, 24 और 25 मई को सारे राज्यों के पेयजल मंत्रियों की बैठक हो रही है। उसमें मैं राजस्थान सरकार से विशेष तौर से चुरू और झुंझनू की बात उठाऊंगा और जो जानकारी वे भेजेंगे, मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। ...(व्यवधान)

(Placed in Library, See No. LT 6983/15/12)

12.22 ½ hrs

MOTION RE: THIRTY-NINTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: Item No.18 – Shri Pawan Kumar Bansal.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

> "That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 18th May, 2012."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 18th May, 2012."

The motion was adopted.

12.22 ¾ hrs.

GOVERNMENT BILLS-INTRODUCED

(i)CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2012*

MR. CHAIRMAN: Item No.19 – Shri Mukul Wasnik.

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978."

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.05.2012.

The motion was adopted.

SHRI MUKUL WASNIK: I introduce the Bill.

12.23 hrs

(ii) UNIVERSITIES FOR RESEARCH AND INNOVATION BILL, 2012*

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of Universities for Research and Innovation and for enabling them to emerge as centres for ecosystems to develop as hubs of education, research and innovation and to promote research and innovation in learning and design, development and delivery of solutions and for matters connected therewith and incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment and incorporation of Universities for Research and Innovation and for enabling them to emerge as centres for ecosystems to develop as hubs of education, research and innovation and to promote research and innovation in learning and design, development and delivery of solutions and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI KAPIL SIBAL: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.05.2012.

MR. CHAIRMAN : Now, we will take up 'Zero Hour'.

Shri Sushil Kumar Singh.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, आपने देश के किसानों से जुड़े हुए एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। गर्मियों के मौसम में बड़े पैमाने पर, खासकर उत्तर भारत में, अगलगी की घटनाएं होती हैं जिसमें किसानों का बड़ा भारी नुकसान होता है। उनके खलिहानों में आग़ लग जाती है। उनके फसल नष्ट हो जाते हैं, वे जल कर राख हो जाते हैं। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस वर्ष तो ऐसा हुआ है कि हमारे पूरे दक्षिण बिहार में सौ-सौ एकड़ में, पचास-पचास एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल में आग़ लग गयी और वे जल कर राख हो गए। लेकिन, वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से उनको राहत पहुंचाने का, उनको मुआवज़ा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैंने इस सदन में किसानों से जुड़े हुए इस सवाल को पहले भी उठाया है। पहले भी मैंने भारत सरकार से मांग की थी कि किसानों का इतना बड़ा नुकसान होता है, जिस किसान का खलिहान जल जाता है, वह कई वर्ष पीछे चला जाता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि किसानों का इस तरह का नुकसान होता है, उनकी फसलों का नुकसान होता है, आगलगी की घटना में खलिहान जल जाते हैं, खड़ी फसल जल जाती है या और किसी तरह से नुकसान होता है तो उसका तुरन्त असैसमेंट कराया जाये और तत्काल राहत, तत्काल मुआवजा भारत सरकार अपनी तरफ से देने का प्रबन्ध करे। किसानों को उसका मुआवजा मिले, ताकि उनका जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई हो सके।

मैं भारत सरकार से यही मांग रखना चाहता हूं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Jitendra Singh Bundela and Shri Virendra Kumar are permitted to associate with the matter raised by Shri Sushil Kumar Singh.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल में रह रहे शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1947 में इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। पंजाब में विभाजन हुआ तो दोनों तरफ से आबादी की अदला-बदली हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में आबादी की अदला-बदली नहीं हुई। उस समय एक नियम बना कि जो भी व्यक्ति बंगलादेश से आयेगा, उसको हम शरण देंगे।

1971 तक कोई भी व्यक्ति अगर पूर्वी पाकिस्तान से आया तो उसे इस देश में शरण मिली और हमारे यहां के श्री पी.सी. घोष, श्री सिद्धार्थ शंकर राय, श्री ज्योति बसु और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये चार-चार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुए, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आये थे। लेकिन जब 1971 में बंगलादेश की लड़ाई छिड़ी तो उस समय एक ऑर्डर एक्सप्रैस लैटर निकला, जिसका नम्बर 26011/16/71/10 था और यह सभी राज्यों के चीफ सैक्रेटरीज़ को भेजा गया। इसमें डायरैक्ट लिखा गया कि कोई भी आदमी, जो पूर्वी पाकिस्तान से आता है, उसे अब हम लोग हिन्दुस्तान का सिटीज़न नहीं बनाएंगे।

1988 में बंगलादेश सैकुलर से इस्लामिक डैमोक्रेटिक घोषित हो गया और वहां पर माइनोरिटी पर अत्याचार होने शुरू हो गये। उसके चलते बहुत सारे अल्पसंख्यक, जो वहां के थे, हिन्दू, बौद्ध और अहमदिया सम्प्रदाय के लोग, इन लोगों को वहां से भागना पड़ा, लेकिन हमारे देश में सूडो सैकुलर पोलिटिक्स के चलते जो माइनोरिटीज़ के लोग आये, उनको तो राशन कार्ड और नागरिकता मिल गई, लेकिन जो वहां के हिन्दु और बौद्ध आये, उनमें भी ज्यादातर दलित और पिछड़े थे, उनको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया, जबकि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ में डैफीनिशन बिल्कुल सही है कि नस्लभेदी हिंसा या धर्म आधारित हिंसा पर कोई व्यक्ति अगर अपना देश छोड़ता है तो उसे शरण देनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के सिटीज़न एमेंडमेंट बिल, 2003 के हिसाब से सभी बंगलादेशियों को इल्लीगल माइग्रेंट्स घोषित कर दिया गया। 2003 में तत्कालीन विरोधी दल के नेता श्री मनमोहन सिंह जी ने जब यह सिटीज़नशिप बिल आया था तो उन्होंने कहा था कि जो बंगलादेश से हिन्दू भाग कर आते हैं, उनको आप बाकी सिटीज़न की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं और तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने यह आश्वासन दिया था कि नहीं, जो बंगलादेश से माइनोरिटी, अल्पसंख्यक भाग कर आएंगे, उनको हम अलग से ट्रीट करेंगे। आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उस समय लीडर ऑफ अपोजीशन थे और दूसरे आज हमारे एन.डी.ए. के लीडर हैं, लेकिन इन दोनों ने जो वायदा राज्य सभा में किया था, अभी तक उसका पालन नहीं हुआ है।

मेरी आपसे रिक्वैस्ट होगी कि जो भी धार्मिक विद्वेष के आधार पर बंगलादेश से छोड़कर शरणार्थी आ रहे हैं, उन सभी को शरणार्थी स्टेटस यू.एन.एस.सी.आर. के तहत दिया जाये और उन सभी को अल्टीमेटली शरणार्थी स्टेटस और सिटीज़नशिप दी जाये।

MR. CHAIRMAN: Prof. Ramshankar, Shri Rajendra Agarwal, Dr. Kirit Premjibhai Solanki and Shri P.L. Punia are permitted to associate with the matter raised by Dr. Sanjay Jaiswal.

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Chairman, Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this august House as well as the

Government of India about the sad plight of 13,000 contract labourers of the Neyveli Lignite Corporation, who are vociferously fighting for their lawful rights for the past 31 days and it is leading to dwindling production loss, as far as mining and power generation are concerned.

Sir, to make the intensity of this situation very clear, I would say that if the accumulated earth, the overburdens of the mining area, is not removed on time, there will be a disastrous effect and the mining will come to a grinding halt. It would also lead to stoppage of power generation. The labours unrest is going on for the past 31 days. But neither the Management of the Neyveli Lignite Corporation nor the Government of India have come forward to settle the issue very amicably.

Sir, for instance, the mining production at the level of 45,000 tonnes per day has come down to only 9,000 tonnes per day at Neyveli Lignite Corporation. Similarly, production of power has come down from 2,490 MW to 1,690 MW.

Sir, the intensity of the agitation is going on increasing day by day. Even in this grave situation, the Government is not at all ready to make an effort to see that the problem is settled very quickly. Even now, when I am deliberating the same issue in this august House, the hon. Member of Parliament Shri T.K.S. Elangovan; the ex-Member of Parliament, Shri C. Kuppusamy; and Shri Rajavannian, General Secretary of the DMK Labour Union are pleading for the lawful rights of more than 13,000 contract workers in the Neyveli Lignite Corporation.

Sir, what had happened in 1994? In 1994, at the instance of the DMK Union, *Tholilar Munnetra Sangha Peravai,* the Labour Progressive Federation had demanded for 'InCoService' That is the Industrial Cooperative Service Society; and the Neyveli Lignite Corporation came forward to establish the Industrial Cooperative Service Society. In that Cooperative Service Society, they had registered about 5,000 workers. Out of these 5,000 workers, 4,000 workers have been made permanent; and more than 200 workers left the job or died. Then, only

800 workers are remaining who have not been made permanent. These 800 workers are not getting the proper lawful rights. That is one issue.

Meantime, in 2008, the Management went on engaging contract labourers. They have not adopted the 'InCoService' system as per 12(3) Agreement. The Management were going on encouraging the contract labourers. This has created the problem. Over and above, those 800 people have not been made permanent employee of the Neyveli Lignite Corporation.

Sir, in 2008, the then Chief Minister of Tamil Nadu, and my leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, had intervened to see that 12/3 agreement has been settled. With that effect, 5000 people had to be taken in the 'InCoService' and 800 people had to be confirmed. But nothing has happened so far.

That is why this problem has arrived to the extent of 31 days strike. Still, it is going on.

MR. CHAIRMAN : Please be brief because it is a Zero Hour.

SHRI T.R. BAALU: I am concluding within a minute.

Sir, all the unions cutting across all political lines, viz., CPI affiliated, CPM affiliated and other political affiliated unions are jointly fighting for the cause of these labourers.

Under this situation, I can only request the Government of India, who is at the helm of affairs, to come forward to have a discussion, call for the people and solve the problem. Workers are not our enemies. They are the part and parcel of the stake holdings; they are the stakeholders; they are the kingpins of the Neyveli Lignite Corporation.

That is why it is high time that the concerned Department and the Neyveli Lignite Corporation people should come forward and take a decision to register 50,000 workers into the 'InCoService'. According to Clause 25V (a) of the Contract Labour Central Rules, 1971, they have to be absorbed and the things should be settled amicably. They may say there is court order. The court order never said about the registration of people in the 'InCoService'. The court order

says about settlement of seniority only. Let them settle it separately. The seniority list has already been submitted to the Supreme Court by the Neyveli Lignite Corporation (NLC). The left out 800 workers have to get the seniority and new recruitment of 5000 people in the 'InCoService' should be registered.

With these, I conclude. …. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Whoever wants to associate, you can send your names. There is no problem. You can send your names.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, you send your name if you want to associate yourself with the matter raised by him.

Next is Shri Ravindra Kumar Pandey.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

MR. CHAIRMAN: Shri P.L. Punia, Shri M. Abdul Rahman, Shri Kamal Kishor, Shri M.B. Rajesh, Shri S.S. Ramasubbu and Shri O.S. Manian are allowed to associate with the matter raised by Shri T.R. Baalu.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में नियम 377 के तहत, शून्य काल के तहत और आज भी वही विषय उठा रहा हूं, जो इस सदन में बारबार उठाया गया है। झारखंड राज्य में लगभग पचास हजार आंगनबाड़ी महिलाएं कार्यरत हैं। इतनी ही संख्या में सेविका-सहायिका भी हैं। इनकी संख्या लगभग 41 हजार है। वर्तमान में आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्मी या सहकर्मी हैं, जहां भी सेवाएं देने की बात आती है वहां चाहे दिन में हो या रात में हो वे लोग उपस्थित रहती हैं। वर्तमान में न तो उनको सही ढंग से मजदूरी मिल रही है और न ही उन्हें अवकाश मिल रहा है। गर्मी के समय में जब स्कूल-कॉलेज में छुट्टी मिलती है यह भी उन लोगों को नहीं मिल रही है। वर्तमान में इनको भुगतान सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

[*] Not recorded.

भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी महिलाएं, सहकर्मी, सहायिका और सेविकाओं को अवकाश के साथ-साथ सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं एक संकट की तरफ बढ़ते हुए बिहार की स्थिति की चर्चा करना चाहता हूं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकल कर बंगाल की खाड़ी की यात्रा में उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरती है। इस गंगा नदी की बाढ़-कटाव की भयानक त्रासदी बिहार को झेलनी पड़ती है। लेकिन बिहार जब इस गंगा नदी के पानी को प्रयोग करना चाहता है तो इस पर रोक लगाई जाती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि यह एक अन्तरराज्यीय और अन्तरराष्ट्रीय नदी है, ऊपर के तटवर्ती राज्यों को पानी का अंधाधुंध प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। अकेले चालीस हजार क्यूसेक पानी देहरादून, बिजनौर और नरौरा वैराज से ऊपर के राज्य अपनी खेती के लिए लेते हैं। बाढ़ का पानी बक्सर से ले कर बिहार के अंतिम सीमा तक जो दियारा का इलाका है, जो अगल-बगल का इलाका है, भयानक कटाव घर और खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम अपने थर्मल के लिए या अन्य उपयोग के लिए गंगा का पानी लेना चाहते हैं जिसमें हमारी हिस्सेदारी है क्योंकि हम तटवर्तीय राज्य हैं, हमारा अधिकार बनता है कि हम इस पानी का प्रयोग करें। फरक्का का समझौता हुआ। चालीस हजार क्यूसेक से अधिक पानी फरक्का पर देने की बात थी और यह बात तय थी कि ऊपर के जितने राज्य हैं सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, जितनी नदियां हैं अपने संगम पर लाकर इतना पानी देंगे कि फरक्का को कभी चालीस हजार क्युसेक से कम पानी न पड़े। लेकिन 40 हजार क्यूसिक पानी के उपयोग के लिए बक्सर से बिहार की अंतिम सीमा तक रोक लगाकर उसे फरक्का पर ले जाने की बात हो रही है। जब भारत सरकार का बंगलादेश से समझौता हो रहा था, हम सबने इस बात को उठाया था कि सारे तटवर्ती राज्यों और गंगा बेसिन की जितनी नदियां हैं, पानी में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। भारत सरकार ने बिहार से वायदा किया था कि गंगा के पानी के प्रयोग पर बिहार पर कभी रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आज बिहार के सामने संकट खड़ा है। हम खेती, सिंचाई, पन बिजली, बिजली के लिए किसी तरह पानी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें अनुमति नहीं मिल रही ही।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि गंगा के सभी तटवर्ती राज्यों, गंगा बेसिन के सारे राज्यों को गंगा की अविरल धारा का पानी देने की बात की जाए जो पहले से सुनिश्चित हो।...(व्यवधान) बिहार को अपने हिस्से के पानी के प्रयोग की अनुमति मिले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सभापति महोदय, पूरे देश में घरेलू गैस, एलपीजी चोरी के मामले बहुत मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कोई भी साधन उस पर अंकुश लगाने में कारगर क्यों नहीं हो पा रहा है? यह दुख की बात है। गैस चोरी करने वाले लोगों के पास ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे वे भरे हुए सिलेंडर से खाली सिलेंडर में गैस भर देते हैं। ऐसे मामलों के पता लगने पर गैस वितरक की एजेंसी निरस्त कर देनी चाहिए। चोरी से भरे सिलेंडर को मार्किट में 900 रुपये तक बेचा जाता है। दूसरी ओर अधिकांश गैस उपभोक्ताओं को गैस बुक कराने के दो महीने तक गैस उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्हें गैस देर से मिलती है और मात्रा में कम भी मिलती है। अत: मेरी मांग है कि सभी तेल कम्पनियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वे अपने गैस वितरकों की पहचान करें। जो गैस चोरी में शामिल हैं तथा दोषी पाए गए हैं, ऐसे वितरकों की एजेंसी तुरंत निरस्त करने के बारे में कदम उठाए जाएं।

आजकल सांसद निवास में भी समय पर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाए जाते। इस पर भी गौर करने की जरूरत है।

12.43 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Alleged irregularities in cricket organisations and need for auditing the accounts of those organisations

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आदरणीय नेता सदन और खेल मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। हम रोज कोई न कोई ऐसी घटना टेलीविजन पर देख रहे हैं या सुनने में आ रही हैं। कल रात ही एक घटना कुछ आईपीएल खिलाड़ियों की रेव पार्टी को लेकर हुई। ये घटनाएं रोज आ रही हैं जिस कारण खेल और देश की छवि धूमिल हो रही है। अभी मेरे लिए न आईपीएल और न ही कोई दूसरी चीज ईशू है। मेरे लिए यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस सिस्टम का प्रश्न है। एक बार रिपोर्ट आई थी कि आईपीएल का धन विदेशों से टैक्स हेवन से होता हुआ आया है। उसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने अपने विभागों द्वारा कार्य भी चालू करवाया था, लेकिन वह सब मामला ठप्प पड़ गया। उसके कारण लोगों के मन में यह आत्मविश्वास बढ़ा और गड़बड़ियां बढ़ती चली गईं। माननीय खेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप बेबस हैं, आप बीसीसीआई के ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह आपसे बहुत ऊपर है, इस सरकार से भी ऊपर है। मै यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में जो कमी है, आज हमारे साथी, सत्ता के लोग, सरकार के लोग, विपक्ष के लोग सब इसमें सम्मिलित हैं। सरकार यह कर सकती है कि जो संस्थाएं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, कम्पनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जिनके घर खुद शीशे के हैं, वे दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मार पा रहे हैं। इन संस्थाओं की बुनियाद में ही कमी है। I will request the hon. Leader of the House, who is a father figure for me and has been esteemed colleague of my father when he was here in this House, that would we come to know as to what is the source of this black money; the money laundering has been done through tax havens. It has also been reported in the Report of the Standing Committee of Finance – headed by Shri Yashwant Sinha – which was presented in this House on the 2nd of August 2011.

अगर हम इन चीजों में विलंब करते रहेंगे, तो लोगों के मन में आता है कि ठीक है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम जो चाहे, वह कर सकते हैं। आज यह परिस्थिति सामने आ गयी। आईपीएल की घटनाएं जो बार-बार हो रही हैं, शर्मनाक हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आदरणीय नेता सदन, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं स्पोर्ट्स

मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप असहाय हैं। लेकिन क्या आप मुझे यहां एक आश्वासन दे सकते हैं कि जितनी भी एसोसियेशन्स रजिस्टर्ड हैं, आप उनके ऊपर इंडीपेंडेंट लोगों से कोई इंटरनल स्पैशल ऑडिट करवा सकते हैं और देख सकते हैं? अभी वित्त मंत्रालय ने इन लोगों से 413 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स मांगा है और ऐग्जैम्पशन हटाया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे कहने के बाद क्यों हुआ? सरकार यह कार्य पहले से क्यों नहीं कर रही? इतना विलंब क्यों हो रहा है?

खेल मंत्री जी, यदि आप बीसीसीआई के अंदर आरटीआई नहीं लगा सकते, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, उन पर स्पेशल ऑडिट तो कर सकते हैं? उनमें जो खामियां हैं, उस बारे में पता कर सकते हैं? ...(व्यवधान) क्या आप इन चीजों की भी जानकारी नहीं ले सकते। ...(व्यवधान) आप बार-बार कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बीसीसीआई मेरे अंडर नहीं है, आरटीआई मेरे अंडर नहीं है। हालांकि आपने सदन के बाहर जो स्टेटमैंट्स दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह स्टेटमैंट आप यहां भी देंगे। आप केवल यह स्टेटमैंट नहीं देंगे कि आईपीएल को बीसीसीआई से अलग कर दिया जाये, लेकिन आप इस हाउस को आश्वासित करें, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमारे देश में एक धर्म की तरह माना जाता है। बाकी खेलों के ऊपर ऑडिट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, तो फिर क्रिकेट के ऊपर स्पेशल ऑडिट इन सब जगहों पर क्यों नहीं हो सकता? इन एसोसियेशन्स में प्रशासन और पुलिस द्वारा जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उन पर आप क्या कदम उठायेंगे? आप यहां बैठे हैं, नेता सदन बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वे इसका जवाब दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri P.L. Punia, Shri Virendra Kumar, Shri M.B. Rajesh, Shri Jitendra Singh Bundela, Shri Rajendra Agarwal, Prof.(Dr.) Ram Shankar Katheria are permitted to associate themselves with the issue raised by Shri Kirti Azad.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एकाउंटेबिलिटी का ...(व्यवधान) इतना जबरदस्त मूवमैंट बना हुआ है। क्या बात है कि इस देश में हर तरह, यानी आप बैठकर टीवी और न्यूज नहीं देख सकते। देश भर में चौबीस घंटे ऐसा तमाशा चलाया जा रहा है, लगता है कि देश में कोई राज ही नही है, किसी तरह की कोई सरकार ही नहीं है। अभी जो बात कीर्ति आजाद जी ने उठायी, उसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले को कई बार यहां उठाया गया है।

सभापति महोदय, सरकार के मंत्री और प्रणब बाबू आदि सब सुनते रहते हैं। क्या बात है, कौन सी बात है, इतना बड़ा तमाशा, इतना बड़ा पतन हमारा हो रहा है। हम इस तरह की स्थिति में पहुंच गये हैं कि सारे लोग, हमारे बच्चे रेव पार्टी में जाते हैं। ...(व्यवधान) इस तरह का तमाशा, हमारी मर्यादा को तोड़ रहा

है। ...(व्यवधान) सरकार ने जो जांच करानी शुरू की, मैं उसे मानता हूं। आप उसे क्यों नहीं एकाउंट में डालते। ...(व्यवधान) क्या बात है? आपकी सरकार में सब मंत्री बैठे हैं। यह क्या दबाव है? ..(व्यवधान)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने इसके ऊपर गत महीनों में बहुत तीखी और तेजी से कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, इसलिए आप हमारी बात भी सुनिए। ...(व्यवधान) वर्ष 1996 से बीसीसीआई को एज़ चेरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनकम टैक्स के अंदर ऐग्जैम्पशन प्राप्त था। वर्ष 2009 में इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने उनका वर्ष 2006-07 से रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से इनकम टैक्स ऐग्जैम्पशन विदड्रा कर दिया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1996 से 2006, यानी दस वर्षों के अंदर बीसीसीआई ने 365 करोड़ 24 लाख रुपये इनकम टैक्स का ऐग्जैम्पशन लिया। उसके बाद वर्ष 2007, 2008, और 2009 में इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने 118 करोड़ रुपये और 257 करोड़ 12 लाख रुपये की टैक्स लायेबिलिटी बीसीसीआई के ऊपर लगायी। यह अब हुआ है, यह मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

इसमें से वर्ष 2007-08 के 118 करोड़ रुपये रियलाइज हो चुके हैं और वर्ष 2008-09 में 131 करोड़ रुपये रियलाइज हो चके हैं। बीसीसीआई टैक्स ट्रिब्यूनल में गयी है, वहां उन्होंने अपील की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत से इस केस को लड़ रहा है। ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए, आपने बात रेज की है, लोगों को पता रहना चाहिए। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 19 नोटिसेज आईपीएल और बीसीसीआई को इश्यू किए हैं। 1077 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत के फेमा वायलेशन्स के नोटिसेज इश्यू किए गए हैं जिन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। पिछले सप्ताह जब दुबारा यह मसला उठा, उस वक्त 17 मई को हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को फिर से चिट्ठी लिखकर कहा कि जो नोटिसेज दिए गए हैं, उन पर तेजी से कार्रवाई की जाए और उसकी जानकारी हमें दी जाए और 18 मई को सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स ने सेक्रेटरी, रेवेन्यू को एक पत्र लिखकर कहा कि जो आईपीएल के नए मामले, जो प्लेयर्स आरोप लगा रहे हैं कि उनको ब्लैक मनी के रूप में पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी इनक्वायरी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मंत्रालय ने सेक्रेटरी, रेवेन्यू को लिखकर कहा है कि इसकी जांच कराई जाए। बेशक बीसीसीआई इसकी खुद जांच कर रही है या नहीं कर रही है, किस तरीके से कर रही है, लेकिन हम लोगों ने, स्पोर्ट्स मंत्रालय ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा है कि इसकी जांच तेजी से कराई जाए और ईडी एवं आईटी डिपार्टमेंट, दोनों इसमें तेजी से काम करें।

दूसरा, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि राइट टू इनफार्मेशन के दायरे में बीसीसीआई को आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और इसके लिए सेंट्रल इनफारमेशन कमीशन के सामने स्पोर्ट्स मंत्रालय ने बार-बार इस बात को रखा है। इसकी हियरिंग सेंट्रल इनफारमेशन कमीशन के सामने चल रही है। सरकार का, स्पोर्ट्स मंत्रालय का यह मानना है कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, वर्ष 1996 से 2006 तक जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है, वह लगभग 365 करोड़ रुपये है। इसके अलावा जो जमीनें क्रिकेट के लिए चाहे बीसीसीआई को या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन्स को दी गयी हैं, वे लगभग मुफ्त दी गयी हैं। अब आज अगर बीसीसीआई को उसका फायदा मिल रहा है, तो उसको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए।

तीसरा, हमारा यह मानना है कि सबसे बड़ा पब्लिक फंक्शन अगर बीसीसीआई करती है, तो वह यह करती है कि एक ऐसी टीम को चुनती है, जो इंडिया को रिप्रजेंट करती है, एक ऐसी टीम को चुनती है जो भारत के फ्लैग के नीचे खेलती है। इससे बड़ा कोई पब्लिक फंक्शन नहीं हो सकता, जब वह टीम भारत के फ्लैग के नीचे खेले, भारतीय टीम कहलाई जाए। इस तरह से वे सबसे बड़ा पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। इस बात को हम लोग सीआईसी के सामने जोरदार ढंग से रख रहे हैं और इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे, यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Acharia speaks.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): What about special audit?

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, you speak about the subject you want to raise during ‘Zero Hour’.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI BASU DEB ACHARIA : Mr. Chairman, Sir, there are lakhs of small scale industries, which are house-based industries, in the country in which people are engaged not lakhs but crores. The largest number of employment is in the small scale industries. The Government is also earning foreign exchange worth thousands and thousands of crores from the export of products manufactured in small scale industries.

Today, the small scale industries are facing crisis. Bankura in West Bengal is a district where there is the largest number of rural artisans. That is why, the National Institute of Scientific and Technological Studies had selected Bankura district and set up a field station there two decades ago to help the rural artisans to improve their technology and educate them about how to reduce the fuel cost.

That NISTADS under CSIR was doing commendable job in regard to improvement of technology of rural artisans but unfortunately Sir, that field station under NISTADS was closed in 2001. Today, the problem is particularly towards Brass and Bell metal small scale industries. These industries are not getting coal. Previously, there was a policy. The concern of the Government is for thermal power plant, the Steel plant and big industries. But the need of the small scale industries should also be taken care of. Previously there was a policy.

MR. CHAIRMAN : Come to the point Acharia Ji. What is your demand?

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Small Scale Industries, those who require coal, they used to get required quantity of coal. Earlier, that system was there. That system today does not exist. There is no policy to provide coal. They need small quantity of coal. As a result of this, Sir, a large number of industries are on the verge of closure. There is a village Kenjakura in my constituency where the population is approximately 10,000. This is the only village in our country where you can find largest number of artisans and these artisans particularly from bell metal and brass, they are facing crisis and industries are almost on the verge of

[*] Not recorded.

closure. I demand that a policy should be evolved so that a Small Scales Industries which employ largest number of people, they do not suffer because of non-availability of coal. The Government of India should evolve a policy so that they can get coal, and industry is not closed and thousands and thousands of the workers who are engaged in Small Scale Industries are not thrown out of the jobs.

MR. CHAIRMAN: Shri Sharad Yadav and Shri P.L.Punia may be allowed to associate with the matters raised by Shri Basudeb Acharia.

SHRI K. SUGUMAR (POLLACHI): I would like to bring to the kind notice of the Government that the Karnataka Government is planning to construct a check dam across river Then Pennai. The Government of Karnataka is also trying to divert the flow of river Then Pennai to its territory depriving of the benefit to Tamil Nadu. Our hon. Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma has already brought this fact to the notice of the hon. Prime Minister through a communication.

The construction of check dam and diversion of Then Pennai by the Karnataka Government will affect the districts like Krishnagiri, Dharmapuri, Thiruvanamali, Vilupuram and Cuddalore. Because of this move, many farmers in these areas will be affected and there will be acute shortage of drinking water. The Government of Karnataka has not communicated to the State Government of Tamil Nadu and also has not sought the consent of Tamil Nadu. Whether it is Cauvery or Then Pennai, Karnataka has been behaving undemocratically without looking into the problem of other sharing State.

Therefore, I urge upon the Union Government to direct the Government of Karnataka to stop forthwith its plan of constructing a check dam over river Then Pennai and diversion of its flow of water, as demanded by our hon. Chief Minister, Dr. Puratchi Thalavi Amma.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): माननीय सभापति जी, मैं बहुत ही सेंसिटिव इश्यू की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एससीएसटी आरक्षण के साथ आये दिन किसी न किसी तरीके से छेड़छाड़

होती रहती है। हमारे यहां दिल्ली में एसटी के लिए वर्ष 1955 से 7.5 प्रतिशत आरक्षण लागू था। हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में दिल्ली की शीला सरकार ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया।

सरकार एसटी के हित में न तो अपील में गयी, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट की डीडी का फैसला था कि यूटीज में एसटी को दिया आरक्षण जायज है, उसके बावजूद भी क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी इसलिए दिल्ली में एसटी के आरक्षण को समाप्त कर दिया।

13.00 hrs.

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हों या झारखंड तथा छत्तीसगढ़ हो, एसटी में नक्सलवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप एसटी लोगों को देश की मूल धारा में लाना चाहते हैं और उनका शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, उनका आर्थिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं, सामाजिक समानता की दृष्टि से उन्हें बराबर लाना चाहते हैं, जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। दिल्ली में एसटी लोगों का आरक्षण खत्म किया है, इसके कारण वे न तो बड़े संस्थानों में दखिला ले पा रहे हैं और न ही उन्हें नौकरी मिल पा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि दिल्ली में एसटी लोगों का आरक्षण खत्म किया है, उसे बहाल किया जाए। वर्ष 2004 से एक बिल पेंडिंग पड़ा है, उसे पारित किया जाए, जिससे सुपर स्पेशियलिटी फील्ड की विभिन्न संस्थाओं में प्रमोशन आदि में आरक्षण की सुविधा एससी और एसटी को मिल सके। एससी और एसटी के आरक्षण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके कारण एससी और एसटी का आरक्षण उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। इसके कारण एससी और एसटी लोगों में बहुत असंतोष है और आए दिन आरक्षण के साथ जो छेड़खानी की जा रही है, उसके कारण देश भर के एससी और एसटी लोगों के मन में बड़ा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप आईपीएल के मुद्दे पर सदन में उत्तर दे सकते हैं, सदन में दो मंत्री उपस्थित हैं, क्या एससी और एसटी के आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए आप उसे नौवें शेड्यूल में डालना चाहते हैं या नहीं या संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं या नहीं? मेरी मांग है कि सरकार संविधान में संशोधन करे और एससी तथा एसटी लोगों के आरक्षण के हितों की रक्षा करे। ऐसा बिल तुरंत संसद में लाना चाहिए। सदन के बाहर भी एससी और एसटी से संबंधित एमपी फोरम बनाकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राज्य सभा में भी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और सुश्री मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया है। यह बहुत गंभीर मामला है। असंतोष और आक्रोश ज्यादा न बढ़े। इसलिए मेरी मांग है कि आरक्षण के 2004 के बिल को लागू किया जाए और सरकार प्रमोशन में आरक्षण को जो खत्म कर रही है, उसे हटाया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए।

सभापति महोदय : श्री दारा सिंह चौहान, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती ज्योति धुर्वे, और श्री अशोक अर्गल अपने आपको डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, एम्स में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है, वह विवाद का विषय रहा है। पिछले कई वर्षों से डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में आरक्षण न मिले, इसके लिए आरक्षण विरोधियों ने एम्स में हंगामा किया है। वहां के प्रबंधक और डायरेक्टर के बारे में आरोप है कि इन लोगों ने इसको प्रोत्साहित करने का काम किया है। दो जांच कमेटियां बैठीं, एक डॉ. थरोट और दूसरी डॉ. यादव की कमेटी। दोनों कमेटियों ने कहा कि डॉक्टरों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षित पदों से वंचित किया गया है और अब इनका जो एम्स में बैकलॉग है, इसे कुछ वर्ष पूर्व पूरा नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामले को लटका कर रखा गया है। जो एडहॉक नियुक्तियां की गई हैं, उनमें अब पिछले दरवाजे से प्रोन्नति दी जा रही है और बैकलॉग को यथावत रखा जा रहा है। यह बात दो दो कमेटियां जिन्हें एम्स और सरकार द्वारा गठित की गई थी, उन्होंने अपने अपने प्रतिवेदनों में जो कहा है। उनका अनुपालन नहीं किया गया है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, वे एम्स में आत्महत्यायें कर रहे हैं। वर्ष 2009 में और हाल में अनुसूचित जाति के छात्र ने आत्महत्या की और आत्महत्या इसलिए की क्योंकि जातीय आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको मैस में एक साथ खाने नहीं दिया जा रहा है। उनको एक साथ खेलने नहीं दिया जा रहा है और उनको कम अंक दिये जा रहे हैं और...(व्यवधान) इसलिए इन दोनों छात्रों ने आत्महत्या की।...(व्यवधान) इसके साथ कुछ दिन पहले अनुसूचित जाति के छात्र ने भी जाति के आधार पर भेदभाव किये जाने के खिलाफ आत्महत्या की थी। ...(व्यवधान) अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया है उसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। कमीशन खाकर ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...[*]

MR. CHAIRMAN : Mr. Chauhan, I will call you next. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री मंगनी लाल मंडल द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, प्रो. रामशंकर, श्रीमती ज्योति धुर्वे और डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

---

[*] Not recorded.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति जी, मैं अपने आप को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं और माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ विभिन्न स्थानों में भेदभाव होता है जिसकी वजह से आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है, यह बहुत ही निन्दनीय है और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। जो कमेटियों का आदरणीय मंडल जी ने जिक्र किया है, यह सही है। एक कमेटी के बाद अनेक कमेटियां बनी हैं और सिर्फ इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिये हैं कि वातावरण को सही किया जाए क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, यहां आने के बाद आप अंदाज लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो बच्चा आता है, जैसे मीणा समाज से जो बच्चा था, जिसने पिछले महीने आत्महत्या की है, वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आता है, उनका मैरिट इतना हाई है और उसके बावजूद उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यह बड़े शर्म की बात है। अनेक जगह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पहले अनेक शिकायतें आई हैं। वर्धमान मेडिकल कॉलेज है, उसकी भी शिकायत आई है, उत्तर प्रदेश में छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज है, उसमें छात्रों को जबर्दस्ती, 26 अनुसूचित जाति के छात्र हैं, उसमें 24 को फेल कर दिया जाता है। इस तरह से जानबूझकर जो कार्रवाई की जाती है, ...(व्यवधान) मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की बात कर रहा हूं। मैं किसी राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान) यह भेदभाव खत्म होना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उठाये गये विषय के साथ डॉ.किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अपने आप को सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...[*]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति जी, जो विषय मंडल साहब ने उठाया है, ...(व्यवधान) जो पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनको जाति के नाम पर अच्छी मैरिट मिलने के बाद भी उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, मेरे पास अभी तो ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल कर दिया जाता है कि दूसरे लोगों के मुकाबले वे खड़े न हो पाएं। इतना ही नहीं अभी वहां प्रौफेसर की जो कमी है, पूरे देश के कोने कोने से जो मरीज आते हैं, वे भटकते रहते हैं।...(व्यवधान) उसमें जो भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में थी, रिक्रूटमेंट होने वाला था लेकिन जानबूझकर उसे रोक दिया गया कि अगर एम्स में आरक्षण के आधार पर उनकी भर्ती हो जाएगी तो

---

[*] Not recorded.

आने वाले दिनों में उनका प्रमोशन होगा। यह पूरे देश में एससीएसटीओबीसी के लोगों के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन में बैठे मंत्री जी को इस पर बयान देना चाहिए कि इस पर वह क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दारा सिंह चौहान द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री मोहन जेना, श्री अशोक अर्गल और श्री वीरेन्द्र कुमार जी सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): सभापति जी, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुलतानपुर के विकास खंड-करौंदी कला में स्थित विजेथुआ महावीरन धाम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विजेथुआ महावीरन धाम एक पौराणिक स्थल है तथा इस धाम के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा एवं भक्तिभाव है। मंगलवार और शनिवार के दिन इस धाम में हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं।

अत्यंत खेद का विषय है कि भारत सरकार की अमेठी-सुलतानपुर पर्यटन परिपथ योजना, वर्ष 2008-2009 के माध्यम से 171.48 लाख रुपये स्वीकृत होकर खर्च होने के बावजूद इस धाम पर श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

इस योजना के तहत पेयजल व्यवस्था के लिए 5 बोरिंग, 3 ओवरहेड टैंक का निर्माण होने के बावजूद पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है।

मकरी कुंड तथा हत्याहरण कुंड में स्वच्छ पानी भरे जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। अत्यंत गंभीर बात यह है कि पर्यटन विभाग, उ.प्र. द्वारा उक्त धाम पर लगाये गये विभागीय बोर्ड द्वारा इस धाम के ऐतिहासिक महत्व को भी गलत दर्शाया गया है जिससे स्थानीय वासियों में रोष व्याप्त है।

इस धाम के बारे में यह बात प्रचलित है कि लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी इसी मार्ग से जा रहे थे जिन्हें रोकने के लिए रावण ने कालनेमि नामक राक्षस को लगाया था, हनुमान जी ने इसी स्थल पर कालनेमि का वध किया और हत्याहरण कुंड में स्नान किया जबकि पर्यटन विभाग द्वारा लगाये गये बोर्ड पर दर्शाया गया है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेकर वापस आते समय कालनेमि ने रोकने का प्रयास किया और हनुमान जी ने इसी स्थान पर उसका वध किया।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि पर्यटन विभाग द्वारा विजेथुआ महावीरन धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवंटित धनराशि एवं उससे कराये गए विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाये और जो भी अधिकारी और कर्मचारी ने इस सूचना को वहां गलत तरीके से पेश

किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी वहां उस पर्यटन धाम के विकास में कार्य होना है, उसके लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर कार्रवाई करें।

MR. CHAIRMAN : Shri P. L. Punia is allowed to be associated with the matter raised by Shri Dr. Sanjay Singh.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, एयर इंडिया में 14 दिन से जो स्ट्राइक चल रही है और इसके बारे में गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार अहंकार में ग्रसित है। हम वेद-पुराण में देखते हैं कि रावण का अहंकार नहीं चला, हनुमान जी का अहंकार नहीं चला, कर्ण का अहंकार नहीं चला, सरकार के मंत्री जी ने 15 तारीख को जवाब दिया कि हम एयर इंडिया के सारे पायलट्स से बातचीत करेंगे और स्ट्राइक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। 14 दिन हो गए हैं, लगभग 300 करोड़ रूपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। इसमें दोष केवल पायलट्स का नहीं है। मैं मानता हूं कि पायलट्स ने स्ट्राइक की, उन्होंने गलत किया, उन्हें सरकार से बात करनी चाहिए थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ी, इसके बारे में महोदय मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं। क्या ऐसा कारण था कि वर्ष 2004-05 में केवल 350 करोड़ की इक्विटी के आधार पर 50 हजार करोड़ रूपए की खरीददारी हो गयी। हमारे यहां कहां जाता है कि उतना ही पांव फैलाइए, जितनी आपके पास चादर हो, तो किस आधार पर आपने खरीद लिया? उसके बाद उन दोनों का, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के इंट्रीग्रेशन के लिए एचआर की जो पॉलिसी होनी चाहिए था, वह एचआर की पॉलिसी नहीं बनीं। अभी धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है, पांच महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुयी है। इसके अलावा बहुत ही इंपोर्टेंट है कि चौदह दिन से यह स्ट्राइक चल रही है और एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस स्ट्राइक के बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो बनने वाली है उसके बारे में, धर्माधिकारी रिपोर्ट जो बनने वाली है उसके बारे में, पायलट्स जो भूखे-प्यासे पिछले चार-पांच महीने से बिना वेतन के काम कर रहे थे, उनके बारे में जो एयर इंडिया का टर्न एराउंड प्लान है, जो एमआरओ सैक्शन है, जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है और सरकार जो बार-बार गोबर में घी डालने का काम करती है, कभी 800 करोड़ दे देती है, कभी 1200 करोड़ दे देती है, फिर 1200 करोड़ दे देती है और अब यह 30 हजार करोड़ रूपया जो हमारी आपकी पॉकेट से जा रहा है, उसकी जो बर्बादी होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आप भूल मत कीजिये, आप अंहकार मत कीजिये, आप पायलेट्स को बुलाइये, इस स्ट्राइक को खत्म कराइये और इस देश को बचाइये।

MR. CHAIRMAN: Shri M.B. Rajesh, Shri Shivarama Gouda, Shri Anand Prakash Paranjpe, Shri Shivkumar Udasi, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Devji M. Patel, Shrimati Bhavana Gawali are allowed to be associated with the matter raised by Shri Nishikant Dubey.

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, मैं जो मुद्दा यहां उठाना चाहता हूं, यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत दिनों के बाद, बहुत लड़ाई-झंझट के बाद पश्चिम बंगाल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो बर्नपुर में आयरन एंड स्टील की जो फैक्ट्री है, उनके मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कदम उठाया था। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वहां पर जाकर इस काम को शुरू किया था। हमारे तमाम पश्चिम बंगाल वासियों और तमाम देश के लोगों को यह आशा थी कि जो बहुत पुराना यह हमारी स्टील इंडस्ट्री का क्षेत्र है, आसनसोल, बर्नपुर का, इसका नाम पूरे देश में सभी लोग जानते हैं, यह सिर्फ हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। अभी उसका काम पूरा हो चुका है, पिछली सरकार के कार्यकाल में इसकी जमीन और दूसरी सभी चीजों के बारे में पूरा फैसला हो चुका था, लेकिन अफसोस की बात है कि तमाम कार्य खत्म होने के बाद, अब केवल तीन-चार दिन का काम बाकी है। इस तीन-चार दिन के काम को पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टील मिनिस्ट्री ज्वाइंटली मीटिंग करने के बाद अगर इसका फैसला हो जायेगा तो इस मॉडर्नाइजेशन का काम पूरा हो जायेगा। 25 हजार करोड़ रूपये का मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट आज तीन महीने से वह बंद हो चुका है। महोदय, मैं चाहता हूं कि यह मॉडर्नाइजेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, झांसी से मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 76 और ग्वालियर -. .रीवां में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75, इन दोनों ही राजमार्गों की स्थिति बहुत खराब है। विशेष रूप से नौगांव के पास देवपुर तिगला के आगे स्थिति बहुत ही गंभीर है। ठेकेदार द्वारा काम प्रारंभ किया गया लेकिन छः महीने से वह काम बंद पड़ा है। इस मार्ग पर ओरछा-खजुराहो बहुत ही महत्व के पर्यटन केन्द्र हैं। यहाँ पर वाहनों का बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण अक्सर जाम लगा रहता है। 2010-11 में झाँसी से निवाड़ी-छतरपुर खजुराहो हाईवे मार्ग को फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे बनाने की स्वीकृति दी गई थी। 178 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए ज़मीन के अधिग्रहण की कार्रवाई भी हो गई। संबंधित लोगों को मुआवज़ा देने के आदेश भी हो गए थे। संबंधित लोगों को मुआवज़ा देने के आदेश के बावजूद भी इस मार्ग पर कुछ समय तक काम चला और उसके बाद से यहाँ रहने वाले लोग मुआवज़े के लिए भटक रहे हैं।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 और 76 की मरम्मत का काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराए जाने के साथ ही साथ जो फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे है जो कि ओरछा-खजुराहो में

झाँसी से खजुराहो तक जाना है, इस फोर लेन एक्सप्रैस हाईवे का काम भी शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए ताकि दुनिया भर से हमारे यहाँ खजुराहो में आने वाले पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा मिल सके। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 14.15 hours.

13.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.17 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Seventeen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

Now, we shall take up Item No. 22.

* Treated as laid on the Table.

(i) **Need to provide air connectivity to western Odisha and also renovate and upgrade Jharsuguda airstrip in the State**

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): Western part of Odisha is deprived of air connectivity since long. Earlier some chartered flights took the mission to fill the void but withdrew their operation. Connectivity to Rourkela, Jharsuguda and Ranchi would be the most viable one since both Rourkela and Jharsuguda are the industrial hubs of much importance. Ranchi is nearer to Rourkela. Both Union and State's senior officials, Business executives are facing problem to have a direct air-link with the State Capital. The Airstrip at Jharsuguda was constructed in the year 1945 during World War-II and after independence, proper maintenance was not made and it has remained dilapidated since long. However the Governemnt, of late, has taken initiatives to renovate and up-grade Jharsuguda Airship for usage as a commercial one but in order to be taken up on priority and the Hon'ble Minister is requested to intervene in both the matters for speedy action, in public interest.

(ii) Need for construction of a ring road at Kottarakkara town in Mavelikkara Parliamentary constituency of Kerala

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Kottarakkara town falls under my Parliamentary Constituency Mavelikkara in Kerala. It is also the Taluk Headquarters and heavy rush of vehicles always prevails there. People use to visit the Taluk Headquarters for their work which consequently create heavy rush and traffic congestions. So, People wait for a long time till the clearance of traffic jams to reach their destinations.

Kottarakkara Town is connected by two important National Highways i.e. Kollam-Theni and Kollam-Tirumangalam.

The need for construction of a Ring Road at the Kottarakkara Town has been felt for a long time. The vehicles and passengers cannot enter the Town easily without a Ring Road.

I, therefore, request the Ministry of Road Transport and Highways of the Union Government to take up this proposal at the earliest so that a Ring Road be constructed at Kottarakkara to ease the traffic congestion.

(iii) Need to lift ban on visit of Pakistani Hindus, Sikhs and Sindhis in certain parts of Gujarat and Rajasthan and also provide Indian citizenship to people already living in Gujarat on long term visa

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन): गुजरात और राजस्थान का बड़ा भाग पाकिस्तान सीमा से जुड़ा है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र पाटन भी सीमांत क्षेत्र से जुड़ा है । सीमांत क्षेत्र के लोगों की रिश्तेदारियां पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्र के लोगों से है ।

गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा तथा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में लाँग टर्म वीजा पर हिन्दू, सिख, सिंधियों, ठाकोर, दलित के आने पर प्रतिबंध है, इसे हटाया जाए ।

गुजरात के अन्य जिलों में पाकिस्तान से आए लोग लाँग टर्म वीजा पर रह रहे हैं । उनकी स्थिति दयनीय है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा भी इनको परेशान किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार के माध्यम से इन लोगों ने गृह मंत्रालय में गत कई वर्षों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किए हैं किंतु कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई । बहुत खेद का विषय है ।

मेरा माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर विशेष ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करें ।

(iv) Need to repair the stretch from KM. 33/8 to 36/8 of Sadras-Chengalpattu-Kanchipuram-Arakonam-Thirutani road in Tamil Nadu under Revamped Central Road Fund Scheme

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): The existing SCKAT (Sadras - Chengalpattu – Kanchipuram - Arakonam – Thirutani) Road starts from Km 44/10 of SCKAT Road and ends at Km 48/0. This road is very crucial for several villages detailed below and mostly used by the rural population whose survival depends upon this road. The damaged conditions of this road create lot of inconvenience to the people of this area and also for the pilgrims visiting the ancient temples. This road branches at Km 44/10 of SCKAT Road at Thirumukkudal and ends at km 48/0 at Thirukzhakundram. At Km 0/6 of this road a famous Narashima Temple is located. In Thirumukudal village an ancient Ranganatha Temple and Vedic Centre exists on the banks of river Palar and these are under the Archaeological Department. At Thirukzhakundram a famous Vedagirishvarar Temple also exists. This ancient temple attracts large volume of tourists throughout the year. Many villages such as Padur, Kunnavakkam, Retamangalam, Nelvoy, Puzhuthivakkam, Medavakkam, Melavaflampettai, Vallipuram, Kanikoil, Agathesvaramangalam and Thiruzhazhukundram are situated along the said road. The residents of these villages mostly depend on this road for their day to day activities.

The stretch from Km 33/8 to 36/8 is damaged heavily due to large volume of sand carrying Lorries from adjacent approved sand quarries. The present condition of this road causes much trouble to the road users and requires immediate measures to repair this stretch. The public are facing serious hardship due to the poor condition of this segment of the road.

I request the Ministry of Road Transport and Highways to consider the proposal under Revamped Central Road Fund Scheme in public interest.

(v) Need to constitute and set up Peppermint Board of India in Sultanpur, Uttar Pradesh

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): पूरे उत्तर प्रदेश में पिपर मिन्ट की 90 प्रतिशत खेती होती है । यह एक कमर्शियल फसल है, जिसकी फसल आने के बाद तुरंत बिक जाती है, परंतु फसल जिस भाव से किसानों से व्यापारियों द्वारा खरीदी जा रही है उससे कहीं ज्यादा व्यापारियों द्वारा उत्पादकों को बेची जा रही है । अगर किसानों एवं उत्पादकों का सीधा संबंध हो जाए तो किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और उत्पादकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पिपर मिन्ट की आपूर्ति हो सकेगी । किसानों को इस खेती को वैज्ञानिक ढंग से करने एवं उनके द्वारा उत्पादित माल को उत्पादकों तक पहुंचाने के कार्य को आसान करना चाहिए । पूर्वांचल में इसकी खेती सबसे ज्यादा है किंतु उनको इसकी समुचित कीमत मिल सके इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुए हैं । पिपर मिन्ट से आयुर्वेद में काफी इलाज होते हैं एवं विदेशों में काफी मांग है । आवश्यकता इस बात की है कि इस फसल को बढ़ावा मिले, उत्पादन को बढ़ाने एवं उनके लिए समुचित बाजार उपलब्ध करवाने हेतु पिपर मिन्ट बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कर इसे मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में किया जाए क्योंकि यहां के लोग पिपर मिन्ट के उत्पादन में लगे हुए हैं एवं पिपर मिन्ट का काफी उत्पादन कर रहे हैं ।

सरकार से अनुरोध है कि पिपर मिन्ट बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कर इसे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थापित किया जाए ।

(vi)Need to set up an Institute of Information Technology and Management at Nagpur, Maharashtra

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): I raise a very important matter regarding the establishment of an Institute of Information Technology and Management in Nagpur. The issue relating to the setting up of new Institutes of Information Technology and Management was considered by the Task Force which recommended for the establishment of such institutes in the Capital Cities of each State.

Nagpur, a major city also once enjoyed the status of Capital of the erstwhile State of Central Province and Berar and Madhya Pradesh but consequent on its merger with Maharashtra, it became the Second Capital of the State. Therefore, the people of Nagpur have a rightful claim to have the said Institute.

The population of Nagpur is now over 32 lakhs and the Vidarbha region is having nearly 3 crores. In view of the advancement of the Vidarbha region in the field of industry, commerce, education, health and with the coming up of the Multi Modal International Passenger and Cargo Hub (MIHAN project) and Special Economic Zone, the demand for such an institute has increased. Many public sector units such as WCL, MECL, MOIL, CICR and the presence of training institutes of international/national repute as National Academy of Direct Taxes, National Academy of Defence Production have their offices in Nagpur. There are many Universities, National Institutes as well as Private/Government engineering colleges in this city. Having these facilities the students coming out of these institutions have to look for admission in Information Technology &

Management Institutes in other States. Therefore, with a view to create the required facilities for the students in Information Technology & Management, there is the absolute need for establishment of such an institute in Nagpur. There is the need to decentralize the establishment of such institutes instead of concentrating them at the Capital cities of States.

In view of the above, I would urge upon the Government to set up an Institute of Information Technology & Management in Nagpur for the benefit of the people of the entire Vidarbha.

(vii)Need to provide funds for conservation and preservation of historical Fort at Lohagarh in Bharatpur, Rajasthan.

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : जिला भरतपुर (राजस्थान) का ऐतिहासिक किला न केवल पुरा महत्व का स्मारक है बल्कि भरतपुर का गौरवशाली इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। यह किला भरतपुर के इतिहास, यहाँ के राजा महाराजाओं की वीरगाथा एवं ब्रिटिशर्स की पराजय की अविस्मरणीय यादों से ओत-प्रोत है, जिससे भरतपुर के निवासियों की भावनायें जुड़ी हुई हैं। यह किला पुरा महत्व का होने के कारण भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के नियन्त्रण में है। पुरातत्व विभाग की लापरवाही व बजट के अभाव के कारण यह किला अपना आकर्षण खो रहा है और समाप्त होने के कगार पर है।

भरतपुर की ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है इसलिए इसके लिए 20 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता है अन्यथा यह धरोहर पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी।

इस संबंध में आग्रह है कि भरतपुर जिले की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए इसी बजट में 20 करोड़ रुपये देने की कृपा करें ,जिससे भरतपुर के गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक धरोहर लोहागढ़ किले को समाप्त होने से बचाया जा सके। हम आपके आभारी रहेंगे।

(viii)Need to expedite construction of school building of Jawahar Navodaya Vidyalaya in Amreli district, Gujarat and provide adequate facilities to teachers and students of the Vidyalaya

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिला मोटा मंडारिया नाम स्थान में जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों की सुविधा के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। महोदय यह बहुत दुख की बात है कि यह काम 2008 से चल रहा है और अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आज वहां बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे नहीं है, कोई लेबोरेट्री नहीं है। इस स्कूल में कक्षा 7, 8, 9 तक की पढ़ाई होती थी और इस बार क्लास 6 की भी पढ़ाई शुरू हो गई है और वर्ष 2011 में कक्षा-6 में 80 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कमरे नहीं हैं। कंप्यूटर की शिक्षा के लिए इस बार कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की गई लेकिन अभी तक कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, भोजनालय नहीं है, स्टाफ क्वार्टर नहीं है। इस तरह से बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षण-सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

इस स्कूल का निर्माण कार्य बहुत मंद गति से चल रहा है। अधिकारी आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं और पूछे जाने पर उचित जवाब नहीं मिलता। महोदय, इस विद्यालय के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने का संशोधित लक्ष्य 31.03.2010 था लेकिन यह भी निकल गया। इस तरह से यह काम दिन-प्रतिदिन विलंबित होता जा रहा है।

अतः बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विद्यालय के निर्माण कार्य में देरी होने के संबंध में कोई निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए और जल्द-से-जल्द इस विद्यालय के निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाए।

(ix)Need to provide financial assistance for construction of roads and bridges in Balaghat district, Madhya Pradesh

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित और अति पिछड़ा जिला है । एल.डब्ल्यू.ई. के अंतर्गत फेज-2 में निम्नांकित सड़कों, पुलियों को लिया गया है । परंतु दो वर्षों से अभी तक राज्य शासन द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है । जबकि इन सड़कों, पुलों का काम नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए शुरू हो जाना था ।

1. बालाघाट-वारासिवनी-रामपायली-तुमसर रोड़
2. वारासिवनी-कटंगी रोड़
3. कटंगी-नन्दौरा रोड़
4. खैरलांजी-अगासी रोड़
5. वारासिवनी-लालबर्रा रोड़
6. कटेदरा-तिरोड़ी-खवासा रोड़
7. रेंगाटोला-चंगेरा बेनी रोड़
8. रामपायली-गर्रा चौकी रोड़
9. देवरबेली टेमनी टोला रोड़
10. धीरी टाटीघाट-नन्दौरा रोड़
11. सतोना सुल सुली रोड़
12. डाबरी चौरिसा लांजी रोड़
13. सोन गुड्डा-मछुरदा रोड़
14. चारघाट-गोडापार रोड़
15. धटिया चूना पत्थर रोड़
16. ब्राह्मणगांव पाणगांव रोड़
17. बोरगांव अकोला रोड़
18. भुआ-पल्हेरा रोड़
19. सोन नदी पर पुल निर्माण
20. बंजर नदी पर पुल निर्माण
21. दीनी पिपरझरी पर पुल निर्माण
22. देवनदी पर पुल निर्माण

अतएवं माननीय वित्त मंत्री जी एवं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि उपरोक्त सड़कों, पुलों के निर्माण हेतु तत्काल ही वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए ।

(x) Need to abolish imposition of TDS on transmission of natural gas to industrial units in Agra, Uttar Pradesh

प्रो. रामशंकर (आगरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल गैस आधारित उद्योग-धंधे ही चल सकते हैं । उद्योगों को प्राकृतिक गैस ईंधन के तौर पर उपयोग करने हेतु निर्देश है । प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है । यह आपूर्ति ईकाइयों को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा अपनी पाईप लाइन द्वारा की जाती है । इन्कम टैक्स विभाग द्वारा इस आपूर्ति में ट्रांसमिशन के अंश पर टी.डी.एस. की कटौती धारा 194सी के अंतर्गत करने के लिए फैक्ट्रियों को बाध्य किया जा रहा है । चूंकि गैस गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा फैक्ट्रियों के गेट पर ही उपलब्ध कराई जाती है । अतः इस ट्रांसमिशन चार्ज पर टी.डी.एस. का प्रावधान लागू नहीं होता है, जो सी.बी.डी.टी. के सर्कुलर संख्या 13 ऑफ 2006 दिनांक 13.12.2006 एवं 681 दिनांक 8.3.1994 द्वारा उद्योगों पर लागू नहीं होता है । माननीय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपील संख्या 618 ऑफ 2010 दिनांक 12.7.2011 सी.आई.टी. वर्सिस कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड में भी इस विषय पर अपने आदेश में टी.डी.एस. नहीं काटने के आदेश दिए हैं । अतः मेरी सरकार से मांग है कि उद्योगों को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा की जा रही प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ट्रांसमिशन चार्ज के अंश पर आयकर विभाग द्वारा अनुचित रूप से मांगे जा रहे स्रोत पर कटौती नहीं की जाए ।

(xi)Need to set up a Mega Food Park in Meerut Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सरकार ने मेगा फूड पार्कों की योजना बनायी है । अभी 15 फूड पार्क प्रस्तावित है । जैसा कि बताया गया है कि इन फूड पार्कों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाएं निर्माण करना है । सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के वर्तमान 6 प्रतिशत के स्तर को 2015 तक 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । हापुड़ तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है । मेरठ-बागपत-ज्योतिबा फूले नगर-बुलंदशहर जनपदों में हापुड़ के चारों ओर फलों की बेल्ट है । यह मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि किसानों की जीवन भर लड़ाई वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौ0 चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकटनूरपूर मढ़ैया नामक गांव में हुआ है । यह गांव हापुड़-गढ़ रोड राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर बाबूगढ़ छावनी से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

मेरा इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह की स्मृति में उनके जन्म स्थान पर अथवा उसके निकट किसी सुविधापूर्ण स्थान पर एक मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाये जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक अनुसंधान केंद्र भी हो ताकि आलू तथा विभिन्न फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मदद मिल सके । किसानों को लाभ हो तथा नये रोजगार का भी निर्माण हो ।

(xii)Need to undertake implementation of social welfare schemes under Corporate Social Responsibility policy of Central Public Sector Undertakings in an equitable and unbiased manner

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): केन्द्रीय मंत्रालयों के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपने निवल लाभ में से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय औन अन्य विकास के कार्यो को करवाए जाने के लिए वर्ष 2011 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए थे । इसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों को सामाजिक कल्याण के कार्यो को करवाने की बात है पर दुख की बात है कि तेल कंपनियों और इस्पात मंत्रालय की कंपनियों द्वारा ऐसे कार्यों को करने में भेदभाव अपनाया जा रहा है । ऐसी जानकारी कई माध्यम से मिल रही है । साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जन लोगों के हाथ में बागडोर सीएसआर के तहत कार्यों को करवाए जाने की है, वे इसका उपयोग कर मनोवांछित क्षेत्रों में ही विकास कार्य करवा रहे है, जो न्यायसंगत नहीं है ।

मेरी मांग है कि सीएसआर के तहत सामाजिक हित के जो कार्य विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा करवाएं जाए, वह देश के सभी जिलों में समान रूप से हों और उसमें क्षेत्रीय सांसदों के सुझावों को भी प्राथमिकता दी जाए ।

(xiii)Need to convert and doubling of railway line from Saharanpur to Meerut into broad gauge and augment railway facilities in Saharanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र नगर निगम सहारनपुर में जम्मू कश्मीर तक डबल रेलवे लाईन है और मेरठ से दिल्ल तक डबल रेलवे लाईन है । आजादी के लगभग 62 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम सहारनपुर-टपरी से मेरठ तक के बीच का हिस्सा (मात्र 110 किलोमीटर) अभी तक भी सिंगल रेलवे लाईन है । उक्त समस्या के बारे में मैं लगातार तीन साल से रेल मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत करा रहा हूं, लेकिन अभी तक इस संबंध मे कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है । दिल्ली से सहारनपुर-हरिद्वार, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जाने हेतु मात्र एक रेलमार्ग है जिससे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तथा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल हरिद्वार व जम्मू कश्मीर जाने के लिए यात्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है । नगर निगम सहारनपुर एशिया का वूडेन हैंडिक्राफ्ट (हस्तशिल्प) का सबसे बड़ा बाजार है यहां पर विश्व के अन्य देशों से काष्ठ नक्काशी के समान का निर्यात काफी मात्रा में होता है ।

नगर निगम सहारनपुर में मेरठ लाइन पर स्थित देवबंद में दारूम-उलूम मुस्लिम समाज की शिक्षा अध्ययन का एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है । यहां देवबंद में विश्व से मुस्लिम समाज के छात्रों का बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवागमन बना रहता है । सहारनपुर से दिल्ली तक की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है जिसको पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है यही दूरी तक रने मं लगभग 2 घंटे का समय ही पर्याप्त है । सिंगल रेलवे लाईन होने के कारण ट्रेनों के आवागमन में बहुत ही अध्क कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे अधिकतर रेलागाड़ियों अपने समय से चार-पांच घंटे की देरी से पहुंचती है ।

मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनुपर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लगभग 40 कि.मीटर की दूरी पर है । सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र दूसरे अन्य तीन प्रदेशों उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है । सहारनपुर से देहरादून जाने के लिए रूड़की हरिद्वार से होते हुए रेल लाईन जाती है जिसके कारण दिल्ली से देहरादून जाने के लिए लगभग 2 घंटे अतिरिक्त समय अधिकतम ल्ागता है । भारत सरकार द्वारा सहरनपुर से बेहट, मिर्जापुर, विकासनगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक यात्रियों की सुविध को देखते हुए नई रेलवे लाइन बनाने की कार्य योजना बनाने एवे उसे जल्द से जल्द पूर्ण करने की आवश्यकता है ।

नगर निगम सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मात्र एक साईड से ही आने जाने की व्यवस्था है । अत्यधिक संख्या में क्षेत्रवासियों के स्टेशन के आने जाने के कारण रेलवे स्टेशन के आसपास हमेशा किसी भी अप्रिय घटना का आशंका बनी रही है । सहारनपुर रेलवे स्टेशन के द्वितीय द्वारा पर कोई पुल नहीं है जिससे यात्री दूसरी साईड से प्लेटफार्म पर सीधे आ सके और सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर द्वितीय द्वार के आरक्षण केंद्र पर मात्र एक रेलवे कर्मचारी सुबह 9 से 5 बजे तक कार्य करता है जिसके कारण वहां आने जाने वाले यात्रियों को जनरल टिकट व आरक्षण कराने में बहुत अधिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है इसलिय यहां बहुत भीड़ जमा हो जाती है । अतः उक्त आरक्षण केंद्र को डबल शिफ्ट में टिकट आरक्षण व जनरल टिकट करवाने का अनुरोध है ।

अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सहारनपुर-टपरी से मेरठ तक रेलवे लाईन का दोहरीकरण एवं उपरोक्त कार्य प्राथमिकता पर जनहित में यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें ।

(xiv) Need to enact stringent laws to ban child labour in the country

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) भारत में छः करोड बच्चे बाल श्रमिक हैं । उनका शोषण हो रहा है । उनके अधिकारों का हनन हो रहा है एवं अनदेशी हो रही है । भारत ने यूनिसेफ को अपना संकल्य दोहराया है कि भारत बाल श्रम विमुक्त हो जाएगा । बाल श्रमिकों को पटाखों, चूड़ी, सिंदूर इत्यादि अति संवेदनशीनल उद्योगों में भी लगाया जाता है । कई बार इन उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है ।

सरकारी संस्था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका प्रत्येक वर्ष आकलन करे एवं इसमें कमी लाने के लिए सरकार को उपाय सुझाए ।

मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार इस दिशा में राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाल श्रमिकों की संख्या में कमी लाने के लिए सख्त कानून बनाए एवं वर्तमान में विद्यमान कानूनों पर सख्ती से अमल करें ।

(xv)Need to review the decision to increase excise duty on clay bricks

SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): Brick industry in our country is next to agriculture particularly in rural India. It is unique in nature as it provides employment opportunities to skilled as well as unskilled labourers from villages and it is highly labour intensive. It is a small-scale/cottage industry. The people associated with the industry are facing lot of difficulties in view of the nature of industry and their inability to maintain proper accounting due to lack of awareness and knowledge. They have appealed for a compounding system based on number of kilns used for manufacturing bricks. Many times, they are facing problems due to inadequate availability of raw materials particularly in the monsoon season and stop the production. But during this period also they have to pay wages to the workers and to meet other recurring expenditure.

Adding fuel to the fire, Union Government in the Budget 2012-2013 hiked the excise duty on bricks made of clay from 1% to 2%. It will have direct impact on the construction industry besides increase in cost of construction. The poor and middle class people will become more vulnerable with the implementation of this decision.

Keeping in view of above, I urge upon Union Government to remove the excise duty on bricks made of clay and save the industry from ruin.

(xvi) Need to set up the proposed National Chhau Dance Centre at Baripada in Mayurbhanj district, Odisha

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): I am very proud to inform this august house that my constituency is home to the world famous 'Mayurbhanj Chhau Dance'. Mayurbhanj is well known as the origin place of Chhau Dance. A 'Chhau Nrutya Pratisthan' is currently working at Baripada, the district headquarter of Mayurbhanj for training, research and furtherance of Mayurbhanj Chhau Dance.

But last year the Sangeet Natak Academy under the Ministry of Culture had decided to setup a National Chhau Dance Centre at Jamshedpur in Jharkhand totally ignoring the importance of my Mayubhanj district in Chhau Dance. As a result of this decision, there had been huge resentment and protest, against this decision, among the people of my Mayurbhanj district as well as various parts of the country. Huge number of representations, against this decision and in favour of setting up the Proposed National Chhau Dance Centre at Baripada in Mayurbhanj district, had been sent by people from various parts of the country and various walks of life. But unfortunately, the Sangeet Natak Academy has not changed its above decision till now.

Therefore, I would like to request the Hon'ble Minister of Culture, through you, to kindly take necessary steps immediately to setup the Proposed National Chhau Dance Centre at Baripada in my Mayurbhanj district instead of Jamshedpur in Jharkhand. The Hon'ble Minister of Culture may also consider upgrading the existing Chhau Ntutya Pratisthan at Baripada to the Proposed National Chhau Dance Centre as it will lighten the financial burden on the exchequer.

(xvii) **Need for maintenance of water flow and tackling water pollution in Ganga and Yamuna rivers**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): यमुना नदी में हथिनिकुड में पानी के बहाव को रोकने से नयी दिल्ली में 22 किलोमीटर की लंबाई और देश का प्रमुख तीर्थ स्थान मथुरा में यमुना का पानी छूने लायक नहीं है । लोग नल के पानी का इस्तेमाल नदी के पानी की जगह मजबूरन कर रहे हैं । इसी प्रकार हाल गंगा नदी का भी है ।

अतः आग्रह है कि गंगा, यमुना नदियों के पानी का बहाव जारी रखने, नदियों के किनारे की फैक्टरियों और नाली के पानी को नदी में जाने से रोकने, शवों के दफनाने हेतु बिजली वाली मशीन लगाने और तमाम जल के प्रदूषण रोकने हेतु आवश्यक समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाये ।

(xviii)Need to expedite completion of gauge conversion work by the Rangia - Murkongseleek railway line and run two new trains proposed between Kamakhya and Tezpur as well as Rangia and Tezpur in Assam

SHRI JOSEPH TOPPO (TEZPUR): I am raising the matter regarding immense delay in completion of the Rangia- Murkongseleek gauge conversion Project of Indian Railways. Almost 11 years have been passed since declaration made for gauge conversion of this Railway line in 2002. The conversion work is on very slow pace. The Rangia-Rangapara (126 km) and Rangapara-Tezpur section Project were proposed to be completed by March, 2012. And the proposal to run two new trains between Kamakhya and Tezpur & Rangia and Tezpur which was announced in this year Railway Budget are yet to be made operational. The Rangia-Murkongseleek line is covering most of the rural, under privileged and particularly flood prone areas in Assam. Similarly, it is most important for Army and Air Force personnels' movement, as it is located along 4 Corps HQ and Tezpur Air Base including Missamari Cantonment and even-upto the Indo-Sino border. Hence, I demand upon the Government to intervene into the matter and initiate necessary action for early completion of the Rangia-Murkongseleek Railway Line and expeditiously start operation of new trains announced recently.

14.18 hrs.

RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH DEVELOPMENT BILL, 2011*

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

> "कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और इसके निगमन का उपबंध करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, भारत विश्व में सबसे युवा देश है। 120 करोड़ की आबादी में 55 करोड़ भारतीय 13 से 35 वर्ष के हैं। आज विश्व भर में भारत के सुनहरे भविष्य का कारण यही युवा भारतीय हैं। भारत जनसंख्या के लाभांश को प्राप्त करने की प्रबल संभावना वाला देश है। विश्व के अर्थशास्त्री, जनसंख्या विशेषज्ञ भारत की जनसंख्या में अधिसंख्य युवाओं के होने वाले लाभांश की महत्ता को अब समझ रहे हैं। परंतु भारत के ही एक ऐसे सपूत, एक ऐसे दृष्टा थे, जिन्होंने इसके महत्व को तीन दशक पूर्व ही समझ लिया था और इस वर्ग को मानव संसाधन "ह्यूमन रिसोर्स " की संज्ञा दी और इसके विकास के लिए, इसके संवर्द्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1985 अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कर डाला। शायद भारत के यह दृष्टा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री सशक्त भारत के युवाओं को 21वीं शताब्दी में ले जाने का सुखद सपना दिखाने वाले श्री राजीव गांधी अपने कर्म एवं सोच से अपने समय से कहीं आगे थे। उन्हें भारतीय युवाओं पर अपार विश्वास था। पांच वर्ष के अपने छोटे से कार्यकाल में, 1988 की प्रथम युवा नीति, मतदाता उम्र सीमा इक्कीस वर्ष से घटा कर अठारह वर्ष करना, नयी शिक्षा नीति, पंचायती राज की परिकल्पना में युवाओं की जगह सुनिश्चित करना, अपने आपमें अनेकों दूरगामी प्रभाव वाले कार्यों में कुछ ही है। दुर्भाग्यवश, आज ही के दिन इक्कीस वर्ष पूर्व, 21 मई को यह द्रष्टा, युवाओं के सुनहरे सपनों की परिकल्पना करते-करते देश के सुदूर दक्षिण श्रीपेरुम्बुदूर, तमिलनाडु में चिर निद्रा में सो गए।

इसी स्थान पर जहां उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी, उसी भूमि पर उनके सपनों को साकार करने हेतु इस विधेयक के द्वारा 'राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान' को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित कर इसके निगमन का उपबंध करने के प्रस्ताव पर समर्थन के लिए मैं निवेदन करने खड़ा हुआ हूं।

---

* Moved with the recommendation of the President.

अभी इस संस्थान में पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रम चल रहे हैं तथा बारह छात्र, युवा मामलों से संबंधित शोध में संलग्न हैं। संस्थान अब तक बाइस शोध प्रपत्र जारी कर चुका है। परन्तु, यह महसूस किया गया कि इतने विशाल देश की विशाल युवा शक्ति के कौशल का संवर्द्धन करने के लिए एक थिंक टैंक/चिंतक समूह विकसित करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से राष्ट्र को संवेदनशील एवं शोधजनित युवा नीति एवं कार्यक्रम प्रदान किया जा सके।

भारत में 39 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त है जिनमें 35 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, तीन चिकित्सा क्षेत्र में और एक भाषा के क्षेत्र में है। जाहिर है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन "भारतीय युवा" के विकास के क्षेत्र में एक भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं है।

इस दिशा में 28 मार्च, 2011 को एक मेंटॉर ग्रुप की स्थापना की गयी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं से संबंधित कार्य कर चुके प्रबुद्ध विशेषज्ञों को रखा गया। एक वर्ष पूर्व, मई 2011 में प्रस्तुत मेंटॉर ग्रुप की रिपोर्ट में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान' के कार्यक्रमों को भारत के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के अनुरूप विस्तृत किया गया। साथ ही, इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी घोषित करने की सिफारिश की गयी है।

मेंटॉर ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक के क्लॉज 6 में उद्देश्य तथा क्लॉज 7 में संस्थान के कृत्य वर्णित हैं। मेंटॉर ग्रुप ने नए प्रारूपों में चार डिवीजन्स, नौ सेंटर्स, एवं आठ विभागों की परिकल्पना की है। ये विभाग हैं -

1. Department of Youth Development;
2. Department for Socially and Economically Disadvantaged Youth Development;
3. Department of Tribal and North East Youth Development;
4. Department of Livelihood Development;
5. Department for Differently-Abled Youth Development;
6. Department of Training and Orientation;
7. Department of Documentation and Publications; and
8. Bureau of Youth Statistics and Analysis

नए प्रारूप में "युवा विकास" में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (M.A. in Youth Development) इस संस्थान का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। 200 स्नातकोत्तर, 200 डिप्लोमा एवं 50 शोध छात्रों को शिक्षित करने की परिकल्पना की गयी है।

हमें विश्वास है कि यह संस्थान केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए युवा उन्मुख नीति व कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त उनके मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा।

मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस विधेयक का समर्थन करते हुए सात क्लॉजेज़ में परिवर्तन करने को कहा है। हमने लगभग सभी सिफारिशों को मान कर संशोधन भी मूव कर दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को इस सदन के सामने रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और इसके निगमन का उपबंध करने तथा इससे संसक्त या इसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं आज अपनी तरफ से और इस सदन के सभी सदस्यों की तरफ से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।

आज मंत्री जी राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2012 को लेकर सदन में आए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसका अवश्य जवाब देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा शक्ति देश की रीढ़ होती है। 55 करोड़ लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। 121 करोड़ की आबादी में यह बहुत महत्व रखता है। युवाओं का योगदान अगर हम स्वतंत्रता के पूर्व ले लें, जब हम गुलामी के समय से गुजर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे क्रान्तिकारी नौजवान थे, सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल साहब, ये सभी लोग युवा क्रान्तिकारी थे और देश की उस समय जो लड़ाई हमारी अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी, इनसे प्रेरणा लेकर हमारे करोड़ों जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें आजादी मिली। उससे पहले स्वामी विवेकानन्द जी को हम एक आदर्श के रूप में मानते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के अन्दर एक प्रेरणा भरी, उनकी किताबें पढ़ते हैं तो रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। यह हालांकि अलग बात है कि उसकी प्रेरणा को लेकर आज बहुत लोग दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं और उन प्रेरणाओं को नहीं लेकर चलते हैं।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने विज़न 2020 बनाया था, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए यह नहीं लगता कि उन्होंने जिस विज़न के बारे में बात की थी, वह विज़न साकार हो सकेगा। India is not poor, but Indians are poor. भारत गरीब नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं। हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, नैचुरल रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास अनेकों ऐसी चीजें हैं, जिनका कि उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनका गलत तरीके से उपयोग करना नेशनल रिसोर्सेज़ को खराब करना, उसकी कालाबाजारी होना, ये सभी कारण हैं, जो हमारे उस विज़न 2020 में बहुत बड़े बाधक बनकर आये।

हमने अपने युवाओं को देखा है, बहुत सारे हमारे अच्छे नौजवान यहां से पढ़-लिख कर, शिक्षा पाकर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि, वहां पर उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। Mr. Minister, Brain drain in our country is a big problem. हम यह जो यूथ पॉलिसी लेकर आये हैं, क्या हम इससे उनको प्रेरित कर पाएंगे, इस प्रकार का हम उनको कोई आश्वासन दे सकेंगे, जो हमारे नौजवान विदेशों में चले जा रहे हैं कि उनका जाना रोक सकें। उनको अच्छी सैलरी मिलती हैं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। जहां कहीं भी अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लोग बाहर अवश्य जाएंगे, लेकिन क्या हम अपने देश में इस प्रकार का काम, इस प्रकार की

सैलरीज़ नहीं दे सकते कि हमारे देश का जो ब्रेन बाहर जा रहा है, एक से एक बढ़कर आई.टी. के इंजीनियर्स हैं, कम्प्यूटर के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब की मांग विदेशों में बहुत है। वे हमारे देश में काम न करके विदेशों में जा रहे हैं। इन इंजीनियरों को रोकने के लिए कि वे अपने देश में कार्य करें, मंत्री जी, आपके माध्यम से उनको रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है, यह मैं जानना चाहता हूं?

आज हम महिला सशक्तीकरण की बात अगर देखें तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारी दो भारतीय महिलाएं, जिनमें से एक स्वर्गीय कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स नासा में जाकर कन्धे से कन्धा मिलाकर उन अमेरिकन एस्ट्रॉनॉट्स के साथ बैठकर अंतरिक्ष में गई थीं। ये लोग हैं, यदि हमारे पास उपाय हों, साधन हों, जगह हो तो हम अपने ऐसे देश के होनहार बच्चों को यहां पर रोक कर उनका उपयोग कर सकते हैं। आज आप यह बिल लेकर आये हैं, इस बिल में ऐसी अनेक खामियां मुझे दिखती हैं, लेकिन मैं इसके विरोध में नहीं हूं, आपने मेंटोर कमेटी बनाई थी, सरकार ने ही बनाई थी, स्टेंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन ऐसी काफी चीजें हैं, जो इसमें आपने नहीं ली हैं, जो वृहद रूप में, जो एक बड़ा रूप इस बिल में होना चाहिए था, वे दिखाई नहीं देतीं। बहुत संक्षेप में जगह-जगह पर आपने लिख कर हमारे सामने दिया हुआ है।

आप यह भी जानते हैं कि युवा अगर दिग्भ्रमित हो जाए तो समस्यायें भी बहुत होती हैं। जब हम इन बड़े-बड़े लोगों के नाम की बात करते हैं जिनको हमने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद आदर्श माना है, लेकिन हालिया स्थिति अगर हम देखें, हमारे एक साथी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी राज्य सभा में मनोनीत किए गए, क्योंकि लोग उनको एक आदर्श मानते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर जिस खेल को खेलते हैं, लोग उसको देखते हैं, बच्चे उससे सीखते हैं और समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जिस खेल को अपने देश में धर्म की तरह माना जाता है, जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, जो नौजवान हैं, जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, इस तरह की घटनाएं जो पिछले एक सप्ताह या दस दिन से हम देख रहे हैं, उससे हमारे नौजवानों के मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? रेव पार्टीज होती हैं, अलग-अलग घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उससे आगे हमारे नौजवानों की, हमारी आगे आने वाली जो पौध है, फसल है, इसका क्या होगा? इसकी रोकथाम के लिए हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं? वह चरित्र निर्माण, क्या यह सब अश्लील चीजों को देखकर, एक खेल के मैदान में अनुशासनहीनता को देखकर, इसका प्रभाव हमारे नौजवानों पर किस प्रकार से पड़ रहा है? यह एक गंभीर मामला है, आप युवाओं के ही नहीं, युवा मामलों के ही नहीं, आप खेल के भी मंत्री हैं। युवाओं के लिए खेल, कला, आर्ट,

कल्चर ये सब ऐसी चीजें हैं, जो उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकती हैं, लेकिन खेलों में ही इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब वे जवाब दे रहे होंगे तो इस विषय पर वे अपनी टिप्पणी अवश्य करें।

आदरणीय टैगोर जी ने कहा था, "Age considers; youth ventures." An idle mind is the devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके माध्यम से हमारे देश में आपने संख्या बतायी कि 55 करोड़ लोग 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, क्या इन सबको हम इस बिल के माध्यम से सपोर्ट कर पायेंगे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह संख्या बहुत ज्यादा है? यह संख्या कोई हजार, दो हजार, पांच हजार, एक लाख या दस लाख की नहीं है, आपने जितनी जगह बतायी है, उसमें मेरे ख्याल से पांच से दस हजार बच्चों के ऊपर इसका फायदा होगा। आपने अपने बिल में भी यह कहा है कि जगह-जगह पर हम जमीन लेंगे, जो डोनर्स हैं, वे देना चाहें, तो वे दे सकते हैं, टेस्टेटर्स देना चाहें, वे दें, लेकिन आजकल तो लोग जमीनें दूसरे कार्यों के लिए नहीं दे रहे हैं। खादी भंडार की जो जमीनें थीं, खादी भवन की जो जमीनें थीं, उसे लोग वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनको उसका उचित किराया नहीं मिल रहा है या फिर इन संगठनों से वापस ले लिया गया है। हम आगे किस प्रकार से लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि वे हमें इसके ऊपर जमीन दें। आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इतने बड़े-बड़े करोड़ों रूपए के स्टेडियम्स बनें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि क्या-क्या घोटाला हुआ, लेकिन वे सारे स्टेडियम्स बेकार पड़े हैं, खराब हो गए हैं। तालकटोरा स्टेडियम में खेल के कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। ...(व्यवधान) यह मुझे नहीं मालूम था कि निर्मल बाबा भी वहां गए थे। मंत्री जी, मैं आपकी भावना, आपके स्टेटमेंट्स देखता रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आपकी सोच अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, लेकिन मंत्री जी क्या कहूं, आपके पास ताकत ही नहीं है कि आप कुछ डिलेवर कर सकें। आप बाउंडेड लेबर की तरह हैं, एक मंत्री बाउंडेड लेबर हैं। ...(व्यवधान) वह जानते हैं कि मैं किस मामले को लेकर कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि आप बड़े अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

महोदय, अब मैं इस बिल पर आता हूं। मेंटर ग्रुप की तरफ से रिकमंडेशंस हुयीं, जिसे सरकार ने बनाया था। स्टैंडिंग कमेटी ने भी उनका समर्थन किया था। उसके पहले एक टंडन कमेटी थी। टंडन कमेटी ने आपकी संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी में से निकाल कर कहा था कि सब कुछ गड़बड़ है। …(व्यवधान) मेन्टर कमेटी आई। मेन्टर कमेटी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरित थे। एक लुकींग लंदन था तो दूसरा टॉकींग टोकियो था। इस प्रकार के विचार इसके अंदर आए। इसमें कलाजेज 6 एवं 7 पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो मेन्टर ग्रूप ने अपने रिकमेन्डेशन में और स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेण्डेशन में, आप पेज 3 पर जाएंगे तो क्लाउज 6 **:**

"The objects of the Institute shall be, --

(a) to evolve and achieve an integrated approach to youth development;
(b) to establish a National Youth Resource Centre;
(c) to provide for research and development and dissemination of knowledge through extension and outreach programmes;
(d) to act as a nodal agency for capacity building of stakeholders including youth bodies, organizations and agencies relating to youth"

इस प्रकार से आपने छः प्वाइंट्स ले लिए हैं। आपको जो रिकेमेंड किए गए थे जो यहां पर है उसका मैंने शॉर्ट किया है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इस्टिट्यूट्स, मेन्टर ग्रूप आपके ग्यारह लोगों की समिति बनाई गई थी उसमें इसको बड़ी एक्सटेन्सिवली, कंप्रीहेन्सिवली इस चीज का बयान किया है। यदि मैं एक-एक लाइन को देखूं तो इस बिल को पास करवाने के माध्यम से इसमें हम जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं वह उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं होता है।

श्री अजय माकन : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने भी यह कहा कि मेन्टर ग्रूप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे as it is लेना चाहिए। हमने संशोधन कर दिया है। हमने जो संशोधन मूव किया है अगर आप उसे देखेंगे तो बिल्कुल वही किया गया है जो ऑब्जेक्टिव 6(a) में कहा गया है हमने उसको चेंज कर दिया है और संशोधन के अंदर हम लोगों ने डिटेल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। मेन्टर ग्रूप और स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा उसे हम लोगों ने as it is इम्पलिमेंट कर दिया है। आपने जो संशोधन कहा है वह हम लोगों ने मूव कर दिया है।

श्री कीर्ति आज़ाद : मंत्री जी, धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि मेन्टर ग्रूप ने क्लाउज 6 में ए, बी, सी, डी इन चारों के लिए कहा था यदि ए अप्रूव कर दिया है तो मैं बी, सी, और डी की बात कर सकता हूं।

श्री अजय माकन : मैं समझता हूं कि एक बार आप संशोधन देख लें फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप एक बार संशोधन देख लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोगों ने संशोधन बड़ा विस्तार से दिया है। हम लोगों ने इसे सेक्रेटेरियट को दिया है। आपके पास जरूर सर्कुलेट हुआ होगा। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ए, बी, सी और डी सभी संशोधन कर दिए गए है तो आपके माध्यम से इन्हें धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समर्थन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : इन्होंने जो इक्जेक्यूटिव काउंसिल बनाई है। इन्होंने उसका कंपोजिशन दिया है। यह खुशी की बात है। इन्होंने जो एकेडमिक कमेटी की बात की है उसका रोल तो डिफाइन किया है लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होगा उसके बारे में हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है।

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इसका भी संशोधन हमने मूव कर दिया है। ...(व्यवधान) डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा था कि मेन्टर ग्रूप की रिपोर्ट के अन्दर एकेडमिक काउंसिल की और फाइनेन्स कमेटी की इन दोनों की कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में कहा गया था। हम लोगों ने जो पहले विधेयक मूव किया था उसमें हमने कहा था कि स्टैचूट के द्वारा यह डिफाइन किया जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने कमेटी की रिपोर्ट और मेन्टर ग्रूप की रिपोर्ट को मान कर संशोधन मूव किया है। हम लोगों ने 18 सदस्यीय एकेडमिक काउंसिल और 7 सदस्यीय फाइनैन्स कमेटी इन दोनों की व्यवस्था बिल में कर दी है। हमने इसका अमेंडमेंट मूव कर दिया है। ...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : यदि यह सर्कुलेट कर दिया गया होता, ...(व्यवधान) अमैंडमैंट सर्कुलेटेड है, अमैंडेड बिल सर्कुलेटेड नहीं है। यह यहां आकर अपने मुंह मिया मिट्ठू बनना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, वह मैंने सब कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि जो-जो मैं इनसे कह रहा हूं, वह यह मान रहे हैं कि इन्होंने किया है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी को शाबाशी देता हूं कि इन्होंने किया। फिर यह भी तय ही होगा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने आपकी काफी बात मान ली है, इसलिए अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : अभी मैंने शुरू ही किया है।...(व्यवधान) यह काफी महत्वपूर्ण बिल था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शुरू नहीं है, बहुत समय हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : फिर आपने रिप्रैजैंटेशन ऑफ वूमैन, एससी एंड एसटी, फिजिकली डिसएबल्ड, रीजनल आदि जो डैफीशिएंसी बिल में थीं, वे भी डाल दी होंगी। वैरी गुड। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, लगता है कि मंत्री जी और सांसद महोदय के बीच कोई टैलिपैथी का रिश्ता है।...(व्यवधान) जो उनके मन में है, वह उन्होंने अलग से जान लिया और जो वे चाहते थे, वह उन्होंने कर भी दिया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये एक मुश्त बोल दें कि समर्थन करते हैं और बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनके बोलते ही वे कहते हैं कि मैं यह करके लाया हूं, तो अंदरखाने मंत्री जी और सांसद का कोई टैलिपैथी का रिश्ता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपस की बात मत खोलें। वे बोल दें कि समर्थन करते हैं और बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : अगर सरकार और विपक्ष इसी प्रकार से काम करते रहें, हमने खेल पर जो आपत्तियां उठाईं, इसी तरह करते रहें तो हंसी-मजाक में सब काम अच्छा होता जाएगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लक्षण अच्छा है, आगे ऐसा ही होगा।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति आज़ाद : मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पूछ रहा था। मैंने यहां जो देखा और वह आवश्यक भी था। सारी चीजें इनकॉरपोरेट कीं, अगर ये वाली न की होती तो मुझे बहुत आपत्ति होती। बिल के माध्यम से पार्लियामैंट में जितने भी इंस्टीट्यूशन्स सैट-अप किए जाते हैं, हमने देखा था कि उनके एकाउंट्स यहां सबमिट किए जाते हैं। ऐसा प्रावधान इस बिल में नहीं था। लेकिन मुझे खुशी है...(व्यवधान) I am not yielding. मैं आगे आपकी बात कह देता हूं। अगर इसके एकाउंट्स यहां नहीं रखे जाते, क्योंकि एक अखबार जो दक्षिण से चलता है, उसमें इसी इंस्टीट्यूट के बारे में 20 करोड़ रुपये की धांधली का मामला आया था। मुझे आज प्रसन्नता है कि आप ऑथैंटिसिटी बढ़ाने के लिए इस बिल को पार्लियामैंट में पेश करेंगे, उसके एकाउंट्स को पेश करेंगे और वह पार्लियामैंट से पास होगा। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूं।

आप यह बिल लेकर आए हैं। आपने मेरे भाषण को बहुत छोटा करवा दिया। मैं अपनी ओर से इसका समर्थन करता हूं। जो संशय थे, वे वैसे ही खत्म हो गए। बाकी सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे।

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Mr. Deputy-Speaker, Sir I would like to thank you for giving me this opportunity to participate on the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011. I am also very grateful and privileged to our President, Shrimati Sonia Gandhi, and our Chief Whip, Shrimati Girija Vyas, for giving me a chance to express my views on this very important Bill which depicts the future of the youths of this great nation.

Sir, it is a very sad but auspicious day for all of us that on this day itself our beloved Leader became a martyr, the one and only great *Bharat Ratna* Shri Rajiv Gandhiji. But before speaking on this Bill, I would like to give a small glimpse of what his contributions were there to us, to the youth and to the future of India, also especially to my own areas also, the North East.

I would just like to mention that our beloved leader had always thought and he always knew that the youth is the backbone of our country in all sense – let it be in the way of development, in the way of information technology or in the mobile sector and in the interactions with the foreign nations. So, the vision that he had for the country is one which all of us can never forget even in the future. He wanted and had a dream of India being self-reliant, self-dependent, wanted to have international relations with all the countries.

Born on 20th August, 1944 to Shri Feroze Gandhi and Madam Indira Gandhi, doing his education in the Doon School, in Cambridge and then in London, he joined as an apprentice pilot in the Indian Airlines. But because of the sudden demise of his late mother, he had to join politics. In fact, he took the reins of administration on 31st August, 1984. After that, he came back with a thumping majority showing that the youth were behind him, having won 401 seats where only 500 seats were contested by the Congress Party. That itself showed the faith of the people of this country reposed on him.

In fact, Shri Rajiv Gandhi was convinced that the future of India lies in the technological modernisation, maintenance of agriculture. He introduced, in fact, the Technology Mission during that period. In fact, his cherished dream was to

take India into the 21st Century free of poverty and exploitation. His ambition for diversified rules in computers and also decentralisation of the Panchayati Raj are some very important factors where we can remember him by being the fighting force behind the Indian system of administration.

In fact, Shri Rajiv Gandhi had confidence on the youth. That is why, he gave empowerment to the youth by making the age of voting right from 21 years to 18 years. We have always witnessed his management of foreign relations in the SAARC, NAM Summit. In fact, his participation in the apartheid movement, taking part to establish the African Fund itself showed that he had the love and affection for all the people – not only for the people of this country but also for the people of the world itself.

Here, I would like to give a small reference to the North-East where some very important Accords were there. He gave us the Indira Gandhi Research Institute of Medical Sciences in Shillong, the very famous Mizoram Peace Accord where the MNF leader Shri Laldenga was brought into the mainstream. That is the reason why the hon. Member from Mizoram Shri C.L. Ruala is here. We have the everlasting peace in Mizoram, especially in a very vital State which is just bordering Bangladesh and Myanmar.

Also, the Assam Accord with AASU gave a lot of developments for taking up the Numaligarh Refinery Limited. Then, there is the Gas Cracker Plant which is just coming up. Then, there is the University of Silchar and Tezpur. But I would also like to mention about his way of working even as the Prime Minister when there was a huge flood in Assam, how he travelled from Dibrugarh to Guwahati by road. He travelled with the beloved leader, our President, Madame, Shrimati Sonia Gandhi. This distance is about six hours by road. But he really wanted to see the practical things, the difficulty the people face in the North-East. That love and affection, we can never forget in the North–East.

Coming back to the Bill, I would like to inform the House that like our very renowned and experienced speaker, who himself is a cricketer, stated, we had

very good interaction with the hon. Sports Minister. Everyone in this House was saying that if every Bill or any kind of problem that come up before Parliament, if we could take up them in a family and cordial way, most of the Bills and problems that we face could be solved very easily.

Like you had said while giving reference to the youth, the backbone of the country, we have 50 crores of youth, we may not be having so many institutions. It is true. Like you have said, I would also agree with you that there is a lot of brain drain. But we have institutions like the Academy for Scientific and Innovative Research, which is a part of the CSIR, where children are being groomed; they are being given preference and facilities where children could be educated, specially in the fields of medicine and other sciences.

In this case, I would like to contradict. This is the system where we are trying to get the youth involved not only in studies but also in co-curricular activities like sports. The process that have been given in this Bill shows that this Bill is of a very important nature. Specially, when we can see that the Advisor is the President of India, himself or herself. This shows how much importance the Government is taking to make it an institution of national importance. This itself shows how much the Government and the Ministry of Youth Affairs are taking deep cognizance of it.

I have not much to say because this Bill itself has been introduced in Lok Sabha by our hon. Minister, Shri Ajay Maken. I really think that this Institute which has come up in Kancheepuram should not only be self-centered there, like my very learned friend has said, we have to take up issues of the backward classes, women folk; we have to give importance to other areas, especially in the North-East or places like Chhattisgarh or Odisha, Bihar, West Bengal where the youth are being misguided. They have taken the wrong track. This kind of Institute and their branches should spread out throughout the country. I am requesting the hon. Minister of Sports and Youth Affairs that this kind of institutions should really be spread out throughout the country.

Like our learned friend has said, one institute cannot rectify all the vices of the youth throughout the country. But in some cases, when the hon. Member referred about the IPL and incident which just occurred, it is very unfortunate that these incidents occured. I know that the hon. Minister also has stated that it is not in his knowledge. These are very specifically individualistic issues which had come up. I know that and with due respect and regard to the media, we don't want to make it a very big issue. But it is an issue of self-centered individual persons because our Minister himself has stated and gave a clarification this morning and made his stance very clear.

Of course, about our BCCI also, it has been made responsible and they have been asked to pay their dues and also tax that we have got from our Cricket Board itself shows that he is really taking some interest in it. Sir, the hon. Member from the other side mentioned about some issues which have been raised in the Standing Committee and he specially mentioned about the 'mentor group' and also about Clauses 6 and 7 of the Bill. The hon. Minister has said that they have already been covered and suitable amendments have been proposed. The Standing Committee advised about composition of an Academic Council and a Finance Committee. They have also been included in the Bill. It is stated in the Bill that the Annual Report and the Audited Accounts of the Institute shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament. I think it is very important because this Institute has to be given its due honour and regard. From the North East, we are really very grateful to the family of late Shri Rajiv Gandhi and setting up a national institute in his name is a very big achievement for all of us.

I hope the entire House commends this Bill, with the amendments proposed by the hon. Minister. With these words, I support the Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान बिल, 2011 पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कीर्ति आज़ाद भाई की बातों को सुन रहा था। सबसे पहले मैं देश के तत्कालीन युवा प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि जब राजीव जी देश के युवा प्रधान मंत्री बने तो युवाओं के मन में बहुत सी आशा की किरणें जगी थीं और उन्हें उनसे काफी उम्मीदें थीं। उनके अनुरूप और युवाओं की बेहतरी के लिए उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत कुछ किया।

14.57 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

सदन में चर्चा के दौरान यह बात भी आई कि 18 वर्ष के आयु में युवाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू करके, उसमें भी खासकर युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम राजीव जी ने किया। यह भी सच है कि आज देश में 55 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, जिनके कंधों पर देश का भार है और जो देश के भावी कर्णधार हैं। उनके बारे में जो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास बिल यहां पेश किया गया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। यह राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है।

राजीव जी ने 21वीं सदी का सपना भी देखा था। मुझे याद है कि जब पेरुम्बुदूर में उनकी मृत्यु हुई, तो उससे कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे क्षेत्र कौशाम्बी में एक जनसभा को सम्बोधित किया था। मैं दो बार कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य रह चुका हूं इसलिए मुझे उनके काफी नजदीक होने का मौका भी मिला है। जब मैं पहली बार 1985 में चुनाव जीता था तो वह इलाहाबाद के के.पी. कालेज में आए थे और मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा था कि मैं इनके साथ हूं, इनकी पांच पीढ़ियों से हमारा सम्बन्ध रहा है। शायद सोनिया जी को यह मालूम नहीं है कि मेरे नाना-दादा से भी पहले का हमारा गांधी परिवार से सम्बन्ध रहा है। कभी कोई मौका आएगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या सम्बन्ध रहा है।

युवाओं पर चर्चा चल रही है तो हम देखे कि हमने इसी सदन में अनिवार्य निशुल्क शिक्षा पर भी चर्चा की थी। आज सुबह प्रश्न काल में बेरोजगारी के ऊपर काफी चर्चा हुई। ये सब मामले युवाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफी विकट है। मेरे ख्याल से 45 से 50 प्रतिशत आज कुपोषण के शिकार हैं। बालयोन शोषण की शिकायतें दिन-प्रतिदिन मिल रही हैं और बाल मजदूरी बढ़ती जा रही है। खासकर हमारे मुस्लिम तबके में वह बहुत ज्यादा है। युवक मंगल दल की स्थिति की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह तालुका स्तर पर है। हमारे ग्रामीण स्तर पर बहुत सी प्रतिभाएं हैं, जो अपने इलाके के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं।

15.00 hrs.

उनकी प्रतिभा आज दबी की दबी रह गई है और उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेहरू युवा कल्याण केंद्र आपने गठित किया है। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया है। आज जिलों और जनपदों में आप खेल मैदान और ग्राउंड देख सकते हैं, लेकिन केवल क्रिकेट के लिए बनाए गए हैं। प्रांतीय सरकारों और केंद्र सरकार ने केवल क्रिकेट पर ध्यान दिया है और हम मेज थपथपा कर स्वागत भी करते हैं, लेकिन आप अगर ग्रामीण स्तर के खेलों को देखें, चाहे वह कुश्ती हो, कबड्डी हो, जिसमें हमारे खिलाड़ी स्वर्ण पदक ले कर आए हैं और देश का नाम रोशन किया है। आप राष्ट्रीय खेल हाकी को देख सकते हैं। इसमें कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हुए हैं, आप ध्यान चंद जी का नाम ले सकते हैं। इन्हें हम हाकी का जादूगर कहते थे। आज ये खेल दिन-प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहे हैं। कहीं भी इनका कोई सम्मान नहीं रह गया है। आज आईपीएल के लिए कीर्ति आजाद जी ने कहा और मैंने भी मामला उठाया था। आज देश का सम्मान और गौरव को नष्ट किया जा रहा है। अभी काले धन पर किताब पढ़ रहे थे, आज हमें श्वेत पत्र मिला, लेकिन उसमें विशेष बात नहीं कही गई और न ही किसी संस्था का नाम लिया गया। पूरे आईपीएल का पैसा, काले धन का पैसा इसे श्वेत धन में तब्दील कर दिया गया। खिलाड़ियों पर व्याभिचार के आरोप लगे हैं। कोकीन लेने तक के समाचार आए हैं। खिलाड़ी मुम्बई में नशे की हालत में पकड़े गए। हमारे देश में यह क्या हो रहा है? हमने क्रिकेट में वर्ल्ड कप दो-दो बार जीता है, लेकिन इस कारण हमारे देश का सम्मान गिर रहा है। मैं बीसीसीआई से कहूंगा कि कठोर कदम उठाए और इस मामले को पुलिस को सौंपे। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे खिलाड़ियों पर पाबंदी लगनी चाहिए।

मैं बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर ऐसे खेल जो विलुप्त हो रहे हैं, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए, सशक्त कीजिए और उन्हें धन दीजिए। बहुत-सी ऐसी प्रतिभाए हैं, जो ग्रामीण स्तर पर खेल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से कम नहीं हैं। उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए और आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहिए। आप दूसरे देशों में देखें कि खिलाड़ियों पर सरकार पूरा पैसा खर्च कर रही हैं। उनके रहने से ले कर खाने-पीने तक, कसरत के लिए हर चीज की सुविधा दी जा रही है, लेकिन हमारे यहां जब उनके खेल का समय आता है, तभी उन्हें सुविधाएं देते हैं। इस तरह से हम कैसे विदेशों में खेल कर स्वर्ण पदक ला सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में विशेष ध्यान दें, तभी यह संस्था जो राजीव गांधी जी के नाम से बनाई है, उनके सपनों को तभी साकार कर पाएंगे, जब इस तरफ विशेष ध्यान देंगे।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि आज आतंकवाद विरोधी दिवस हम मना रहे हैं और साथ ही पूरा देश भी मना रहा है। इस क्षेत्र में काफी योगदान करने वाली इस देश की हस्ती ने आज से इक्कीस वर्ष पहले अपनी शहादत दी थी।

सभापति महोदय, 55 करोड़ युवाओं की बात हम एक साथ कर लेते हैं और बिल ला कर आप इसे जो राष्ट्रीय ताकत देने जा रहे हैं, यह काफी अच्छा काम है। मैं कहना चाहता हूं कि थ्योरी और प्रेक्टीकल में थोड़ा अंतर करने की जरूरत है। हम लोग तो पहली बार के सांसद हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि थ्योरी पर काम ज्यादा और प्रैक्टिकल पर काम कम हो रहा है। थ्योरी मैंने इसलिए कहा, प्रैक्टिकल इसलिए कहा कि एक रिक्शा चलाने वाला जब दिन भर में रिक्शा चलाता है तो 200 रुपये कमाता है। टैम्पो अगर खरीद लिया तो 500 रुपया रोजाना कमाता है। अगर स्कॉरपियो गाड़ी खरीद ली तो 1000 रुपये कमाता है और अगर कहीं ट्रक ले लिया तो 2000 रुपये कमाता है। लेकिन थ्योरिकल जहाज सरकार खरीदती है तो हम घाटे में जा रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल और थ्योरी में अंतर है। आपके जहाज घाटे में जाते हैं लेकिन श्रम करने वाला वह गरीब आदमी रिक्शा चलाकर भी 200 रुपये कमा लेता है। यह जो संस्थान आपने बनाया, इसको प्रैक्टिकल में ले चलिये। 55 करोड़ नौजवान की हम बात करते हैं और सही में अगर देखा जाए तो यहां जो हम सांसद आए हैं, जब हम लोग कक्षा 2, 3 और 4 में पढ़ते थे तो एक पीरिएड खेल का हुआ करता था और उसके बाद आज वह एक मजाक सा बन गया है।

जितने प्राइवेट सैक्टर के विद्यालय हैं, कहीं भी खेल को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। .यह कहा जाता है कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा और जिस देश का स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क हो जाए तो वह देश मजबूत देश हो जाएगा। 13 वर्ष के पहले स्वाभाविक है कि बच्चा मां की गोद में रहता है। केवल भारत के नौजवान के पास 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का समय उसके पास है जो वह कुछ बन सके लेकिन इस 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के नौजवान के साथ हम आजादी के बाद जो कर पाए हैं, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ज्ञान और विज्ञान दो चीजें हैं। विज्ञान कहता है कि शरीर के सभी अंगों में अगर जीभ को चोट लग जाए तो सबसे पहले ठीक होगी। यह विज्ञान कहता है लेकिन ज्ञान कहता है कि शरीर के पूरे अंगों में अगर जीभ की चोट, भाषा की चोट किसी को लग जाए तो वह कभी नहीं ठीक होती है। यह ज्ञान कहता है और वह विज्ञान कहता है।

हम अपने देश के नौजवान को ज्ञान दे रहे हैं या विज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले इन सभी संस्थानों को इस पर विचार करना होगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने

कहा था कि वे लोग मूर्ख हैं जिन्हें मनुय में भगवान नहीं दिखते हैं। यह बात देश के नौजवान के बीच में कब जाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस देश का नौजवान बेकार होगा, उस देश का भला नहीं हो सकता। यह बात इस देश के नौजवान के बीच में कैसे जाए? प्रैक्टिकल क्या है? आज इंटरनैट के नाम पर हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मोबाइल के नाम पर माहौल कर दिया है कि एक 13 वर्ष का बच्चा 20 वर्ष का होते होते उसके कान में गानों का मोबाइल लगा हुआ है, वह जब पढ़ने लिए रेलवे स्टेशन जाता है, आई.आई.टी. पढ़ने जाता है और ट्रेन पीछे से आती है और मार देती है। ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह माहौल अपने देश के नौजवान को हमने दिया है कि कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी दयानंद, सम्पूर्णानंद जी, टैगोर इत्यादि और तमाम इतिहासकार के साहित्य को पढ़ना बंद हो चुका है। आज एक ऐसा साहित्य हमने अपने देश के नौजवानों के लिए प्रस्तुत कर दिया है और वह नौजवान जब कोई गलती करता है तो क्या स्थिति है?

हम खेल का विकास कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में 11 प्लेयर एक तरफ से होते हैं। 55 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को हम क्रिकेट का खिलाड़ी बना सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि हजार का आंकड़ा पार नहीं होगा चाहे प्रांत स्तर के खिलाड़ी हों या राट्र स्तर के खिलाड़ी हों। लेकिन देश का हर नौजवान जो 13 वर्ष के ऊपर है, वह गांव में पढ़कर आने के बाद बस्ता फेंका और फेंककर वह क्रिकेट खेलने लग रहा है और ऐसी एजेंसियां हैं कि जब परीक्षा होती है तो ठीक उसी समय पर क्रिकेट के मैच शुरु हो जाते हैं और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। इस बात को कौन देखेगा? क्या ये संस्थान देखेंगे? इसको आपको देखना चाहिए।

मैं क्रिकेट को नहीं कह सकता क्योंकि जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, जहां तक मेरी जानकारी है, वही लोग इस खेल को लेकर आए थे। जो हमारे ऋषि, महापुरूषों का खेल था, उसे हमने समाप्त कर दिया है। आज किसी साधु, महात्मा से योग सीखना नहीं पड़ता है। अगर हमारे गांवों में अखाड़े होते, गांव के अखाड़ों को खत्म कर दिया, किसी भी गांव में अखाड़ा नहीं रह गया है, सुबह आठ बजे नौजवान जब वहां जाता था तो पूरी जिन्दगी उसे शुगर नहीं हुई। हमारे माता-पिता को शुगर नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को 60 वर्ष की उम्र में ही शुगर झेलना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि कुश्ती का खेल होता था, कबड्डी होती थी, फुटबाल खेला जाता था, तमाम तरह के खेल खेले जाते थे, आजादी के 60 वर्षों में इन खेलों की दुर्गति कर दी गयी, मैं कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल में लाइये, भारत की संस्कृति जिस खेल को चाहती है, जो भारत की सभ्यता को जिंदा करना चाहता है, जो भारत को मजबूर भारत बनाना चाहती है, हम अपने नौजवान को कैसा बनाने चाहते हैं? हम भारतीय नौजवान बनाना चाहते हैं या

इंग्लिस्तानी नौजवान बनाना चाहते हैं, मुट्ठी भर इंग्लिस्तानी नौजवान भले बन जायेंगे, लेकिन 50 करोड़ जो भारत का भारतीय नौजवान है, उनकी राह पर जाकर वह बात नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तरह-तरह के खेलों में एक-एक खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों को छोड़ दीजिये, हमारे खेलों के जो टीचर्स हैं, जो उन्हें पढ़ाने वाले हैं, जो उनके गाइड हैं, उनकी बात छोड़ दीजिये, लेकिन हमारा यह देश, जिस पर हमें गर्व है, जिसे देखकर दुनिया भर के लोग लुभाते थे, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी आप आदिवासी इलाकों में चले जाइये, ऐसे-ऐसे आदिवासी तीरंदाज हैं, जो स्वर्ण पदक ला सकते हैं, लेकिन वे चयनित नहीं हो सकते, वे नहीं जा सकते हैं। पचास, पचपन करोड़ में एक पदक, हमारे पास करोड़ों नौजवान हैं, जो मछुआरा है, वह नदी में 5-5 मिनट तक पानी के अंदर रहने का कौशल रखता है। वह नदी में पानी के नीचे 5-5 मिनट तक रह सकता है। आज उस मछुआरे की क्या दशा है? आज उस नौजवान की क्या सोच होगी जो मनरेगा में हाईस्कूल और इंटर पास करके काम कर रहा है? इस देश का वह नौजवान क्या करेगा? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के नौजवान के लिए जल्दी से जल्दी इस पर बहस कीजिये। अगर देश का नौजवान भटक गया, आज उसी देश के नौजवान ने नक्सलाइट बनकर देश के सामने समस्या खड़ी की है। वहीं नौजवान आज गुमराह हुआ है। देश के उस नौजवान के हाथ को काम दीजिये। खेल के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रैक्टिकल यह है कि किसी भी विभाग में आप फोन कीजिये, चाहे वह राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे यहां कर्मचारी नहीं हैं, कर्मचारियों की कमी है। एक तरफ सरकार कहती है कि कर्मचारियों की कमी है और दूसरी तरफ हमारे देश में बेरोजगार नौजवानों की ऐसी फौज है, जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। उसके पास कोई अवसर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना हमने दी है, केवल माटी खोदने के लिए, केवल माटी फेंकने की योजना है, केवल कुदाल चलाने वाले नौजवान को रोजगार की गारंटी दे दी, लेकिन अगर कोई नौजवान टॉफी बनाना जानता है, कोई नौजवान साड़ी बनाना जानता है, कोई नौजवान फ्रिज बनाना चाहता है, उसके रोजगार की गारंटी कौन देगा? क्या इस पर चिंता हुई? उस नौजवान के रोजगार की गारंटी कौन देगा?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश का नौजवान, अवसर प्राप्त बच्चे जो हैं, वे भी अभी चैन से नहीं हैं, उनकी भी वही पीड़ा है और वह दिन दूर नहीं, यह भारत कृषि प्रधान देश था। अभी जिनके पास दो बीघा खेत था, उनके चार बेटे हो गये और उनके हिस्से में पांच-पांच कट्ठा आया। अभी वे बीपीएल धारक हुए हैं। लेकिन मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि जिनके पास दस एकड़ खेती है, वे भी भ्रम में न रहें, उनके भी पांच बेटे हो गये, अब वे दो-दो एकड़ पर आ गये, उनके भी पांच बेटे हो जायेंगे। क्या हम

अपनी आने वाली औलाद को हम बीपीएल कार्ड देकर जाने वाले हैं? अगर देकर जाने वाले नहीं हैं तो एक स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। जितने भी इस संस्थान से संचालित हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, इन्हें भी प्रैक्टिकल में जाना होगा। मैंने देखा, कमेटी होगी, इस कमेटी में शिक्षा क्षेत्र का विख्यात आदमी होगा, इस कमेटी में शैक्षणिक क्षेत्र का विख्यात आदमी होगा, खेल क्षेत्र का आदमी होगा। लेकिन वह प्रैक्टिकल के क्षेत्र का होगा जिनका गाँव में अनुभव है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के नौजवानों की जो स्थिति बनती जा रही है, उसके सामने अंधेरा है। जब सामने अंधेरा है तो तरह-तरह की घटनाएँ होंगी। आठ बजे, चार बजे, भोर में जो नौजवान सवेरे उठकर किसी न किसी काम में लग जाए, हमारे पूर्वज कहते थे कि खाली दिमाग खुराफ़ात का घर होता है। खुराफ़ात रोकने के लिए जो सारा समय आप बरबाद कर रहे हैं, हमारे देश के नौजवान का खाली दिमाग भरने में अगर यह संस्थान कामयाब हो जाए, तब मैं समझता हूँ कि इस बिल का मतलब है। अगर यह कामयाब नहीं होता है तो फिर थ्योरी बना लीजिए। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत साधुवाद करता हूँ।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2011 माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किया गया, इसके संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश में युवा नीति तो अभी तक नहीं बन पाई, लेकिन युवाओं के लिए आपने एक संस्थान जो पहले से पेरम्बदूर में काम कर रहा था, उसको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर आपने इस विधेयक के रूप में लाने का काम किया। युवाओं के मन में एक उत्साह का वातावरण पैदा करने का आपने काम किया, इस प्रयास के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो चिन्तन था, जो विचार था - युवा को ताकतवर बनाना और युवा को मानव संसाधन के रूप में पहचान करना, अगर उस दिशा में यह बिल और यह संस्थान काम करता है तो निश्चित रूप से देश के लिए यह सकारात्मक पहल होगी। इस बिल में हमने अभी देखा कि इस संस्थान के जो अधिकारी होंगे - कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त परिषद् आदि, इसमें आपने कहा कि इनके जो सदस्य होंगे, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी, पिछड़े वर्ग की भी भागीदारी होगी, समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी इसमें होगी, लेकिन इसके मापदंड के लिए आप लोगों ने कोई कंक्रीट बातें इसमें नहीं लिखीं। एक चलती-फिरती बात आपने डाल दी है कि सबकी भागीदारी होगी। हम आपसे यही चाहते हैं कि भागीदारी का क्या प्रतिशत होगा, वह आपको इसमें लाना चाहिए था। चूँकि नहीं है, फिर जाकर यह झगड़े की वस्तु न हो जाए, ऐसी सोच आज हमारे बीच में नहीं रहे, और ...(व्यवधान)

श्री अजय माकन: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है। जो मैन्टॉर ग्रुप की हमारी रिपोर्ट थी औऱ जो स्टैन्डिंग कमेटी के रिकमंडेशन हमारे पास आए हैं, उनके अंदर हमने माना है। पहले जो हमारा बिल था, उसके अंदर एकैडेमिक काउंसिल थी और एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल और फाइनैन्स काउंसिल की क्या रेशियो होगी और किस तरीके से होगा, वह नहीं था। जो अमैंडमैंट हमने मूव किया है, उसके अंदर हमने एकैडेमिक काउंसिल की संख्या 18 और फाइनैन्स काउंसिल की 7 रखी है। एक्ज़ीक्यूटिव काउंसिल में पहले ब्यूरोक्रेसी की संख्या ज्यादा थी। उसमें जॉइंट सैक्रेटरी को कम करके हमने उसमें से हटाया है ताकि उसके अंदर समाज के अलग-अलग वर्गों के रिप्रजैन्टेटिव्स को उसमें डाल सकें। माननीय सदस्य ने जिस बात को रखा है, उसका हम लोगों ने पहले से ही संशोधन के अंदर ध्यान रखा है, यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ।

श्री अर्जुन राय : धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन इसमें यह भी क्लियर कर लेना चाहिए कि किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग और महिलाओं, इन वर्गों की बात तो हर विषय में आ जाती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे आगे आपने कहा कि मानव

संसाधन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसमें चिन्तन समूह विकसित करना है और उन चालीस संस्थानों में केवल यही संस्थान युवाओं के लिए विकसित करने के लिए आप यह बिल लाए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं चूँकि 13 से 35 वर्ष के लोग युवा हैं और हम लोग युवा से ऊपर हो रहे हैं, 40 वर्ष हमारी उम्र हो गई है। हम लोग समझते थे कि 40 वर्ष के लोग भी युवा होते हैं, लेकिन आपने उनको बाहर करने का काम किया। हम जिस सदन में बैठे हैं, हम समझते हैं कि 13 वर्ष के लोगों को तो यहाँ आने का अधिकार ही नहीं है। 25 से 35 वर्ष के लोगों की संख्या अगर इस देश की आबादी का 70 प्रतिशत है, कहने का मतलब यह है कि 55 करोड़ आबादी जिस वर्ग की है।

अपना देश ही नहीं, दुनिया में, राजीव गांधी जी ने अपने समय में यह महसूस किया था। पहले भी आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है, लेकिन वे आज नहीं रहे। लेकिन आपकी सरकार और पार्टी आज भी यह महसूस करने को तैयार नहीं है कि युवाओं को असली ताकत डेमोक्रेसी में जो असली ताकत होती है, वह राजनीतिक ताकत और खासकर के राज्य का सदन या पार्लियामेंट हो, इनमें युवाओं की भागीदारी विभिन्न पार्टियों और खास कर के आपकी पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं, जिसके युवा नेता आज पूरे देश में युवाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और युवा आ भी रहे हैं। लेकिन पार्टी लेवल पर या सरकार के लेवल कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है, जिससे किसी भी क्षेत्र में युवाओं को उसकी आबादी के अनुसार या उससे कम ही सही, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। फिर भी आपने प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप दो सौ स्नातकोत्तर और दो सौ डिप्लोमा छात्र एक साल में तैयार करेंगे। ये किस तरह के छात्र होंगे? इस के बारे में भी आपको बताना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि कीर्ति आजाद और आपमें कुछ मतभेद थे जिसका आपने स्टैंडिंग कमेटी और मैंटर ग्रुप के माध्यम से आपने निष्पादन कर लिया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब बराक ओबामा इस देश में आए थे तो उन्होंने सैंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए विवेकानंद जी की बात को उद्धृत किया था। इस देश में विवेकानंद जी को युवा का सिम्बल माना जाता है। जिन्होंने कहा था कि स्वयं के सुधरने से देश सुधर जाएगा। दुनिया को सुधारो, देश को सुधारो, समाज को सुधारो उससे अच्छा है कि खुद सुधर जाओ। वहीं पर जब यहां से बराक ओबामा वापस जाते हैं तो अपने देश के युवाओं को कहते हैं कि दुनिया के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो भारत के युवा दुनिया पर एक छत्र शासन करेंगे। इसका कारण यह है कि भारत के युवाओं ने भारत से बाहर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, हम समझते हैं कि दुनिया के किसी देश के युवाओं में यह ताकत पैदा नहीं हो पायी है। सरकार ने एक उत्तर में बताया है कि अमेरीका में 38 प्रतिशत डॉक्टर भारतीय हैं, जो वहां पढ़ने के लिए गए और वहीं बस गए। माइक्रोसाफ्ट में काम करने वाले 34

प्रतिशत इंजीनियर भी भारतीय हैं। नासा में काम करने वाले 36 प्रतिशत वैज्ञानिक भी भारतीय हैं। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां हमारे देश से ब्रेन ड्रैन हो रहा है। छात्र पढ़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज, यूएसएसआर और अन्य देशों में जाता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आता है। इस पर माननीय सदस्यों ने भी विचार प्रकट किए थे। स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा चल रही थी और माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि किसी समाचार पत्र में खबर छपी थी कि देश में 15 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है। देश में आठ लाख डॉक्टर हैं। सात लाख डॉक्टरों को पूरा करने में देश को 60-70 वर्ष लग जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश से जो डॉक्टर विदेश जाते हैं, वे विदेश से वापस नहीं आते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? इतना बड़ा जनतन्त्र, जिसमें युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी है, वह देश की सबसे बड़ी ताकत है। वही युवा जब यहां से बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं हम ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, जिसके बल पर देश के युवा, जो बाहर जाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, अनुसंधान अन्य कार्यों के क्षेत्र में देश से बाहर जाते हैं, वह वापस देश में क्यों नहीं आते हैं। इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस संस्थान के माध्यम से आपको एक यूनिट लगानी चाहिए। जिस काम के लिए आप बढ़े हैं, उसको बड़ा रूप दीजिए, हजार-दो-हजार लोगों में, केवल शहर के कुछ लोगों में मत सिमटिए। भारत की असली आत्मा गांव है, जहां 65 से 70 प्रतिशत लोग रहते हैं। गांव में आज भी लोग क्रिकेट नहीं जानते हैं। वे इसे केवल टीवी में देखते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी ईनाम से या अन्य कार्यों के माध्यम से बहुत पैसे कमाते हैं। इसलिए लोगों का आकर्षण क्रिकेट की तरफ है। हॉकी या अन्य तरह के खेल समाप्त होते जा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी, समाचार पत्रों से पता चलता है कि आप रचनात्मक विचार के व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि युवाओं को विस्तारित रूप से ताकत देने के लिए आपको एक प्रारूप या विधेयक लाना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। चाहे आप इसी यूनिट के तहत लाइए या किसी अन्य यूनिट के तहत, लेकिन लाएं जिससे गांव में रहने वाले जो किसान, मजदूर, गरीब, और समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उन्हें दुनिया की मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिल सके और भारत मजबूत हो सकें।

सभापति जी, इस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी बात मैं बताना चाहता हूं। आज़ादी की लड़ाई के बारे में चर्चा हुई। आप जितने भी शैक्षणिक संस्थान और चिंतन-मनन के संस्थान खोलते हैं, सारे शहरों में ही खोलते हैं। ग्रामीण इलाके के हमारे जो युवा हैं, उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आज़ादी से पहले की जो घिसी-पिटी व्यवस्था थी, वह आज़ादी के बाद आयी और वह आधुनिक दुनिया से अपरिचित है, महरूम है।

सभापति जी, हम आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाके में इस तरह के संस्थान खोले जाएं। आपका नेहरु युवा केन्द्र है। आप कहते हैं कि 400-500 जिलों में इसकी यूनिट्स हैं, पर हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। उस पर आप खर्च भी करते हैं। सरकार के पैसे का अपव्यय हो रहा है। इस तरह के संस्थान को जिसे आपने एक ऊंची सोच के साथ लाने का काम किया है, इस संस्थान का भी यही हश्र नहीं होना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के समय में संकल्प लिया कि यह देश वर्ष 2020 तक एक विकसित देश बनेगा। आखिर यह विकसित देश कैसे बनेगा? आप दुनिया के इकोनॉमी में अपने आपको कैसे लाएंगे? आपका जीडीपी कभी बढ़ता है, कभी घटता है। जो रोज़गार का सृजन होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में आप पिछड़ रहे हैं। फिर भी आपका संकल्प है कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरा सुझाव है कि अगर देश का एक व्यक्ति एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का गबन कर देता है, सरकार के एक व्यक्ति की वज़ह से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर देश के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं जो कि देश के युवाओं के विकास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है।

स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था कि मोबाइल नेटवर्क से पूरे देश को जोड़ा जाए। इस दिशा में विकासवादी युग में आपने सफलता पायी, लेकिन सबसे दिक्कत वाला पक्ष इसमें यही है कि एक व्यक्ति की वज़ह से, एक मंत्रालय की वज़ह से एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर पूरी दुनिया में इस देश की जगहंसाई होती है।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की राशि का दुरुपयोग क्यों होता है? आप पन्द्रह लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हैं। लेकिन, इसमें युवाओं, खासकर ग्रामीण युवा, पिछड़े, शोषित, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं के ऑल राउण्ड डेवलप्मेंट के लिए जो नीति होनी चाहिए, इसमें आपने नहीं की है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले जो गरीब, शोषित युवा हैं, उनके लिए ग्रामीण इलाकों में जाने का कार्य करें।

मैं आपके यूथ फोरम का सदस्य हूं। आपने ग्रामीण इलाकों में खेल की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए, इस पर भी ध्यान देंगे और शहर और गांव में संतुलन बनाकर विश्व के स्तर पर अपने युवाओं को ताकतवर बनाने के लिए कार्यक्रम बनाएंगे।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this subject concerning the youth. At the outset, I rise to support the Bill titled the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011.

The Bill in question envisages to declare the institution known as the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, to be an institution of national importance, and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto. I am happy to mention here that the Headquarters of the Institute will be at Kancheepuram in our State, Tamil Nadu. I am very much thankful to the hon. Minister for this visit.

Sir, as we have been constantly saying that the present youth are the future leaders of our nation. The present Bill is in this direction and I, therefore, welcome it in my personal capacity as well as on behalf of my Party, DMK.Having so far got only one gold medal in 2004, India aims to achieve many in the coming events such as Olympics, etc. Many economists in the world predict that India is going to emerge as an economic super power very soon. I am sure that the present Bill paves the way for India to become a super power in sports too. However, we need to do many things to achieve this.

I am confident to say that there is no dearth of talents in India, The sport facilities such as bigger stadiums and other infrastructure only exist in urban areas and in cities, particularly in major cities. Even though the major chunk of our population live in rural areas, people living in these areas fail to get these facilities. If we aim for development of sports in our country, we should create sports infrastructure in the rural areas also.

Another thing which I would like to bring to the kind notice of the Government is that the Government should consider sports as one of the subjects in school curriculum. The Central Government should provide funds to schools through the respective State Governments for creation of infrastructure for sports activities at school levels. We can mainly identify the type of talent hiding in all children at school levels.

I have recently come across a news item that the hon. Minister of State is seriously thinking of introducing sports as a curriculum in schools. There is also a talk that in both domestic as well as international events, only influential persons gain entry. Hence, there is an urgent need to screen such selections.

The Central Government should allocate more funds to the State Governments to create infrastructure facilities in rural areas, that is, creation of play grounds, purchase of sport equipment, etc. The Central Government should also make sincere efforts to conduct sports events more frequently in all parts of our country, so that the students would be motivated to participate in sports events.

At the end I would like to say and I am sure that you will agree with me that India got the boost in sports only we hosted the Asian Games in India in the past. Therefore, I urge upon the hon. Minister to look into it and should direct the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development to take steps to ensure such things are carried out, to enable us to produce more talented sports persons in the country.

With this I conclude and support the Bill.

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Bill, 2011.

Today we all paid homage to the martyrdom of Shri Rajiv Gandhi, a gentleman and leader with a vision. I would like to quote his famous words with your permission, Sir. "I am young. I too have a dream."

Millions of our people in our nation have dreams. They are young also. But what about the dreams coming true? It is the duty of this august House to ensure that the dreams of our young people come true. We have discussed in this august House on many occasions issues like the unemployment situation prevalent in the country, prevalence of rampant poverty, rapid growth of inflation, lack of basic necessities of life, denial of social justice, etc. Have we given adequate importance to such discussions? I am not going into the general situation of youth in this country because all of us have come through that period.

Mr. Chairman, you are a very good sportsman. We are all very happy and I am very proud of this. You are a sportsman till now and you speak very good language of the youth and you seem to be young too.

Sir, I am coming to nothing else but the Bill. It may not be just a coincidence that we are discussing this Bill and the Minister is in a hurry to get it ensured that this House passes this Bill today itself, but there are certain points to which I would like to invite the attention of the hon. Minister, through you, Sir.

Sir, I would like to invite your attention to Page No. 2, Chapter 2, clause 4(4) which says "The institute may establish and maintain centres at such other places as it may deem fit." Of course, I am not challenging the authority of the Executive Council or the Government of India, but my humble request is that we are a federation and the Constitution of India itself in Article 1 says : "India, that is Bharat, shall be a Union of States." If there are no States, there will not be any Union at all. Giving all powers, you can start centres wherever you want and you need not start centres where you do not want to. Sir, I would like to join with the

feelings expressed by one of the hon. Members from the Treasury Benches. It will be giving justice to our youth.

MR. CHAIRMAN : Please be brief.

SHRI A. SAMPATH: Sir, I will be brief. This is a very important Bill. If you consider so, just allow me to finish my speech because I am coming from a remote part of the country, a very distant area. Do not suffocate my voice. Sir, I beg before you. … (*Interruptions*) I have covered what we all have.

MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I would like to invite your attention to a very important point in Chapter III – Authorities of the Institute. This will be an institute of bureaucrats, if it is established after the Bill is passed. It is mentioned that the Government appoints the Visitor. If the Rashtrapatiji is appointing another person as the Visitor, then he or she is the Visitor. Here also, I would like to invite your attention to Page No. 4, clause 8(1) which reads:

> "The Institute shall be open to persons of either sex …. "

There should be an amendment. Here 'any sex' should be mentioned. There are also minorities on the basis of sex in this country. So, it should be 'any sex'.

Coming to Chapter III, we are discussing about the democratic principles in various institutes. I do not know why the Minister is very much adamant to exclude Members of Parliament from the Executive Council. In many of the universities, Members of Parliament are represented. We elect our representatives to participate in those senates, governing bodies, syndicates, executive committees. There is no mention in this Bill with respect to this Institute of the Members of Parliament. We should get an opportunity to elect four Members of Parliament from this House and two Members of Parliament from the other House. It should not be an enterprise consisting of bureaucrats. Everybody from Secretary to

Joint Secretary is there. This is going to be a ship of the bureaucrats. That cannot be tolerated.

Then, clause 12(3) says:

> "While nominating the members of the Executive Council under sub-section (2) due representation shall be given to women, different regions of the country, and weaker sections of the community and differently abled persons."

I could not understand how this representation can be ensured if all these bureaucrats are taking the seats.

Sir, I would like to invite your attention to another matter. What about the youth? We have very good and vibrant youth organizations in this nation. They may have political affiliations also, but what is happening here? There shall be one representative from the industry to be nominated by the Central Government from the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry or Confederation of Indian Industry.

Sir, today we also got a copy of White Paper on Black Money presented by hon. Finance Minister. You will be quite shocked, if you go through this document. So, I would like to invite your attention to this document also. If we are saying that we do not have enough money to give adequate opportunities to the young people, then what does this White Paper on Black Money say? Our hon. Finance Minister, the Leader of the House, laid this paper on the Table of the House today. This also happened on the very same day.

This Bill talks about Rs. 100 crore corpus.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I would require only two minutes as this is very important. While preparing this Bill, there have been many 'cut, paste and copy' that have taken place in this Bill. This cannot be allowed. This is very ridiculous. I may be permitted to use such a word because I did not get any other word from the Oxford dictionary. Hence, I have used this word.

I may be permitted to invite your attention to Page No.7, Clause No. 16 (3), which states that : "While nominating the members of the Academic Council, due representation shall be given to women, different regions of the country, weaker sections of the community and differently abled persons." Sir, now kindly see Clause 18 (1), which states that : "There shall be a Finance Committee of the Institute, which shall be the principal financial body of the Institute." Clause 18 is regarding Finance Committee. Then comes the problem, namely, Clause 18 (3), which states that : "While nominating the members of the Academic Council, due representation shall be given to …" This is 'cut, paste and copy', which has taken place in this Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, you have made your point.

SHRI A. SAMPATH: Sir, this is the Parliament of India, and a Bill has been circulated to the hon. Members … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, nothing more will go on record.

(Interruptions) …[*]

MR. CHAIRMAN: I gave you enough time to speak. Nothing more is going on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI A. SAMPATH : Sir, just give me a minute more to speak.

MR. CHAIRMAN: No, not a minute more. Shri Lalu, please start now.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … [*]

MR. CHAIRMAN: Please respect the Chair. Shri Lalu, please start now.

… (*Interruptions*)

---

[*] Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. Nothing is going on record. You have made your point. Please sit down now, and please do not waste the time of the House.

*(Interruptions) …**

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को आज हम बिना हरे-फिटकरी के कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं। इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है। र्वा 1993 में यह सोशायटी के रूप में काम कर रहा था। इसे पहले ही कानूनीजामा पहनाना चाहिए था जो कि आज पहना रहे हैं। इतने विशाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्व. राजीव गांधी जी की आज के ही दिन हत्या हुई थी। आज उनकी पुण्य तिथि है। उनकी कही हुई बातों को, देश की युवाओं की तरफ जो उनका ध्यान गया, उनके सपना को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। देश के युवा एवं युवती को हर तरह से तैयार करने के लिए आज हम कानूनी रूप दे रहे हैं।

महोदय, वर्ष 1977 में, मैं यहां आया था। रामबिलास जी हाजीपुर से हम से ज्यादा वोट से जीत कर आए थे और हम सेकेण्ड थे। हम लोग कम उम्र के थे। हम लोगों ने राजीव गांधी जी को देखा था। हम राजनीति करने वाले लोगों को उन कारणों को देखना चाहिए, याद करना चाहिए। राजीव जी एक उन्नत, विकसित, साक्षर भारत और दुनिया में पहली पंक्ति में भारत आए उन्होंने यह सपना संजोया था। इसलिए उन्होंने युवा शक्ति को रिकग्नाइज किया और 18 वर्ष के युवा-युवती को बालिग मताधिकार दिया। यह मामूली बात नहीं है। …(व्यवधान) उन्होंने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए देश के मेन स्ट्रीम में युवा और युवती को लाए। उन्हें अलगवाद और आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए देखा है। जो हेट्रेड इस देश में पैदा किया गया है या इस परिवार के प्रति जो घृणा पैदा किया गया है हम उसका यहां पर बयान नहीं करना चाहते हैं। आज उनकी पुण्य तिथि है। गंदा वातावरण और गंदी राजनीति के तहत उनकी हत्या कर दी गई। स्व. इंदिरा जी के शहादत के बाद देश ने राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में कबूला। आज जो करप्शन की बात करते हैं, राजीव जी ने बेबाक रूप से कहा था कि हम जनता के लिए एक रूपया देते हैं तो चार आना भी आम अवाम के पास नहीं पहुंच रहा है। यह स्वीकार किया। उन्होंने देश को बताया कि करप्शन पर कैसे काबू किया जाए। उन्होंने मुहिम चलाई। अलगाववाद से देश कैसे आगे बढ़ेगा। वे आतंकवाद की बलि पर चढ़ गए। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। हम अपने दल की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वे आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। इसलिए यूथ को सिर्फ खेल और खिलाड़ी ही नहीं, पढ़ाई,

* Not recorded.

शिक्षा आदि हर तरह से देश के सम्पूर्ण युवाओं का विकास हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए हम आज एक्ट बना रहे हैं। उन्होंने साइंस एंड टेक्नौलॉजी के बारे में कहा कि हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो देश के नौजवानों को इसके लिए तैयार करना है। इसके लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इम्प्लीमैंटिंग एजैंसी बहुत कारगर और ठोस होनी चाहिए। यह हमारा सुझाव है।

आज लोग फजूल की बातें करते हैं। वंशवाद आदि की बातें की जाती हैं। हमारे लिए भी वंशवाद के बारे में कहा जाता है।...(व्यवधान) यह वंश कहां जाएगा। हमने देखा है कि इंदिराजी के बाद राजीव गांधी ने देश को बहुत ढंग से चलाया। भले ही हम उन दिनों क्रिटिक थे, आलोचना करते थे। हम विपक्ष में थे। लेकिन आज फिर इसी तरह का वातावरण फैलाया जा रहा है। जो नेता, जो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती, वह देश में हेट्रेड का वातावरण पैदा करती है। हम सही बात बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि लालू यादव तारीफ कर रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him now. Nothing will go on record.

श्री लालू प्रसाद : इनके बेटे, बेटी कहां जाएंगे। आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बन गए हैं। जनता ने उन्हें कबूला है। इस देश में हार-जीत होती रहती है। लोग मेहनत करते हैं। अगर हिन्दुस्तान की राजनीति में हेट्रेड रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों को गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए।

खेल की बात की जा रही थी। हमारे बेटे तेजस्वी यादव ने इच्छा भी जाहिर नहीं की। लेकिन अखबारों में छप रहा था कि लालू यादव अपना उत्तराधिकारी तैयार कर रहा है। क्या हम बूढ़े हो गए हैं जो उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हैं? व्यक्ति मरते समय बोलता है कि उत्तराधिकारी बनाओ। वह बनेगा तो बनेगा।

मैडम सोनिया जी ने जीवन में जो ऑड्स देखे, जो सहा, इस देश में कोई राजनेता उसे नहीं सह सकता। ...(व्यवधान) क्या देश में हेट्रेड की राजनीति चलेगी? ऐसा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी हार गई। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन जब कोई बात होगी तो बोला जाएगा वंशवाद, वंशवाद। हमें हेट्रेड की राजनीति से दूर रहना है। यूथ को देश की राजनीति की पहली पंक्ति में लाना है, हंमारा आज का यही संकल्प होना चाहिए। ...(व्यवधान) यह पास हो गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, please do not disturb him.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आज शहादत का दिन है। इस देश के महान नेता, मैं जानता हूं कि वे कितने मृदुलभाषी थे, उनका कितना पीसफुल माइंड था, कितनी सोच, समझ थी। उनके गुणों की हम लोग प्रशंसा करते हैं। उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। उनकी सोच बहुत आगे थी। वे चाहते थे कि युवाओं को लाओ। युवाओं को ज्यादा आगे बढ़ाना है, इसलिए आज कानूनी ...(व्यवधान) आप लोग शांत रहिए। आज दिन ही

ऐसा है, नहीं तो हम आप सब लोगों की बखिया उधेड़ देते। ...(व्यवधान) यह जो एक्ट बन रहा है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इसमें कौन रहेगा, नहीं रहेगा, वह बात अलग है। लेकिन राजीव गांधी का सपना था कि नौजवानों को कबड्डी, कुश्ती, यानी खेल-कूद से लेकर सब जगह आगे लाना है।

सभापति महोदय, हम अपने दल की तरफ से इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): सभापति महोदय, आप हमें भी एक मिनट का समय दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : I have already called the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

श्री अजय माकन: चार बजे से पहले हमें इस विषय को समाप्त करना है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, you please start.

श्री अजय माकन : हमें चार बजे से पहले इस विषय को समाप्त करना है। अगर ऐसे होगा, तो यह नहीं हो पायेगा। आज के दिन की महत्ता है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please stop this. Please cooperate with the Chair.

श्री अजय माकन : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have to start at 4.00 p.m. another discussion.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except the hon. Minister's reply.

(Interruptions) …[*]

श्री अजय माकन : आदरणीय सभापति महोदय, आज की चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव सब लोगों की तरफ से आये हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …**

श्री अजय माकन: आप मुझसे आकर मिलिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I cannot make an exception. There are other Members also.

श्री अजय माकन : आप मेरे से अलग से मिलिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, please stop cross-talk.

श्री अजय माकन : आप मुझसे अलग से मिलिए। मैं इस बारे में पूरी कोशिश करूंगा। ...(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, your colleague has already spoken. Please go to your seat.

श्री अजय माकन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे मुझसे आकर मिलें। ...(व्यवधान) हमसे बात करें। हम इस संबंध में बात करेंगे। ...(व्यवधान) हम करेंगे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री अजय माकन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please maintain the decorum. Please sit down now.

... (*Interruptions*)

श्री अजय माकन: आज जितने भी सदस्यों ने यहां पर समर्थन किया है। ...(व्यवधान) तमाम सदस्यों ने अपनी बात में इसका समर्थन किया है। मैं आपके माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं।

भारत एक युवाओं का देश है। हमारे यहां 120 करोड़ की आबादी में से 55 करोड़ लोग 13 से 35 वर्ष के बीच हैं। भारत आज दुनिया में एक आर्थिक शक्ति के रूप में इन्हीं युवाओं के बलबूते पर जाना जाता है। आज विश्व में जो अर्थशास्त्री या अलग-अलग विशेषज्ञ कह रहे हैं, आज से 25 वर्ष पूर्व भारत के ही एक ऐसे सपूत, दृष्टा ने इसके महत्व को समझ लिया और इस वर्ग को मानव संसाधन या ह्यूमन रिर्सोस की संज्ञा दी और इसके विकास एवं संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1985, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर मानव संसाधन मंत्रालय का गठन कर डाला। शायद भारत के यह दृष्टा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री सशक्त भारत के युवाओं को 21वीं शताब्दी में ले जाने का सुखद सपना देखने वाले श्री राजीव गांधी अपने कर्म एवं सोच में अपने समय से कहीं आगे थे। भारतीय युवाओं पर उनका अपार विश्वास था। पांच वर्ष के अपने छोटे से कार्यकाल में, वर्ष 1988 में देश की प्रथम युवा नीति, मतदाता उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, नई शिक्षा नीति, पंचायती राज की परिकल्पना में युवाओं की जगह सुनिश्चित करना आदि अपने आप में अनेक दूरगामी प्रभाव वाले कार्यों में से कुछ हैं। दुर्भाग्यवश आज ही के दिन 21 वर्ष पूर्व 21 मई को यह दृष्टा युवाओं के सुनहरे सपनों की परिकल्पना करते-करते देश के सुदूर दक्षिण श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु में चिरनिद्रा में सो गए। इसी स्थान पर, जहां पर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थीं, उसी

* Not recorded.

भूमि पर उनके सपनों को साकार करने हेतु इस विधेयक द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने की परिकल्पना पर हम लोग काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय मंत्री जी,...

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb the proceedings.

Nothing will go on record except the Minister.

(Interruptions) ...[*]

श्री अजय माकन: महोदय, अनेक सुझाव हमारे पास बहुत सारी जगहों से आए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि एक बात यहां पर उठकर आई कि इसमें मात्र 200-200 स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा के छात्र होंगे, 50 शोध छात्र होंगे, तो किस प्रकार से यह देश के 55 करोड़ युवाओं के लिए कार्य कर पाएगा। राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था की जो परिकल्पना की गयी है, इसमें यह राजीव गांधी इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक, एक चिंतन समूह की तरीके से काम करेगा। इसके अंदर डिस्टेंस एजुकेशन और देश के अलग-अलग भागों में कैम्पसेज होंगे। आज तक भारत में 39 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं जिनमें से 35 प्रौद्योगिकी की हैं, तीन मेडिकल चिकित्सा की हैं और एक लैंग्वेज की है। एक भी ऐसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं है जो भारत के इस सबसे महत्वपूर्ण संसाधन युवा और उनके विकास के बारे में कार्य करे। वह कमी यह संस्था आने वाले समय में पूरी करेगी। इसीलिए यह संस्था इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया है, इसमें चार डिवीजन्स, 9 सेंटर्स और 8 डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर आप डिपार्टमेंट्स को देखें, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश के अलग-अलग युवाओं को यह टच करेगी, उनके लिए कार्य कर पाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फार सोशली एंड इकोनोमिकली डिसएडवांटेज्ड यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लाइवलीहुड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फार डिफ्रेंटली एबल्ड यूथ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डाक्युमेंटेशन एंड पब्लिकेशन और ब्यूरो ऑफ यूथ स्टैस्टिक्स एंड एनालिसिस। इन सब चीजों में अलग-अलग विषयों में और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में युवाओं के लिए यह कार्य कर पाएगा। उस जगह से भारत के सभी युवाओं के कार्य कर पाएगा, ऐसी हमारी परिकल्पना है। मेंटोर ग्रुप की स्थापना हम लोगों ने पिछले वर्ष मार्च में की थी और मई, 2011 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो रोडमैप मेंटोर ग्रुप ने दिया है, आज जो बिल यहां पारित होगा, राज्य सभा में जाएगा, नोटिफिकेशन के छः माह के अंदर हम तमाम ईएफसी क्लियरेंसेज लेकर, उस रोडमैप पर इस इंस्टीट्यूट

---

[*] Not recorded.

को चला देंगे और इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस संस्थान का यह होगा कि भारत की राष्ट्रीय युवा नीति को तैयार करना,। हमारी राष्ट्रीय युवा नीति राजीव गांधी जी ने सबसे पहले वर्ष 1988 में दी थी, उसके बाद वर्ष 2002 में जो युवा नीति हमारे पास आई, उसे दुबारा देखकर, उसे ठीक करके उन युवाओं के अनुरूप हमको बनाना है, जो आज उनकी अपेक्षाएं हैं।

16.00 hrs.

राष्ट्रीय युवा नीति के संदर्भ में इस संस्थान ने पहले से ही कई काम किए हैं। इसके लिए आठ टार्गेट ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये टार्गेट ग्रुप्स अलग-अलग भारत के युवाओं के लिए हैं, जैसे यूथ इन कंफ्लिक्ट जोंस, यून इन ट्राइबल एरिया, यूथ इन अर्बन पुअर, अर्बन यूथ, रूरल यूथ, इस तरीके से देश के अलग-अलग स्थानों पर रहने वालों के लिए आठ टार्गेट ग्रुप्स बनाए गए हैं और हरेक टार्गेट ग्रुप के तीन प्रायरटी ग्रुप्स बनाए गए हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please wait.

Hon. Members, at 4 o'clock, we are supposed to start the discussion under Rule 193. But if the House agrees, we could continue with this and pass the Bill. After this, we can take up the discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay, please continue.

श्री अजय माकन: इस प्रकार से यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए शीर्ष स्थान के रूप में काम करेगा। हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए और भारतीय युवाओं की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेगा और एक राष्ट्रीय महत्व का महत्वपूर्ण संस्थान बनेगा।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to declare the institution known as the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 6 Objects of Institute

Amendment made:

Page 3, *for* lines 22 and 23, *substitute*—

"(*a*) to evolve and achieve an integrated approach to youth development for preparing and empowering the youth for the future, by—

(*i*) providing action oriented research inputs for policy formulation;

(*ii*) implementation of policy through extension and other programmes;

(*iii*) promoting assessment and impact study and conducting teaching, training and other academic programmes;

(*b*) to set up advanced National Youth Resource Centre commensurate with the international standards to provide for comprehensive and scientifically analysed data on all youth-related issues and matters, with adequate library facility, documentation and publication;". (3)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 Functions of Institute

Amendments made:

Page 3, line 34, *for* "**7**", *substitute* "**7.** (*1*)". (4)

Page 4, *for* lines 26 and 27, *substitute*—

"(*s*) set up distance learning or education centres, in collaboration with Open Universities, to provide access to the aspiring young professionals enabling them to take up a career in the field of youth development;

(*t*) establish, maintain and manage halls of residences and hostels for students;

(*u*) lay down conditions of service including a code of conduct for teachers and other categories of employees;

(*v*) supervise, control and regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(w) coordinate student exchange programmes with reputed International Youth Development Institutions;

(x) undertake, assist and promote all such activities conducive or incidental to the attainment of the objectives.

(2) The Institute may receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government and to receive bequests, donations and transfers of movable or immovable properties from the testators, donors or transferors, as the case may be.

(3) The Institute may enter into agreements with international organisations, institutions and universities to broaden the scope of the youth work and to facilitate knowledge development and participatory learning.". (5)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

Clause 12 Establishment of Executive Council

Amendment made:

Page 5, *omit* lines 25 and 26. (6)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

Clause 16 Academic Council

Amendment made:

Page 7*, for* lines 11 to 15, *substitute*—

"(*2*) The Academic Council shall consist of the following, namely:—

(a) Director-Chairman *ex officio*;

(b) one head of an academic institution of national importance to be nominated by the Chairperson;

(c) one Director from any of the Indian Institute of Technology or the Indian Institute of Management to be nominated by the Chairperson;

(d) Member in-charge of Youth Affairs in the Planning Commission of India *ex officio*;

(e) one person from any international non-Governmental

organisation working in India in the field of youth work to be nominated by the Chairperson;

(f) two representatives from the non-governmental industrial sector to be nominated by the Chairperson;

(g) one Professor from the Institute, on rotation basis;

(h) Director of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, *ex officio*;

(i) two persons from non-Governmental organisations working in the field of youth and adolescent development out of whom one person shall be from the north-eastern region, to be nominated by the Chairperson;

(j) two students of the Institute out of whom one student shall be female;

(k) three eminent academicians from among the fields of Social Science, Health Science, Agricultural Science, Skill Development, Management and Law to be nominated by the Chairperson;

(l) one woman representative from the International Development Organisation to be nominated by the Chairperson;

(m) an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India dealing with the affairs of the Institute in the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, ex officio.

(3) The term of office of members of the Academic Council and its powers shall be such as may be provided by the Statutes.

(4) While nominating the members of the Academic Council due representation shall be given to women (by including at least four women), from different regions of the country, weaker sections of the community and differently abled persons.". (7)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 Finance Committee

Amendments made:

Page 7, *for* lines 23 and 24, *substitute*—

"(*2*) The Finance Committee shall consist of the following, namely:—

(a) Director - Presiding Officer of the Finance Committee;

(b) Joint Secretary and Financial Adviser in the Union Ministry of Youth Affairs and Sports;

(c) Registrar of the Institute;

(d) one Professor of the Institute on rotation basis, as may be nominated by the Chairperson;

(e) one Member from the Executive Council to be nominated by the Chairperson;

(f) Joint Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports dealing with the affairs of the Institute;

(g) the Finance Officer of the Institute — Member-Secretary.

(*3*) The term of office of members of the Finance Committee and its powers shall be such as may be provided by the Statutes.". (8)

Page 7, line 25, *for* "(3)", *substitute* "(4)". (9)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

Clause 22 Director

Amendment made:

Page 8, *for* line 18, *substitute*—

"(5) The Director shall submit annual report and audited accounts of the Institute to the Executive Council and the Central Government and the Central Government shall thereupon cause the same to be laid before each House of Parliament." (10)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 22, as amended, stand part of the Bill."

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

Clauses 23 to 46 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

Amendment made:

Page 1, line 6, *for* "2011", *substitute* "2012". (2)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page1, line 1, *for* “Sixty-second”, *substitute* “Sixty-third” (1)

(Shri Ajay Maken)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI AJAY MAKEN: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

16.08 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Centre-State relations

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.27, Discussion Under Rule 193.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Chairman, Sir, I was trying to find out as to how many times this House had discussed on such an important issue like Centre-State relations. I found that only in 1968 the Lok Sabha discussed Centre-State relations. After 1968 there had not been any discussion on Centre-State relations.

16.09 hrs (Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

Sir, 1968 was the first time when this House discussed and debated this important issue and that also remained inconclusive. The debate was not concluded. In 1967 Assembly elections, there had been changes in the number of States; Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Punjab and in a number of other States. The demand started coming from various State Governments that the Centre-State relations should be restructured.

Sir, our Constitution, although has a federal structure, is unitary in character. There is always a trend of over centralisation of power in the hands of Centre by weakening the State, although, there was a decline in the use of Article 356 in the recent period. It is because of the coalition Government which is at the Centre for the last one and a half decade. It is also due to the fact that in various States, the Governments run by different political parties or by coalition. What we have seen in the past is that there were political interventions like removing of the State Governments and dissolving State Assemblies by the use of Article 356 by the Central Government.

It all started from Kerala in 1959. At that time, the first elected Communist Government was removed by using Article 356. Then again in 1968 and 1969, the same Article was used to remove the elected State Government in West Bengal.

Sir, in 1983, there was a conclave in Srinagar. For the first time, a non-Communist Chief Minister organised a conclave in Srinagar, where a number of political parties like Akali Dal, National Conference Party, Republic Party of India, Telugu Desam Party and all the Left Parties attended it. There, the then Chief Minister of West Bengal, Shri Jyoti Basu submitted a note and I quote:

> "Contrary to what is generally argued, the devolution of economic powers, resources and decision making, instead of weakening the Centre, would actually strengthen its base."

Subsequently, there had been a number of conclaves and many political parties attended them as also took Resolutions on different aspects of Central-State relations. They had also made certain recommendations. Different parties like DMK had also met and took Resolutions. Then, Akali Dal also took a Resolution in its Anandpur Sahib Resolution.

The autonomy of States was gradually eroded after the Independence. We have seen that how the autonomy which was given to Jammu and Kashmir at that point of time was gradually eroded after its secession or merger with India. Then, there was a demand for restructuring of the Centre-State relations.

When there was a demand to strengthen the autonomy of the States, for the first time the Government of India appointed a Commission under the Chairmanship of Justice Rajinder Singh Sarkaria. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : To a great extent, the Sarkaria Commission also recommended for more centralization of power in the hands of States. That Commission submitted its report in 1988. What is the fate of that Commission? Although the Commission has not touched vital and important aspects of Centre-State relations, like article 356, devolution of revenues to the States, role of

Governors, etc., but it was widely expected that to whatever extent the Commission recommended the changes, they will be accepted.

Only two important recommendations were there. One was allowing the municipalities to issue interest free bonds and second was to permit consignment tax to the State Governments. These two recommendations were not implemented by the Central Government because we have not seen the Action Taken Report. The Sarkaria Commission submitted its report in 1988 and the Government of India has not submitted any Action Taken Report on its recommendations.

Now people have forgotten the Sarkaria Commission. What we are seeing these days. Since we achieved Independence, there have been changes in our polity, in the social system and in the economy. Gradually, we found that many of the subjects which were in the State List like education, during emergency period by amending the Constitution, 'education' was brought in the Concurrent List. To have more control over the subject, this subject was brought within the Concurrent List.

We have seen during this period how the powers of the States have been encroached upon. In the recent period also, disturbing approach was being taken by the Central Government. One such matter is the proposal to set up NCTC which we have discussed here. Public order is the first entry of the State List. Although it is the first entry of the State List, by setting up NCTC the central para-military force can inquire into any incident, can take action, can arrest people, etc. Public order which means law and order is the responsibility of the State Government. The proposal to set up NCTC is nothing but encroachment upon the power of the State.

Similarly, they have amended the RPF Act. Many of the Chief Ministers have objected to it. I have seen the statement of the Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik in this regard. The law and order even in the Railway premises and colonies is the responsibility of the State Government. This is the first Entry in the State List. The responsibility that is being discharged now by the GRP which is under the State Government would henceforth, after the amendment of the RPF Act, be discharged by the RPF. They will have the right to arrest and prosecute and also if there is any criminal activity in the premises of the Railway colonies, it would be the RPF who will be discharging the responsibility of handling it and not the RPF. Similarly, additional powers have also been given to the BSF. They can enter into any village in a civil area and can discharge the responsibility which is being discharged by the State police. Such a thing also is being sought to be brought in. That is why there has been a growing demand to have a re-look into the entire aspect of the Centre-State relations.

In the Common Minimum Programme in UPA-I, it was stated that the Sarkaria Commission had last looked at the issue of the Centre-State relations over two decades ago. Nothing has been done in regard to the Sarkaria Commission. I would like to know from the hon. Home Minister, when he will get the opportunity to reply to the debate, as to how many recommendations of the Sarkaria Commission has been implemented, if any of the recommendations of the Sarkaria Commission has been recommended so far. The Sarkaria Commission had last looked at the issue of Centre-State relations over two decades ago and it was mentioned in the Common Minimum Programme of the UPA-I that UPA will set up a new Commission for this purpose keeping in view the sea changes that have taken place in the polity and the economy of India since then. The Government itself had admitted that sea changes have taken place in the polity and economy of India in these two decades and that there should be a Commission. Another Commission was constituted in the year 2007. यह आपकी सरकार ने बनाया था और हम आपको समर्थन दे रहे थे। आपको रेल मंत्री बनाया था, बाहर से समर्थन दिया था। We

extended external support to the Government and because of the insistence of the Left Parties this was incorporated in the National Common Minimum Programme. It was drafted by the present Home Minister, Shri P.Chidambaram. We endorsed it. We had supported some pro-people measures. Our support was not to the Government, but to the National Common Minimum Programme of UPA-I. हमारा समर्थन था राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम को।

श्री लालू प्रसाद (सारण): आपका सपोर्ट था उन लोगों को रोकने के लिए। असली बात बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह भी है। ...(व्यवधान)

Another Commission was constituted in 2007 under Justice M M Punchi. I have brought with me all these Reports. These are all voluminous Reports. There are at least 12 volumes that are kept in the library. One can go and see the volumes. I do not know whether Shri Chidambaram has gone through these Reports or not. I have seen that a questionnaire was sent to the various political parties and the political parties responded to the questionnaire of the Commission. They sent their written replies. The Committee submitted its Report in the year 2010. I do not know whether it has been laid on the Table of the House or not. What has happened to the Action Taken Report? There is no Action Taken Report. As was done in the case of Sarkaria Commission, the same has been done in the case of the Report of Justice M.M. Punchi's Committee also.

What are the problems in regard to the strengthening of Centre-State relations? What are the hurdles in it? Why is there a demand and that demand is growing? It is because the State Governments are not getting justice from the Central Government.

Article 356 will remain in the Constitution. Although after 43 years of adoption of our Constitution, Inter-State Council was constituted in 1990 in order to adjudicate or in order to address the Inter-State disputes or the non-financial

disputes. How many times has this Inter-State Council met during these 22 years? So far, it has met for ten times. The last meeting was held in 2006.

I was trying to find out the decision taken in the Inter-State Council on various important issues. The Inter-State Council also discussed about various issues.

Our experience is, after passage of a Bill in the Assembly, it goes to the Governor. The Governor takes undue time to give his assent. The same happens with the President also. The President here means the Home Minister. Unless the Home Minister agrees, how can the President give his or her assent?

So, Inter-State Council took decision that there should be some time limit about this. Has that decision been implemented? No. That decision has not been implemented. The decision was taken by the Inter-State Council under article 263. Article 263 provides for an Inter-State Council but it was constituted after 43 years in 1990 during the period of NF Government. During the National Front Government, the Inter-State Council was constituted.

The Inter-State Council also discussed about the role of Governors. This House has discussed it. It is not that we have not discussed it. We have discussed some of the aspects of the Centre-State relations and one such aspect is the role of Governors.

We have also discussed article 356. How many times was article 356 unjustifiably imposed ? It was imposed for 104 times without any justification. हमारे नेता जी को याद है। हम तब लालू जी को समर्थन दे रहे थे। फैसला ले लिया था कि उनको हटाएंगे। इन लोगों ने हाथ मिला लिया था, भाजपा ने भी हाथ मिला लिया था, सब ने हाथ मिला लिया था, लेकिन हम अढ़े थे कि नहीं हम नेता जी को मुख्यमंत्री पद से हटने नहीं देंगे और उनको हटने नहीं दिया। यह बात नेता जी को मालूम है। … (*Interruptions*) The DMK did it silently and not so vocally. I know it because I am in this House for the last 32 years. In the last 32 years, we could not discuss this issue. So, today my request to the Chair would be to allow me to speak at length.

MR. CHAIRMAN: Are you not speaking at length? You are speaking at length. There is no interruption in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : When I first became a Member in 1980, six State Governments were removed. They were, Madhya Pradesh, I think Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu. The West Bengal Government was not dismissed. They could not touch West Bengal in 1980. In 1980 itself we got an opportunity to discuss the use or misuse of article 356 and as to how politically it was misused. There was a suggestion that there should be a safeguard. Now, they cannot use it because it is a coalition Government and they do not have majority in both the Houses. They do not have majority in Rajya Sabha. So, they are afraid to do it. It is also due to the Supreme Court's judgement in the S.R. Bommai case. Of course, after that case also they tried to do it, but failed. That was because once it was approved here, but they could not take it to Rajya Sabha, the other House as the Government was in minority there. There is a need to provide enough safeguards so that it is not misused. They have not accepted this suggestion.

The second aspect in the Centre-State relations is the role of Governors. We discussed it here in this House as to how Governors are also used for political purposes. I remember, even though Shri N.T. Rama Rao had a clear majority, he was removed. Nobody from the TDP is present here now in the House. After the removal of Shri N.T. Rama Rao we observed bandh in West Bengal, though West Bengal is far away. We did it because it was an attack on parliamentary democracy. What happened? After one month, his Government was restored. … (*Interruptions*) The DMK Government was dismissed. Then, the AIADMK Government was dismissed one after the other.

The Left Front Government was dismissed in 1967 and in 1969. The first elected Communist Government in Kerala was dismissed in 1959. So, there is a need for a safeguard in the system.

My question is: Is there a need for the post of Governor? We are against the post of Governor. Can you find anywhere in the world the post of Governor, a person appointed or nominated by the Union Government to the State Government? Can you give such an example anywhere else, in any other country? We have that here in our country. If at all you want to continue with the post of Governors, as per suggestion given in the Inter-State Council that there should be a change in the procedure for the appointment of Governors, it should be changed. Justice Sarkaria also recommended change in the procedure of appointment of Governors. What was the recommendation of the Justice Sarkaria Commission? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Achariaji, you are a very, very senior Member. I have already given you half-an-hour. How much time do you want to take?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I have not yet come to the very important point and that is about devolution of financial powers. It is the most important point. … (*Interruptions*) This debate will remain inconclusive. Today, the debate will not be concluded. So, Sir, let me speak at length. … (*Interruptions*) I am now giving suggestions. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Kalyan Banerjee, he is a very senior Member. Therefore, I have asked him to complete. I have already given him half-an-hour.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I think you have spoken at length. You please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I have not yet touched the most important point about devolution of financial powers. That is most important point.

MR. CHAIRMAN: Achariaji, please be fast.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Now, the recommendation of the Sarkaria Commission was that the Chief Minister will send the list of three eminent persons to the hon. President of the India. Out of these three, hon. President will nominate one as Governor to that State. The Sarkaria Commission's recommendation was

`no person who is active in politics should be appointed as Governor'. They have violated it. … (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : अब ब्यूरोक्रेट्स राज्यपाल बन रहे हैं। …(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : ब्यूरोक्रेट नहीं, राजनैतिक तौर से एक्टिव पोलिटिक्स में अच्छा रहेगा। …(व्यवधान) क्या करें, लालू जी अगर कुछ बोलेंगे तो हमको सुनना ही पड़ेगा।…(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : ब्यूरोक्रेट को बनाकर हम लोग महामहिम बोलेंगे? ये अफसरों को राज्यपाल बना रहे हैं।…(व्यवधान) बसुदेव आचार्य जी, आपने बोल दिया कि केवल ब्यूरोक्रेट्स को बहाल करो।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने ब्यूरोक्रेट नहीं बोला, आपको भी बोला है।

श्री लालू प्रसाद : जो हम लोगों को प्रणाम करते हैं, उनको हम महामहिम बोलेंगे?…(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Chief Minister will send the names to the hon. President and one of the three eminent persons would be appointed as Governor. The recommendation was within three persons, not more than three persons. That was the recommendation of the Sarkaria Commission.

Sir, another important aspect is devolution of financial power. Now, I have the figure of 2004-05. All the development works are being undertaken by the State Government. … (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : नहीं, आपने बोला है, उसे करैक्ट करिये। इसमें केवल पोलिटीशियन होना चाहिए।…(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : लालू जी, आप गवर्नर बनना चाहते हैं? …(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): लालू जी का मतलब यह नहीं है। इनका कहना है और यही होना चाहिए कि नौकरशाह को गवर्नर नहीं होना चाहिए। जो कल तक हमें नमस्ते करते थे, उनको हम महामहिम राज्यपाल कहें, यह कोई तरीका है?

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, now, I am coming to the important point. There are a number of points. Initially, I requested you to please allow me to speak at length because there are many Members who want to speak.

Sir, this debate is taking place for the first time after 1968. I have the figure of 2004 and 2005 where we have seen that Rs.3,37,000 was spent by the State

Governments all put together. How much has the Central Government spent in that particular year? It was to the tune of Rs.2,42,000 crore. Shri Chidambaram, this is the RBI figure. So, 60 per cent is being spent by the State Governments for the development work and 40 per cent by the Central Government. How much fund are you providing to the State Governments? It is 32 per cent. Now it came down during this period. We fought with the UPA-I Government. In the Common Minimum Programme, it has been incorporated. It is now 32.5 per cent. That is the devolution of revenue through the Central taxes collected by the Central Government. That collection was done in the States. What is the share of the State Governments? It is 32.5 per cent. So, a major responsibility of development is that of the State Governments. You are giving money. It is not a dole. It is the right of the State governments. How much money are you giving to the States? It is 32.5 per cent.

What were the recommendations of the Finance Commission? It is not the Inter-State Council which does it. It cannot recommend on financial matters. The Finance Commission recommends. It has not recommended 50 per cent. So far, it has not been recommended by any of the Finance Commissions. The Memorandum has been submitted by all the Finance Ministers, even the Finance Ministers of the Congress-led Governments to the Twelfth Finance Commission, again to the Thirteenth Finance Commission and to the Finance Minister. We have also made this demand on the floor of this House that it should be 50 per cent. Why is it 32 per cent? Why is it not 50 per cent? The point is that 50 per cent of the Central Taxes collected by the Central Government should be provided to the States. What is the difficulty?

Then, I come to taxation on residual matters. In the case of residual subjects, Parliament has the exclusive right. The Central Government has the exclusive right and the State has no right. Why? To enact legislation on residual matters, why should the State Governments be deprived of this?

Similarly, about taxation on residual matters, why it should be the exclusive domain on the Central Government? Why not the State Governments do it and get a share out of it?

In regard to royalty and Cess, we have been arguing and fighting in this House with him when he was the Finance Minister earlier also. In addition to the royalty on coal, the Government imposes cess. The Government of West Bengal went to the Supreme Court. The Supreme Court gave a judgement in favour of the State's right to impose cess. In spite of that, for many years, the State Government of West Bengal was deprived of Rs.5000 to Rs.6,000 crore. Revision of royalty is also at the mercy of the Central Government.… (*Interruptions*) Why royalty is not decided at the State Government's level?

MR. CHAIRMAN : Shri Acharia, please listen to me. I am putting the facts before you. Two hours' time has been allotted to this item under Rule 193. I have given you 40 minutes. What time is left for the other parties?

SHRI BASU DEB ACHARIA : I will take another 10 minutes.

MR. CHAIRMAN: Not 10 minutes, you take five more minutes. You are one of the senior-most Members. I have already given you 40 minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is a senior Member. Therefore, I have honour for him.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Netaji would honour the next point. … (*Interruptions*) A large number of Centrally sponsored schemes, designs of the scheme, estimates of the schemes and everything is done by the Central Government and imposed upon the State Governments. He has drafted the National Common Minimum Programme, where it has been incorporated that all the Centrally-sponsored schemes will be transferred to the States, along with funds. Why that have not been transferred? They have decided that the Central Government's contribution will be 60 per cent and the States will have to contribute 40 per cent as matching grant. In the case of *Sarva Shiksha Abhiyaan*, it is 50:50. Why should the Centre impose on the State Governments? Why can't

allow the State Government to decide on those schemes? Why can't you transfer those Centrally-sponsored schemes to the State Governments so that the State Governments will undertake implementation of the schemes?

About the international treaty, we have raised this issue before WTO was signed. We have seen the Agreement which was signed – the GATT Agreement – and which have impact on the States in agriculture.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is a demand to the effect that before the ratification or signing of any international agreement, it should be discussed in the House; it should be approved by the House; and then, the Government should go ahead with ratification or endorsement or signing of the agreement.

The Central Government has every right to borrow from the market. Their share is 85 per cent. The State Governments will not be allowed to borrow more than 15 per cent from the market; the Central Government can borrow. … (*Interruptions*)

After 1991, post-1992, after the introduction of the new liberal economic policy, there have been changes . … (*Interruptions*) There has been a paradigm shift in the economic strategy. Now, conditionalities are imposed on the State Governments. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There are constraints before the Chair. What can I do? He is one of the senior-most Members.

Please conclude, Shri Acharia.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : There are Accelerated Power Development Programme and the Reforms Programme. Unless the State Governments adopt reforms, unless the State Government agree to certain conditions, then, financial assistance would not be given to the State Governments. Why are you imposing conditionalities on the State Governments? This has been initiated since 1991 after

the Government of India adopted the new liberal economic policies. The same is about the FRBM. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am concluding. There is further attempt to encroach upon the domain of the State Governments. Unless more autonomy is given to the State Governments, both financial as well as administrative, the country cannot be strong. By making the States strong, we can make the country strong and we will be able to keep our country united. That is why, there is a need to review the policy. The Government should seriously think over it and the suggestions that were made in the past in order to restructure the Centre-State relations should be accepted without further delay. We do not want any more committee to be constituted on this issue. If a committee is constituted, they will deliberate on the issue, they will produce a voluminous report and no action will be taken by the Government. So, some of the recommendations which have already been made in the past can help to restructure the Centre-State relations and that is the need of the hour.

MR. CHAIRMAN : Achariaji, while you were speaking, you were frequently saying that you want to speak at length. I wanted to know as to what is the measurement of that length! But you have taken 50 minutes!

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, बहुत मशकूर हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जैसे बसुदेव आचार्य जी ने बताया कि 1968 के बाद इस सदन में बहस नहीं हुई, उस पर अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया। चूंकि इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर इस सदन में बहुत दशकों से चर्चा नहीं हुई है, कुछ बुनियादी मुद्दों के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। सबसे पहले मुद्दा यह है कि भारत का जो संघीय ढांचा है, उस संधीय ढांचे की परिभाषा क्या है।

बसुदेव आचार्य जी ने बोम्मई जजमैंट का जिक्र किया। उसी बोम्मई जजमैंट में जस्टिस अहमदी ने, सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से कोट करता हूं कि संघीय ढांचे की परिभाषा क्या है, उसका एक बहुत अद्भुत नमूना पेश किया। उन्होंने कहा -

> "The Preamble to the Constitution makes it clear that in the people of India vest the legal sovereignty while the political sovereignty is distributed between the Union and the States. The Constitution of India cannot be said to be truly federal in character as understood by the lawyers in the United States of America. Under our Constitution, the State, as such, has no inherent sovereign power or autonomous power which cannot be encroached upon by the Centre. Indian Constitution has, in it, not only features of a pragmatic federalism while distributing legislative powers and indicating the spheres of governmental powers of State and Central Governments, it is overlaid by strong unitary features particularly exhibited by lodging in Parliament residual legislative powers and in the Central Government the executive power of appointing certain constitutional functionaries including High Court and Supreme Court Judges and issuing appropriate directions to the State Governments and even displacing the State Legislatures and the Governments in emergency situations *vide* articles 352 to 360 of the Constitution."

ये शब्द जस्टिस अहमदी ने 1994 में बोम्मई जजमैंट के माध्यम से कहे।

लेकिन वर्ष 1994 या वर्ष 2012 तक का जो सफर है, वह 103 वर्ष पहले शुरू हुआ, जब साम्राज्यवादी सरकार ने 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट को पारित किया। देश में आजादी की लहर चल रही थी और उस आजादी की लहर पर बांध लगाने के लिए साम्राज्यवादी सरकार ने यह सोचा कि भारतीयों को विधान मंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाये। लेकिन उससे आजादी की जो लहर थी, हवा थी, वह ठंडी नहीं हुई। देश की आकांक्षा और बढ़ी। उसके बाद मोंटेक चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आयी और वर्ष 1919 में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। मैं यह इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि संघीय ढांचे का निर्माण किस तरह से हुआ, उसका जो वास्तिवक परिप्रेक्ष्य है, वह इस सदन और मुल्क को जानना जरूरी है। वर्ष 1919 में

गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार विषयों की सूची बांटी गयी -- रिजर्व, सुरक्षित सब्जैक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जैक्ट्स के बीच। उससे भी भारत का उस समय का नेतृत्व था, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसने इसे नहीं माना, मानने से इंकार कर दिया। वर्ष 1927 में साइमंड कमीशन बना। उस साइमंड कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय वीरगति को चढ़ गए, जो हमारे संसदीय क्षत्र से ताल्लुक रखते हैं। 1930-32 में गोल मेज़ (राउंड टेबल) कौन्फ्रैंस हुई और 1935 में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इस गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में कहा जाता है कि भारत का वर्तमान संविधान उसकी बुनियाद है। 1935 के गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार जो विषय थे, वे विषय फैडरल, प्रोवैंशियल और कनकरैंट सूचियों में बांटे गए। लेकिन गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक्ट की पूरी स्कीम थी, वह पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुई। राज्यों में सरकारें बनीं, पर क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थीं, वे प्रिंसली और रजवाड़े इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए जो उसका राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन था, वह क्रियान्वयन नहीं हो पाया।

दूसरा महायुद्ध शुरु हो गया। दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो भारत की आजादी की जो आशा और आकांक्षा है, जो हमारी लड़ाई थी, जो जद्दोजहद थी, उसे वे अंजाम तक पहुंचाएंगे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद से हमें मुक्त कराएंगे। कैबिनेट मिशन आया और उसने सब लोगों से बात करने के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। उन सिफारिशों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। वे सिफारिशें यह थीं कि -

> "That there should be a Union of India dealing with three subjects, Foreign affairs, Defence and Communications having the powers necessary to raise the finances required for these subjects. The Union should have an Executive and a Legislature of representatives chosen from British India and States. All subjects, other than the Union subjects and all residuary powers, should vests in the Provinces. The States would retain all subjects and powers other than those ceded to the Union."

इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि कैबिनेट मिशन, साम्राज्यवादी सरकार द्वारा भेजे गए जो लोग थे, वे यह चाहते थे कि केन्द्र कमजोर हो और राज्य मजबूत हों। उसके बाद 28 अप्रैल, 1947 को जो संघीय अधिकार समिति थी, उस संघीय अधिकार समिति ने इसके ऊपर चर्चा की। इसके बावजूद कैबिनेट डिसीजन का जो मेनडेट था, वह बहुत साफ था, फिर भी पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में जो

समिति थी, उसने यह सिफारिश की कि तीन विषय नहीं, चौदह विषय ऐसे हैं, जो अनिवार्य तौर पर केन्द्र सरकार के पास रहने चाहिए। 3 जून, 1947 को भारत के बंटवारे का फैसला हो गया और 6 जून, 1947 को जब संघीय संविधान समिति मिली, क्योंकि वह कैबिनेट मिशन का जो रेफरैंडम था, उससे आजाद हो चुकी थी, उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले किये।

17.00 hrs.

वह फैसला क्या था?

> "That the Constitution should be a federal structure with a strong Centre."

छः महीने पहले बात हो रही थी कि केंद्र कमजोर होना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां बनीं, जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ, भारत का उस समय का जो नेतृत्व था, उसने यह तय कर लिया कि अगर भारत का एक रहना है, अखण्ड रहना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो केंद्र मजबूत रहना चाहिए and there should be three exhaustive lists – Federal, Provincial and Concurrent और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, वे केंद्र सरकार के पास रहनी चाहिए, राज्य सरकारों के पास नहीं होनी चाहिए। इस चीज का अनुमोदन बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर ने इन शब्दों में किया।With you permission, I quote, Chairperson, Sir. The Drafting Committee wanted to make it clear:

> "Though India was to be a federation, the federation was not the result of an agreement by the States to join in a federation, and that the federation not being the result of an agreement, no State has the right to secede from it."

इन परिस्थितियों में भारत के संवैधानिक ढांचे का निर्माण हुआ जिसमें एक सशक्त केंद्र को इसका मुख्य बिंदु बनाकर उसके केंद्र में रखा गया। वर्ष 1950 से 1967 तक इस देश में केंद्र बनाम राज्य के बारे में कोई ज्यादा बहस नहीं हुई और आचार्य जी ठीक कह रहे थे कि वर्ष 1967 में जब गैर-कांग्रसी सरकारें बनीं, तो एक परिवर्तित स्थिति में केंद्र सरकार ने यह सोचा कि इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है और वह कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने पहली प्रशासनिक सुधार समिति का वर्ष 1968 में गठन किया। उसके बाद सत्तर के दशक में, अस्सी के दशक में अलग-अलग प्रदेशों से मांगें उठती रहीं, पंजाब, असम और उत्तर पूर्व से उठती रहीं जिसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन किया जिसने 1988 में अपनी सिफारिशें दी हैं। बसुदेव आचार्य जी बहुत

सीनियर मेंबर हैं, मैं उनको इतना बताना चाहूंगा कि सरकारिया कमीशन की 248 सिफारिशों में से 149 सिफारिशों को एक्सेप्ट किया गया, लागू किया। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात उस पुंछी कमीशन की रिपोर्ट में लिखी है, जिसका हवाला आचार्य जी ने दिया था। लेकिन नब्बे के दशक में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हुई। सोवियत संघ विखर गया, पूर्वी यूरोप से साम्यवाद समाप्त हो गया, उसका असर भारत पर भी देखने को मिला और पांच महत्वपूर्ण चीजें हूईं नब्बे के दशक में। सबसे पहले उदारीकरण, जिसने एक बहुत बड़ा पावरशिफ्ट सरकारों से प्राइवेट सेक्टर में किया। उसके साथ-साथ गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हो गयीं - केन्द्र में भी और राज्यों में भी। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ जिससे पंचायतों को औंर म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मुझे कभी-कभी हैरानी होती है कि इस सदन में जो लोग विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं, वे केंद्र से तो ताकत चाहते हैं, लेकिन वह ताकत आगे वे पंचायतों को औंर म्युनिसिपैलिटीज को देने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत के संविधान में जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पारित हुए, तो 11वां एवं 12वां शिड्यूल भी जोड़ा गया जिनमें 47 ऐसे विषय हैं, जो पंचायतों को औंर म्युनिसिपैलिटीज को दिए गए हैं। 29 पंचायतों को औंर 18 म्युनिसिपैलिटीज को ट्रांसफर होने चाहिए थे, लेकिन वर्ष 1994 से आज 2012 हो गया, यह काम नहीं हुआ।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): That was the official amendment moved by the Government itself.

SHRI MANISH TEWARI : That is right. All I am saying is that those who preach decentralization should also start practising it. Yes, we brought it but, how much has it been implemented? How many powers have really been transferred to the panchayats and to the municipalities? … (*Interruptions*)

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): जब तब स्टेट्स स्ट्रांग नहीं होंगी, हिन्दुस्तान स्ट्रांग नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : सभापति जी, सच कड़वा होता है, लेकिन उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अजनाला जी, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना। अभी आप बैठ जाएं।

श्री मनीष तिवारी: सभापति जी, इसके साथ-साथ ज्यूडिशियल एक्टिविज्म की भी प्रवृत्ति बढ़ी। जो भारत की न्यायपालिका थी, उसने भी जो एक्जेक्टिव के विषय थे या उसका जो दायरा था, उसमें अपनी पैठ जमानी शुरू की। उसके साथ-साथ 50 और 60 के दशक में मिलिटरी इंडस्ट्रियल काम्पलैक्सेज़ की बात सुनते थे, 90 के दशक में भारत में उदारीकरण के बाद मीडिया इंडस्ट्रियल काम्पलैक्सेज़ का गठन हुआ। उसके बाद जो पावर शिफ्ट हुआ, केन्द्र बनाम राज्यों की बहस है, यह बौनी रह गई, फीकी पड़ गई, क्योंकि असली सत्ता सरकार से उठकर किन्हीं और लोगों के हाथ में चली गई।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, जब हम केन्द्र बनाम राज्यों की बात करते हैं, पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण पावर शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण सरकारें चाहे केन्द्र की हों या राज्यों की, बौनी लगती हैं। उस पर भी सदन में चर्चा की जरूरत है। यूपीए सरकार ने इस बदले हुए परिवेश को देकते हुए 30 सितम्बर, 2005 को पूंछी कमीशन का गठन किया। जिसने 31 मार्च, 2010 को अपनी रिपोर्ट दे दी और वह केन्द्र सरकार के संज्ञान में है।

जो लोग यूपीए सरकार पर दोष मढ़ना चाहते हैं कि हम राज्यों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, वे यह भूल जाते हैं कि पहला प्रशासनिक आयोग 1968 में, 1983 में सरकारिया आयोग, फिर मोइली साहब के नेतृत्व में और फिर पूंछी कमीशन का गठन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने या यूपीए सरकार ने ही किया है, और किसी सरकार ने नहीं किया।

बसुदेव आचार्य जी ने कहा कि प्रदेश सरकारों के साथ वित्तीय मामलों में भेदभाव होता है। मैं ये आंकड़े इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं एनडीए या यूपीए सरकारों की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आठ वर्ष पहले जब एनडीए सरकार थी उसका बजट एस्टीमेट क्या कहता है। I am not making a political point or NDA *versus* UPA. All I am saying is that those people who talk about discrimination by the Central Government against the State Governments should keep the relevant statistics in mind that over the last eight years there had been a five hundred per cent increase in the funds which were transferred by the Central Government to the State Governments. … (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): How much tax had been collected? … (*Interruptions*)

SHRI MANISH TEWARI : Of course, tax was collected. … (*Interruptions*) 1,26,623 करोड़ रुपए, 2012-2013 का जो बजट एस्टीमेट है, वह क्या कहता है कि कितना पैसा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजा, वह 5,18,182 करोड़ रुपए है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Banerjee, please sit down. Shri Mahtab please sit down. I am standing now. Please sit down.

I would submit to the hon. Members that every political party will get the time and you reply to the points raised by Shri Manish Tewari or anyone else at that time. I would request all of you not to interrupt now.

Shri Manish Tewari ji, please conclude now.

श्री मनीष तिवारी : सभापति जी, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान) टैक्स कलेक्ट होगा, तब ही ट्रांसफर होगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him conclude now.

श्री मनीष तिवारी : जो लोग यह बात कर रहे हैं...(व्यवधान) अजनाला साहब, बैठ जाओ, सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। आपको अवसर मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, अगर हमारे पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने राज्य सरकारों को ज्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि बेहतर टैक्स कलैक्शन हुई है तो उसका श्रेय तब के वित्त मंत्री जी को जाना चाहिए who boosted the tax to GDP ratio whereby we were able to transfer more resources to the States.

मैं आखिर में एनसीटीसी के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को केन्द्र बनाम राज्यों का कलर देने की कोशिश की गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुम्बई पर हमला होता है, जब जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर हमला होता है, जब कालचुक के आर्मी कैम्प पर हमला होता है, जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला होता है तो क्या यह उन प्रदेशों पर हमला होता है या भारत पर हमला होता है, यह फैसला करने की जरुरत है। सभापति महोदय, क्या उस समय केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र की सरकार को यह कह देना चाहिए कि "This is your baby, we will not send the MARCOS; this is your baby, we will not send the NSG; this is your baby, we will not send the Central forces to assist you in fighting naxalism"? आतंकवाद से पिछले तीन दशकों से हम पीड़ित रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मनीष जी कंक्लूड कीजिए।

SHRI MANISH TEWARI : Just give me five minutes.

MR. CHAIRMAN: No. You conclude within two minutes.

श्री मनीष तिवारी : आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने देनी चाहिए। ...(व्यवधान) आपको भी मौका मिलेगा, तब आप बोल लेना।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मनीष जी, आप अब समाप्त कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी : सभापति जी, मैं कहना चाह रहा था कि पिछले तीन दशकों से भारत आतंकवाद से पीड़ित है। जो भारत के आसपास सुरक्षा स्थिति है, वह बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसी सुरक्षा परिस्थिति में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के पास ऐसे औजार और ऐसे हथियार होने चाहिए, जिससे जो आतंकवाद का खतरा है, इस आतंकवाद के खतरे से हम सब इकट्ठे होकर, समन्वय बनाकर लड़ सकें। इसलिए एनसीटीसी कोई केन्द्र बनाम राज्यों का मुद्दा नहीं है, यह भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, उसे सशक्त तरीके से लड़ने का, मजबूती से लड़ने का एक जरिया है।

In the end, Mr. Chairman, Sir, I would just like to conclude by reminding this august assembly of those prophetic words spoken by Mr. K.M Munshi in the 1st Constituent Assembly. What he said :

> "I would warn the Members to remember one supreme fact in Indian History that the glorious days of India were only the days whether under the Mauryas or the Mughals when there was a strong Central Authority in the country; and the most tragic days were when the Central Authority was dismembered by Provinces trying to resist it. We do not want to repeat this fatal mistake."

All that I would like to say, Mr. Chairman, Sir, is that those words spoken 60 years ago still remain very relevant, very concurrent and very profitable even now.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to participate in this debate on Centre-State Relations.

सभापति जी, मैं मनीष तिवारी जी और पूरे सदन को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न केन्द्र बनाम राज्य नहीं है क्योंकि संविधान बनाने वालों का विचार था और अगर भारत के संविधान की रचना उन्होंने की तो राज्यों की भी की है। इसलिए राज्यों के बिना केन्द्र नहीं रह सकता है। जब मेरे मित्र मनीष जी कह रहे थे कि इंडियन इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ। मुम्बई में हमला हुआ तथा कई दूसरी जगहों पर हमला हुआ। जहां भी हमला हुआ, तो क्या उस राज्य पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं? आतंकवाद के खिलाफ केंद्र को भी लड़ना होगा और हर राज्य को लड़ना होगा तथा इसके लिए केंद्र को हर राज्य को एम्पावर करना होगा। यदि आप महाराष्ट्र में मकोका लगाते हैं, कर्नाटक में ककोआ लगाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गुजको को आप क्यों अलाओ नहीं कर रहे हैं? तीन बार गुजरात विधान मंडल ने पारित करके भेजा। जब तीसरी बार भेजा, तो आपने कहा कि आप इसके ऊपर संशोधन ले कर आइए। महाराष्ट्र की तर्ज पर इसमें संशोधन ले कर आइए। उसकी तर्ज पर हम संशोधन ले कर आए, लेकिन तब भी वह लम्बित है। मध्य प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हर प्रदेश ने ऐसा एक मसौदा तैयार करके गृह मंत्री जी के पास भेजा, लेकिन अभी तक वे मसौदे पारित न हो कर लम्बित पड़े हैं। मुझे लगता है कि यह माइंड सेट का प्राब्लम है।...(व्यवधान) मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: You will get time. We cannot have question and answer session that you will ask and he will reply.

… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : मेघवाल जी, आप शांत रहिए और अनंत कुमार जी को बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : I want to remind our hon. Home Minister that when there was a debate in the Constituent Assembly on federalism, the then Prime

---

* Not recorded.

Minister Shri Jawaharlal Nehru Ji moving his Objective Resolution on 13th December, 1946 reiterated. I am quoting Pandit Jawaharlal Nehru....(व्यवधान)

सभापति महोदय : अनंत कुमार जी, आप भी चेयर को सम्बोधित कीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Pandit Jawaharlal Nehru, while moving his Objective Resolution on 13th December 1946 reiterated that:

> "The need for a measure of uniformity in regard to apparatus and machinery of Government at the Central level was to be considered in "cooperation and consultation with the States" and that all power and authority of the Sovereign Independent India, its constituent parts and organs of Government are derived from the people. The Constituent Assembly Members did a commendable job by envisaging a cooperative federalism set up because in the turbulent and bloody circumstances prevailing at that time of partition and in the wake of India's partition, it could have been very easy to swing towards at least a highly centralized federation."

महोदय, उस समय पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने फैडरलिज्म का एपाएरेटस कन्सलटेटिव और कोपरेटिव मैकेनिज्म के ऊपर चलाना है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप कन्सलटेटिव और कोपरेटिव मैकेनिज्म के हिसाब से इस देश को चला रहे हैं? क्या एनआईए और एनसीटीसी तथा बाकी जो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल आदि जो आप शुरू कर रहे हैं, क्या राज्यों से आपने कुछ पूछताछ की है? क्या राज्यों के साथ किसी तरह का सलाह-मश्विरा किया है या कोई चर्चा की है? कांग्रेस के माइंड सेट में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के पक्ष में है। मैं लालू जी को सुन रहा था। वे वंशवाद की सराहना कर रहे थे और वंशवाद के पक्ष में बोल रहे थे। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत पीड़ा हुई। मैं सोच रहा था कि जो श्री जयप्रकाश नारायण और श्री लोहिया की तालीम से आए हैं, वे आज भटकते-भटकते सोनिया गांधी की तरफ चले गए हैं। …(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … [*]

[*] Not recorded.

श्री अनंत कुमार : सभापति जी, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने यह कहा लालू प्रसाद यादव जी...(व्यवधान) 1974, 1975 और 1977 में सक्रिय रहे।...(व्यवधान) जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया। ...(व्यवधान) जो लोहिया के शिष्य रहे हैं, वह भटकते भटकते सोनिया गांधी के साथ चले गये।...(व्यवधान) मैंने शरण भी नहीं कहा, चरण भी नहीं कहा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Nishikant ji, this is not the way.

Shri Anant Kumar ji, you please address the Chair.

(*Interruptions*)

श्री अनंत कुमार : मैं कह सकता हूं, लालू प्रसाद जी उसका जवाब दे सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वंश को देश की जनता एडॉप्ट करती है।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : वंशवाद को देश की जनता नकारती है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. This is not the way.

(Interruptions) … *

श्री अनंत कुमार : यानी हमें पूरा जनादेश मिला। आपकी जनता पार्टी ने बिहार में 102 सीटों पर चुनाव लड़ा। 91 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतीं।...(व्यवधान) इतना कीर्तिमान हमने स्थापित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकार्ड बन गया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. -

(Interruptions) … *

श्री अनंत कुमार : सभापति जी, यदि आज के दिन में केन्द्र में स्थित यूपीए कुशासन केन्द्र और राज्य संबंधों को ठीक से नहीं चला रहे हैं, उसके पीछे की मनोरचना है, उसके कारण हैं। उसकी एक मनोभूमिका है।...(व्यवधान) वे कहते हैं कि जो कुछ होगा, वह केन्द्र से केन्द्र के द्वारा केन्द्र के लिए होगा। यानी राज्यों के लिए नहीं होगा। जो केन्द्र से केन्द्र के द्वारा केन्द्र के लिए होगा, यह मनोभूमिका है। यह चिदंबरम जी को, उनके सभी साथियों को और कांग्रेस पार्टियों वालों को इसीलिए आया है क्योंकि वे ऐसे सोचते हैं कि

---

* Not recorded.

वे एक परिवार के आश्रित हैं।...(व्यवधान) उनका मोटो है परिवार से परिवार के द्वारा परिवार के लिए ही पूरी पार्टी है।...(व्यवधान) पूरी सरकार है, ऐसा वे सोचते हैं। यह मनोभूमिका है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री अनंत कुमार : यानी वे लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। एकाधिकार चाहते हैं।...(व्यवधान) वे संघराज्य नहीं चाहते हैं। वे एकाधिकार चाहते हैं।...(व्यवधान) वे समान व्यवहार राज्यों के साथ नहीं करते हैं। हिन्दी राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, ये क्या बोले जा रहे हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी जवाब देने में सक्षम हैं। आप चिंता मत कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, जवाब देने में सक्षम हैं, आप चिंता मत कीजिये। लालू जी सक्षम हैं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will be recorded.

*(Interruptions) ...**

श्री अनंत कुमार : महोदय, मेरे पूर्व वक्ता कांग्रेस के मनीष तिवारी जी ने कहा, मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं, कि एक कंसल्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए।...(व्यवधान) लेकिन कंसल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा?...(व्यवधान) कंसल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से,...(व्यवधान) मैंने यील्ड नहीं किया है...(व्यवधान) मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं...(व्यवधान) कंसल्ट्रेशन प्रोसेस होता है केंद्र और राज्यों के बीच में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से।...(व्यवधान) वर्ष 1980 से 1990 तक यानी 10 साल, इंदिरा गांधी जी 4 साल और बाद में 4 साल माननीय राजीव गांधी जी ने राज किया...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको भी समय मिलेगा।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री अनंत कुमार : उन 10 सालों में हर साल होने वाली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग एक साल भी लगातार नहीं की।...(व्यवधान) यानी 10 साल में 10 मीटिंग के बजाय सिर्फ 7 मीटिंग्स कीं।...(व्यवधान) नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल संविधान के द्वारा है।...(व्यवधान) संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी के तहत नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को बनाना चाहिए। उसकी बैठकें करनी चाहिए, लेकिन वर्ष नब्बे में शुरू किया, नब्बे में शुरू करने के बाद क्योंकि गृह मंत्री जी बैठे हैं, नब्बे में शुरू करने के बाद तुरन्त उसे बंद कर दिया, यदि नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसी को किसी ने पुनर्जीवित किया तो मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में शुरू किया और उसे छह साल लगातार चलाया। सरकारिया कमीशन ने 19 चैप्टर्स में जो 290 से ज्यादा रिकमंडेशंस दी थीं, उसमें छह साल में 203 रिकमंडेशंस पारित कीं। यह सब हमारी सरकार ने किया है। मैं एनसीटीसी के बारे में कहना चाहूंगा। एनसीटीसी की रचना हमारे चिदम्बरम जी ने की है। एनसीटीसी के खिलाफ ममता जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने आवाज उठायी है।...(व्यवधान)मैं सिर्फ तृणमूल की चिंता नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) इस देश में 10 राज्य हैं, 10 प्रदेश हैं, चाहे बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हो, जनता दल के नितिश कुमार जी हों, वहां नवीन पटनायक जी हों, जयललिता जी हों और सभी 10 से ज्यादा राज्यों ने एनसीटीसी का विरोध किया है। मुलायम सिंह जी यहां बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से और वहां की जनता के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी वहां मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या वहां की समाजवादी पार्टी की सरकार एनसीटीसी की पक्षधर है? यहां जो सर्च होगा, सीजर होगा, वहां अरेस्ट होगा, यानी वह सर्च और सीजर अरेस्ट एनसीटीसी डायरेक्टली करेगी। माननीय चिदम्बरम जी डायरेक्टली करेंगे। उसमें अखिलेश यादव जी का कोई अधिकार नहीं होगा। वहां नितिश कुमार जी का कोई अधिकार नहीं होगा। क्या उसे अखिलेश यादव जी मानेंगे, मैं यह प्रश्न माननीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछना चाहूंगा? वे इसे नहीं मान सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उन्होंने विरोध किया है, हम अभी बोलेंगे तो इस बात को रखेंगे। हम आपकी बात का जवाब देंगे।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : नहीं, आप बोल रहे हैं ना जी, इसलिए मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : निशिकांत जी, मुझे यह कहते हुए तकलीफ हो रही है कि उधर से ज्यादा इधर से व्यवधान हो रहा है। आप अनंत कुमार जी को बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मंत्री जी तक बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, एनसीटीसी के बारे में नरेन्द्र भाई मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे मैं सदन के सामने पढ़ना चाहूंगा।

> "There is strong doubt even of operational effectiveness of NCTC. In the absence of clear vision and strong political will, we may be condemned to again witness confused and contradictory approaches as in the case of Batla House encounter on 19th September 2008 wherein even years after the incident the Union Government feels too uncertain whether or not it is genuine encounter between terrorists and the Delhi Police which functions under MHA, Government of India."

Sir, there is a contradiction. Shri P. Chidambaram and his Home Ministry says that Batla House encounter is real whereas Shri Digvijay Singh and one of the Ministers, Shri Salman Khurshid, says that it is a fake encounter.

MR. CHAIRMAN : Shri Ananth Kumar, please sit down for one minute.

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, मैं चेयर से कुछ अनाउंस करना चाह रहा हूँ। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, nothing is going on record.

*(Interruptions) …**

MR. CHAIRMAN: Shri Ananth Kumar, I am standing; please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please maintain decorum in the House.

… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : I am just quoting what he had said in the meeting of the National Development Council. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Ananth Kumar, please sit down.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is 5.30 p.m. As per the List of Business, we have to take up Half-an-Hour Discussion. So, Shri Ananth Kumar, you may continue your speech next time.

I am taking Half-an-Hour Discussion now. Shri Arjun Ram Meghwal.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि थोड़ा हाउस ऑर्डर में लाइए। मैं शुरू कर रहा हूँ। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Only what Shri Meghwal speaks will go in the proceedings.

*(Interruptions) …**

सभापति महोदय : अजनाला जी, आप तो कम से कम बैठ जाइए। आपके लिए अलग से टाइम रखा है।

…(व्यवधान)

---

* Not recorded.

17.33 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION
Agricultural profession

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, दिनांक 13 मार्च 2012 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 जो हमारे माननीय सदस्य श्री ए.टी.नाना पाटील जी द्वारा पूछा गया था, उसका विषय यह था कि कृषि व्यवसाय पर इतना घोर अन्याय क्यों हो रहा है, लोग कृषि व्यवसाय क्यों छोड़ रहे हैं। इस पर माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी ने जो जवाब दिया, उसके बाद सदन में यह बात तय हुई कि इस पर चर्चा कराई जाए। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने आधे घंटे की यह चर्चा स्वीकृत की, उसके लिए मैं सबसे पहले मैडम स्पीकर का आपके माध्यम से बहुत- बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।

सभापति जी, विगत वर्षों में खेती किसानों के लिए लाभकारी कार्य नहीं रहा है। भारत सरकार के एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 41 परसेंट किसान कमाई का उचित विकल्प मिलने पर खेती का कार्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। 41 परसेंट बहुत बड़ा परसेंट है। इसके मुख्य कारण हैं- कृषि उपज का उचित मूल्य न मिलना, खेती के काम आने वाले इनपुट्स जिनमें खाद, बीज और पेस्टीसाइट्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना, बिजली की कीमत में बढ़ोतरी होना, मजदूरी में बढ़ोतरी होना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब हो जाना, फसल ठीक हो जाए तो बाज़ार में फसल लाने के लिए बारदाना उपलब्ध न होना, समर्थन मूल्य न मिलना और अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो एफसीआई द्वारा खरीद न करना, अनाज का सड़ जाना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अनाज को गरीबों में नहीं बांटना, ये कुछ ऐसे कारक रहे हैं, जिनकी वजह से किसान आत्महत्या करने पर विवश हुआ है। यदि आप आत्महत्या के आंकड़े देखें तो करीब ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यह राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने वर्ष 1995 से किसानों की खुदखुशी के आंकड़े भी दर्ज करना शुरू कर दिया है। वर्ष 1995 से 2010 तक ढाई लाख किसानों ने आत्महत्या की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? इस देश का किसान अन्नदाता है। इस देश में जब खाद्यान्न का संकट आया और हमें लगा कि अमेरिका पर निर्भर रहना होगा तो उस समय के देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों का आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो, अन्यथा हमें अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। इस देश के किसानों ने श्री लाल बहादुर शास्त्री की अपील को स्वीकार किया और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। इसके लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था "जय जवान, जय किसान "। उस नारे में अटल जी ने और जोड़ा "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान "। इसके बावजूद किसानों की दुर्दशा हो रही है जो कि पिछले चार-पांच सालों में तो स्थिति और

विकट हो गई है। नीतियों में कहां गड़बड़ है? इस पर विचार करने की जरूरत है। आज देश की 62 प्रतिशत आबादी को कृषि आजीविका दे रहा है। लेकिन आज तक हमारी कोई राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं है। फ्रेग्मेंटिड मैनर में नीतियां हैं बागवानी मिशन, कपास मिशन या कोई राष्ट्रीय कृषि नीति हो सकती है। लेकिन एक होलियस्टिक वे में हमने आज तक कोई राष्ट्रीय कृषि नीति नहीं बनायी है। वर्ष 2007 में कृषि वैज्ञानिक श्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसान आयोग बना, जिसने एक राष्ट्रीय नीति बनायी और उसे संसद में प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता किसान हैं या हमारी प्राथमिकता वे लोग हैं, जो किसान को लूट रहे हैं? इस पर गम्भीर चिंतन करने की जरूरत है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि वर्ष 1987 में सरकार कुल बजट का 27 प्रतिशत कृषि पर खर्च करती थी, अब वह मात्र पांच प्रतिशत ही रह गया है। कृषि पर प्रायोरिटी घटी है। सरकार किसानों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है।

कभी कॉटन की फसल ज्यादा हो जाती है, कभी आयात-निर्यात नीति के ठीक न होने से किसान परेशान रहता है। कभी आलू ज्यादा हो जाता है, वह बाजार में लाता है तो लोग कहते हैं कि आलू बहुत सस्ते में बेचो। कभी टमाटर ज्यादा हो जाता है तो कहा जाता है कि आप उसे सस्ते में बेचो। हम क्यों नहीं एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर प्राथमिकता देते हैं? आज पैदा करने वाला भूखा है और बेचने वाला मालामाल है। यह कौन-सी व्यवस्था है?

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें पिछले कई सालों में रही हैं, इसके लिए बहुत-सी परिस्थितियां जिम्मेदारी रही होंगी। लेकिन, हमने उस परिस्थिति के ऊपर कोई गंभीर चिंतन नहीं किया। हर बार मॉनसून सत्र में हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके छोड़ देते हैं। कभी उस पर कोई निर्णय नहीं आता। इसलिए किसान हमेशा परेशान होता रहता है। किसानों के खिलाफ अलग-अलग लॉबी भी काम करती रहती है। हम उस लॉबी के पक्ष में आ जाते हैं और किसान लुटता- पिटता रहता है।

यहां से हमने कई बार वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी को कहते हुए सुना कि हमने किसानों का इतना कर्ज़ माफ किया। वे 68 हजार करोड़ रुपए की कर्ज़ माफी की बात करते हैं। पर, आज भी 37 प्रतिशत किसान कृषि ऋण के लिए सरकारी बैंकों से लोन लेता है। किसी और कार्य के लिए तो वह लोन साहूकारों से लेता है। किसान के घर में अगर शादी है तो उसे बैंकों से लोन नहीं मिलता, उसे साहूकारों से लोन लेना पड़ता है। अगर उसके घर में उसे अपनी बहन के घर में भात भरना है तो उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, वे बैंक से पूरी नहीं होती, उसे साहूकारों से लोन लेना पड़ता है। इस तरह वह साहूकार के

चंगुल में फंस जाता है। साहूकार 18 से लेकर 36 प्रतिशत तक उस किसान से ब्याज वसूलता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह आधे घंटे की चर्चा है। आपके अलावा और चार-पांच माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, आज कृषि कार्य में बदली हुई परिस्थितियों में उत्पादन में लागत मूल्य, बाजार व गुणवत्ता, प्रतिस्पर्द्धा, बिजली, सिंचाई, खाद, दवा, भंडारण, पैकेजिंग आदि से संबंधित अनेक जटिल समस्याओं का निराकरण किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वह कृषि व्यवसाय पर निर्भर है।

सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सभी किसानों के कर्ज़ माफ हों। जो बैंक से कर्ज लेते हैं और जो कर्ज़ साहूकारों से लिए जाते हैं, दोनों कर्ज़ माफ हों। अगर साहूकारों से लिए गए कर्ज़ माफ नहीं होंगे तो किसान फिर आत्महत्या करेगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ के सत्रह हजार किसानों ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिख कर दी कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर में धनी राज्य कहलाता है। यहां के भी कई जिलों के लोगों ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिखकर दिया कि हम आत्महत्या करना चाह रहे हैं। हमारे यहां राजस्थान में जिनके कुएं फेल हो गए, उन्होंने बैंक से लोन लिया और इस तरह उन पर दस-दस लाख रुपए बैंक के कर्ज़ हो गए। वे भी आत्महत्या करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कोई हॉलिस्टिक पॉलिसी क्यों नहीं लाती है? यहां किसान की कोई गलती नहीं और उनकी फसल और कुएं खराब होते हैं। उसमें रिकवरी के सिस्टम को ठीक करके सभी किसानों के कर्ज़ माफ किए जाएं।

महोदय, कृषि ऋण चार प्रतिशत की ब्याज दर पर हो। अभी यह सात प्रतिशत है और समय पर चुकाएंगे तो चार प्रतिशत है। मेरा यह कहना है कि कृषि ऋण चार प्रतिशत के ब्याज दर पर ही मिलना चाहिए। किसान देश के अन्नदाता हैं। उसमें कोई किन्तु-परन्तु नहीं होना चाहिए। फसल उगाने के दौरान कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं। कभी शीत लहर पड़ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है जिसके कारण वह समय पर नहीं चुका पाता। आप इसे आपदा प्रबंधन में नहीं मानते और परिस्थितियां उसके हाथ से बाहर होती हैं। इसलिए यह किन्तु-परन्तु नहीं होना चाहिए।

किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों को मिले। कृषि के लिए बिजली की कोई कटौती न हो। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, फैक्ट्रियों के लिए डेडिकेटेड फीडर होता है। उनकी बिजली नहीं कटती और किसानों की बिजली कटती रहती है। उनके लिए डेडिकेटेड फीडर क्यों नहीं हो सकता? उनके लिए भी डेडिकेट फीडर होना चाहिए।

महोदय, नदी जोड़ो परियोजना लागू करके हर खेत को पानी दिया जाना चाहिए। किसानों को आमदनी की गारंटी देने वाली एक इंश्योरेंस स्कीम, फार्म इन्कम टैक्स गारंटी इंश्योरेंस स्कीम लागू की जानी चाहिए। किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिए, सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य ऐसा घोषित हो, जो रीजनेबिल हो और उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत लागत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग आपने ही बनाया था, इसी सरकार ने बनाया था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट को शीघ्र लागू करना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया कन्क्लूड करिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गई है। हमारी 11 पंचवर्षीय योजनाओं में केवल एकमात्र पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रधानता थी। इससे सिद्ध होता है कि कृषि को कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रधानता दी गई है। पंचवर्षीय योजनाओं में हर बार कृषि की विकास दर का लक्ष्य चार प्रतिशत रखा जाता है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। उसकी भी कोई मोनेटरिंग करता है या नहीं करता है, यह व्यवस्था भी हमको देखनी पड़ेगी।

मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि सबजैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे बहुत बोलना था, लेकिन आपने चूंकि मुझे टोक भी दिया है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में क्या परिस्थितियां बनी हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आई.ए.एस. का बेटा आई.ए.एस. बनता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्यों? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसान का बेटा किसान इसलिए नहीं बनना चाहता कि किसान की जो खेती है, किसान का जो व्यवसाय है, वह प्रोफिटेबल नहीं रहा। वह करीब 2-3 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है तो किसान का बेटा किसान क्यों बनेगा। अगर किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश भूखा हो जायेगा। बच्चों को पूरा पोषाहार नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, अगर यही हाल रहा। इस सम्बन्ध में एक शेर है;

"यही हाल रहा तो दुनिया में, भारत की कहानी क्या होगी,

जिस देश का बचपन भूखा हो, उस देश की जवानी क्या होगी।"

सभापति महोदय: धन्यवाद। मेघवाल जी, शेर के बाद भाषण नहीं दिया जाता है। बस अब बैठ जाइये।

नियम 55 के अनुसार आधे घण्टे की चर्चा शुरू करने वाले सदस्य के अतिरिक्त जिन चार अन्य सदस्यों ने 10 बजे से पहले नोटिस भेजा हो, उनको केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। केवल श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने ही 10 बजे से पहले नोटिस भेजा था। मैं मंत्री जी को बुलाना चाहता हूं, आप उनसे एक प्रश्न पूछ लें।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदय, मेरा भी नोटिस था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपने दस बजे से पहले नोटिस नहीं भेजा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अच्छा, मैं देखता हूं। शैलेन्द्र जी, आप पहले बोल लें, फिर मैं देखता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा, जो श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने उठाई, बहुत अच्छा मुद्दा किसानों से सम्बन्धित, उनकी सुविधाओं से सम्बन्धित मामला उन्होंने उठाया और अन्त में जो शायरी उन्होंने कही, वाकई आज के समय में वह बिल्कुल सामयिक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा, यहां पर कृषि मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन वे हैं नहीं। यह बात सत्य है कि आज चाहे वह अनाज का उत्पादन हो, चाहे वह फलों का उत्पादन हो या सब्जियों का हो और दूसरा, जो मेघवाल जी भूल गये हैं, किसान दूध का भी उत्पादन करता है। दूध के बारे में भी आपको बोलना चाहिए था। आज अगर देखा जाये तो इस सदन में कई बार चर्चा हुई है कि जो अनाज किसान उत्पादन करता है, उसका वाजिब मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि जो खरीद होती है, कांटों पर उसको ले जाने के लिए बहुत दिक्कत है। दूसरी बात जो अनाज सड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि इसको गरीबों में, खासकर बी.पी.एल. वालों में बांट दिया जाये।

एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि गोदाम संरक्षण, अनाज रखने की व्यवस्था, मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें भरपूर तरीके से किसानों को सब्सिडी दे दे, उनको कह दे कि आपके यहां जो उत्पादन होता है, उसका भण्डारण आप करें तो मेरे ख्याल से हर किसान सक्षम है, वह गोदाम बनाकर अपने यहां उसको संरक्षित भी कर सकता है, गोदाम भी बना सकता है। किसान को पूरी छूट देनी चाहिए कि सीधे एक्सपोर्ट करे, उसका सीधे पैसा उसके पास आये, तभी जाकर देश का किसान खुशहाल होगा।

दूसरी बात मैं आज फलों के मामले में कहना चाहूंगा कि आज किसान फलों का भी उत्पादन करता है। वह बागों में रात-दिन रहता है, हर मौसम को झेलता है। आज फलों के संरक्षण के लिए, अभी

मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि 6,000 करोड़ रूपए से ज्यादा का नुकसान केवल महाराष्ट्र में अंगूर की खेती पर हुआ है।

दूसरी बात, जहां तक सब्जियों की बात है, सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो या फल हो, आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में चले जाइए और देखिए कि उनके क्या भाव हैं, लेकिन वहीं दिल्ली की मंडियों में आप जाइए, दिल्ली में अगर आप दूध खरीदें, चाहे सब्जी खरीदें, चाहे फल खरीदें या अनाज खरीदें, दोगुना दाम यहां बढ़-चढ़कर लिया जाता है। आज एक तरीके से किसान के उत्पादन की पूरी लूट मची हुयी है। किसान को वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर जवाब दे, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो या अनाज हो, किसान को उनका उचित मूल्य मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं तीन अन्य माननीय सदस्यों को जिन्होंने सबसे पहले नोटिस भेजे थे, एक-एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : उपस्थित नहीं।

श्री हरीश चौधरी : उपस्थित नहीं।

श्री जगदीश शर्मा।

श्री जगदीश शर्मा : सभापति महोदय, आज मुझे जिस चर्चा पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरा यह मानना है कि जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत पानी है और पानी के बाद रोटी है। अगर सृष्टि का जीवंत रखना है, तो दो जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी और पानी, उनके बाद ही किसी दूसरी चीज की बात आती है। आज चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसान के प्रति केंद्र सरकार कितनी जागरूक है, कितनी संवेदनशील है, यह सदन को देखने से पता चल जाता है। किसान का मामला केवल एक विभाग का मामला नहीं है। पूरी केंद्र सरकार, सभी विभाग इससे जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का जब तक इसमें विशेष रोल नहीं होगा, तब तक हम लोग रोते रहेंगे, सांसद चिल्लाते रहेंगे और हिंदुस्तान के किसान मरते रहेंगे। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि एक स्पेशल सैशन किसानों के सवाल पर हो। वह सैशन पांच से दस दिन तक चले। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार यदि संवेदनशील है, किसानों के प्रति उसे हमदर्दी है, तो एक सप्ताह का स्पेशल सैशन केंद्र सरकार बुलाए।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री जगदीश शर्मा : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। हम आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसमें हिंदुस्तान के किसान के प्रतिनिधि को रखेंगे या नहीं? दूसरा, जो गेहूं की आज खरीद हो रही है, उसका मूल्य कम से कम 1,700 रूपए प्रति क्विंटल रखें, धान का मूल्य कम से कम 1,400 रूपए प्रति क्विंटल रखें, के.सी.सी. दो परसेंट पर दें और जो वाटर बॉडीज हैं, परंपरागत साधन हैं और जलाशय हैं, उनका जीर्णोद्धार करें और इसके लिए पैसा केंद्र सरकार सीधे राज्य सरकार को दे। किसानों का जो पूरा आउटस्टैंडिंग ऋण है, उसे केंद्र सरकार माफ करे। मेरी आपके माध्यम से यही मांग है।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्वयं किसान हूं और मैं समझता हूं कि किसान होने के बाद ही सांसद हूं। मैं खेती करता हूं। अभी कृषि पर चर्चा हुयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। धान की खेती और गेहूं की खेती, दो ही खेती हमारे यहां होती है। आज किसानों को आसानी से पहचाना जा सकता है। गांव में जिसका चेहरा मुरझाया हुआ हो उसको आसानी से पहचाना जा सकता है कि वह किसान है। कोई अगर दुःखी आदमी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यह किसान है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बारबार लोक सभा में चर्चा होती है कि यह कृषि प्रधान देश है। हम किसानों की उन्नति करना चाहते हैं। हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं। आज मैं आपको तस्वीर बताना चाहता हूं कि आज बहुत महंगाई बढ़ गई है। आज किसान को समय पर यूरिया और डीएपी नहीं मिलता है। उन्हें बिजली नहीं मिलती है। कृषि यंत्र महंगे हो गए हैं। बहुत परेशानियां झेलते हुए जब किसान अपनी उपज को बेचने जाता है तो उसे समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। जैसे - धान का समर्थन मूल्य 1080 रूपये है। मैं 1080 रूपये देता हूं, कोई एक क्विंटल धान पैदा कर के बताए।

सभापति महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री के.डी. देशमुख : प्रश्न यही है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार द्वारा धान और गेहूं का समर्थन मूल्य तय करते समय वहां किसान का प्रतिनिधि रहना चाहिए, जिस वक्त धान और गेहूं का समर्थन मूल्य तय करने जा रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य दो हजार रूपये प्रति क्वींटल होना चाहिए। गेहूं का समर्थन मूल्य दो हजार रूपये प्रति क्वींटल होना चाहिए वरना, किसान आत्म हत्या करने से नहीं रूकेंगे। ...(व्यवधान) अब गांव का किसान खेती करने से तंग आ गया है। ...(व्यवधान) केन्द्र की सरकार गेहूं और धान का समर्थन मूल्य इस बार दुगुना करे तभी किसानों की दशा और दिशा सुधर सकती है।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I would like to draw your attention and through you, the attention of this House and the hon. Minister, to the fact that we have several Ministries, but there is no exclusive Ministry to look after the welfare of the farmers. Farmers constitute about 70 per cent of the population. We have Ministry to look after the welfare of the children, to look after the welfare of women, to look after the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; we have Ministry to look after commerce and industry, and also labour. But we have no Ministry exclusively to look after the welfare of the farmers. So, I demand that the situation has now come when we should have a separate Ministry to look after the welfare of farmers. The hon. Minister should think about setting up a special Ministry exclusively to look after the welfare of the farmers.

In addition to this, we have three sectors – industry, service and agriculture. There is a provision to give pension to industrial sector, to services sector, but there is no provision to give pension to agricultural sector, to the farmers. So, I demand that all the farmers should be provided with adequate pension and responsibility should be shouldered both by the Union Government and the State Governments. I hope that the hon. Minister will respond to these two demands.

सभापति महोदय : अगर सभा की अनुमति हो तो सभा का समय इस चर्चा व जीरो अवर की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मेहरबानी से जो किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और जब उसकी फसल नहीं बिकती है तो जो क्रेडिट देते हैं, वह इंतजाम करें कि वही उनकी फसल है। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ...(व्यवधान)

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Nothing, except what Shri Harish Rawat says, will go on record.

(Interruptions) … *

सभापति महोदय : आप सब सीनियर मैम्बर्स हैं। यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आप प्रैस नहीं कर सकते कि फलाना मंत्री आए या वह फलाना मंत्री आए। इसलिए कृपया अपनी सीट पर चले जाएं और माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनें।

…(व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा: सभापति महोदय, हम इसके विरोध में सदन से बहिष्कार करते हैं।

18.01 hrs.

At this stage Shri Jagdish Sharma and some other hon. Members left the House

---

* Not recorded.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अर्जुन राम मेघवाल जी को आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी। मेघवाल साहब बहुत ही ब्रिलिएंट पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ कुछ सवालों को उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान के मामले में यह सदन, यहां तक कि सदन से बाहर भी कभी राय नहीं बंटी। फार्म और फार्मर्स दोनों एक-दूसरे के इंटीगरल पार्ट हैं। यह अलग बात है कि हमारे मित्र पांडा साहब पता नहीं उनमें क्यों डायवोर्स कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कृषि अलग रहे और कृषक अलग रहे। कोई और मंत्रालय उसकी बेहतरी को देखे।...(व्यवधान)

18.02 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

कोई और मंत्रालय उसकी बेहतरी को देखे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय ने देश के प्रति दायित्व को बहुत निष्ठा से पूरा किया है। उसमें हम किसानों के योगदान को हमेशा आगे रखकर चल रहे हैं। हम आज अपने देश की अन्न सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हैं। उसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 3-4 सालों से लगातार रिकार्ड अन्न उत्पादन हो रहा है।...(व्यवधान) इस साल 252 मिलियन टन अन्न उत्पादन होने जा रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Only hon. Minister's reply will go on record.

(Interruptions) … [*]

SHRI HARISH RAWAT: I will come to that point also. आप कोई भी बिन्दु उठा लीजिए, उस पर सरकार के दृष्टिकोण को मैं आपके सामने रखूंगा। आप जरा धैर्य रखिए। मैं समझता हूं कि जब मैं इसका श्रेय किसानों को दे रहा हूं कि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार रिकार्ड उत्पादन हुआ, तो उसमें आप भी मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे। कुछ वर्षों पहले तक हम अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा दलहन बाहर से आयात करते थे और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि 75 से 80 प्रतिशत दलहन अपने देश में उत्पादित करते हैं। हमारे किसानों ने उस चुनौती को अपने हाथ में लिया। हम आगे और आशावान हैं।

हमारे मित्र ने कहा कि किसान खेती क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान दूसरे प्रोफैशन की तरफ जाना चाहते हैं। इस विषय में उन्होंने नैशनल सैंम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया। मैं उनसे बहुत अदब के साथ इस बात को कह रहा हूं कि एनएसएसओ के जो आंकड़े हैं, आप उन्हें

[*] Not recorded.

जरा गौर से पढ़िए। उन्होंने कहा है कि 27 प्रतिशत किसान इसे नान- प्रॉफिटेबल मानते हैं। इस तथ्य को हमने कभी नहीं छुपाया। जिस देश में परम्परागत कारणों से खेती में लगातार फ्रैगमैंटेशन हो रहा हो, जोतें छोटी हो रही हों, जिस देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा जोतें दो हैक्टेयर से नीचे हों, मैं समझता हूं कि हमें अपने वैज्ञानिकों और किसानों को धन्यवाद देना चाहिए। उसमें एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी सम्मिलित हैं, राज्यों के लोग सम्मिलित हैं, राज्य सरकारें भी सम्मिलित हैं। उन्होंने अब भी हमारी खेती पर 52 प्रतिशत लोगों की निर्भरता को बनाकर रखा है। यदि हमारी डायवर्सिफाइड इकोनॉमी के अंदर लोग दूसरे नये सैक्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे यदि किसान का बेटा इंजीनियर, मैनुफेक्चरर, बिजनसमैन बनना चाहता है, why should we block his way? हमें उसे एनकरेज करना चाहिए। इसके बावजूद जो आंकड़े हमारे पास हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूं कि 27 परसेंट ने कहा कि हम इसे नॉन प्रॉफिटेबल मानते हैं, 8 परसेंट ने कहा कि यह रिस्की है और 2 परसेंट लोगों ने कहा कि यह लैक ऑफ स्टेटस है। जो प्रोफैशन समानजनक नहीं रह जाता, लाभदायी नहीं रह जाता, लोग उसे स्टेटस की बात नहीं मानते। आज भी किसान होना हमारे देश में गर्व का विषय है और हम में से बहुत सारे लोग अपने आपको किसान का बेटा कहलाने में गर्व महसूस करते हैं।

वर्ष 1951 में हमारे टोटल कल्टीवेटर्स 70 मिलियन्स के करीब थे। आज वह संख्या 127.3 मिलियन है। जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, मैं वर्ष 71 को लेता हूं, क्योंकि वह हमारी पहली कृषि क्रांति का आधार वर्ष था, उसमें 78.2 मिलियन कल्टीवेटर्स थे और जो एग्रीकल्चरल लेबरर 47.5 परसेंट थे। आज हमारे कल्टीवेटर्स की संख्या 127.3 मिलियन है और एग्रीकल्चरल लेबरर की संख्या 106.8 मिलियन है। उसी तरीके से हमारे जो लैंड यूज डाटा हैं, वे हमे बताते हैं कि जो खेती उसके अंदर आयी है, वह वर्ष 1951 में 131.89 मिलियन हैक्टेयर थी। वह बढ़कर वर्ष 2008-09 में 195.10 मिलियन है । ऐसा नहीं है कि खेती करना लोगों ने छोड़ दिया है और वे इस पेशे में नहीं जाना चाहते हैं। यह भी एक सत्यता है कि हम अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी में यह चाहते हैं कि लोगों में दक्षता आये। आम सैक्टर में भी दक्षता आये और दूसरे सैक्टर्स में भी दक्षता आये। दूसरे सैक्टर्स खेती के भार को अपने कंधों पर लें। इसके लिए पॉलिसीज को सरकार ने हमेशा उसी तरीके से री-ओरियेन्ट करने का काम किया है।

सभापति महोदय, यहां पर हमारे मित्र ने बताया कि किस तरीके से हम किसानों को एमएसपी देते हैं। उस विषय में दो बातें कही गयीं। एक बात यह कही गयी कि इसके लिए हमारा जो सीएसीपी है, उसका कम्पोजिशन ऐसा है कि उसमें फार्मर्स का रिप्रैजेंटेशन नहीं है। उसमें और रिप्रैजेंटेशन हो,

मैथोडोलॉजी को और स्ट्रेंदेन किया जाये और पार्टीसिपेटरी कल्चर सीएसीपी में इनकलकेट किया जाये। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वह सुझाव आता है, मगर जो तथ्य है, वह यह है --

The CACP is composed of a Chairman, a Member Secretary, two official Members and three Non-official Members. The Non-official Members are representatives of the farming community. यह कहना कि फार्मिंग कम्यूनिटी का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है।...(व्यवधान) उचित नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री हरीश रावत: अधिष्ठाता जी, पिछले कुछ वर्षों से इसमें लगातार किसान संगठनों के दबाव ने बहुत काम किया है, पार्लियामेंट के सवालों ने भी मदद की है। सीएसीपी ने अपनी वर्किंग में अब किसानों को और किसान संगठनों के बराबर इनवाल्व किया है और मैं समझता हूं कि यदि और इनवाल्वमेंट के लिए हमारे मेंबर्स केस बना रहे हैं, वह जस्टीफाइड है, लेकिन यह कहना कि इसमें किसान का हित बिल्कुल इग्नोर हो रहा है, उचित नहीं है। एक बात बराबर उठती है- मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यदि मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो किसान पर कोई रोक नहीं है, जैसे पिछले साल कपास का मूल्य ज्यादा था, तो किसान बाहर ले गया। लेकिन जब मूल्य कम होता है, उस समय सपोर्ट प्राइस किसान को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2004-05 की तुलना में यदि हम धान का समर्थन मूल्य देखें, तो उसमें लगभग 93 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री हरीश रावत: ज्वार में वर्ष 2004-05 के मुकाबले 90.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार रागी या मंडुआ, जो गरीब आदमी का भोजन है, में 103.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अरहर के दामों में 130.2 प्रतिशत, उड़द के दाम में 134 प्रतिशत, मूंग के दाम में 148 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गेहूं के दाम में 101 प्रतिशत वृद्धि हुई है, बारले के दाम में 81.8 प्रतिशत, चने के दाम में 96.5 प्रतिशत और शुगरकेन में 110.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर यह जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि यह सरकार एमएसपी के प्रति संवेदनशील नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं मैंने जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, मैं अपने मंत्रालय की तरफ से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय का

---

* Not recorded.

प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा मिले, मगर हमारे जैसी लार्ज कंज्यूमर बेस इकोनोमी में आपको एक संतुलन रखना पड़ता है। उस संतुलन को बनाए रखते हुए सरकार ने निरंतर इस बात का प्रयास किया है कि एमएसपी मिले। खरीद के संबंध में जो मैकेनिज्म है, सभी को मालूम है, अर्जुन जी इसको मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि खरीद के मामले में हम राज्य सरकारों की मशीनरी पर अवलंबित हैं। एफसीआई लॉजिकल सपोर्ट देता है, मॉनेटरी सपोर्ट देता है, पॉलिसी बनाने में सपोर्ट देता है, बाकी काम राज्यों को करने होते हैं। हम राज्यों के बहुत आभारी हैं। इस साल बारदाने की थोड़ी परेशानी आई है, लेकिन उस दिक्कत को भी ओवरकम कर लिया गया है। स्टोरेज के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण भंडारण की योजना में इस साल का हमारा आउटले लगभीग 800 करोड़ रुपये है। एफसीआई ने एक बड़ी संख्या में, जो उनकी स्कीम थी जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंसेन्टिव दिया है, वह बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने 151 मिलियन टन स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करने की बात उसमें की है। कुल मिलाकर जो भंडारण की चुनौती है, एक ऐसी परिस्थिति बनी है, जो स्वस्थ परिस्थिति है।

रमेश बैस जी मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य से आते हैं। वह भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को इस वर्ष यह उम्मीद नहीं थी कि गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाएगा। यह राज्य सरकार के सामने एक चुनौती बन गई है। हम भी जितना सोच रहे थे, उत्पादन उससे ज्यादा हुआ है। अनाज का जो ऑफटेक था, वह घटा है, हमारा रिजर्व करीब तीन गुना है। भंडारण की जो स्थिति है, उस बारे में आपको आलोचना का अधिकार है, लेकिन जो सरकार की दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, अर्जुन जी आप अपने साथियों से कहें कि उसे भी देखें और हमारे अच्छे काम को एप्रिशिएट करें।

जहां तक किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात अर्जुन मेघवाल जी ने उठाई और एनसीबीआर की रिपोर्ट का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि एनसीबीआर डेटा कलेक्ट कर रही है। उसे मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। किसान किसी भी कारण से मर रहा है, उस सबको वे लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं। हमें जो आंकड़े राज्यों ने दिए हैं, हम राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों और सूची पर विश्वास न करें, यह ठी नहीं है। हमारे यहां संघात्मक ढांचा है। राज्य जो कहते हैं, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 2006-2007 में 557 केसेज़ थे आत्महत्या के जो एग्रेरियन सेक्टर में मुआवजे के लिए पात्र माने गए थे। इसमें ऋण की समस्या थी, सब सम्मिलित है, लेकिन 2011-2012 में 109 रिपोर्ट्स ही दर्ज हुई हैं। इसी तरह कर्नाटक में 2006-2007 में 176 केसेज आए थे, 2011-2012 की रिपोर्ट के अनुसार 77 केस ही दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 2006-2007 में 1031 केस थे, अब वहां से 123 रिपोर्ट ही आई हैं। केरल में निल है। केरल ने अपने पैकेज का पूरा इस्तेमाल किया है। तमिलनाडु में भी निल है। पंजाब में 2006 से

2011 तक के आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर आया है। कुल मिलाकर ये आत्महत्याएं कृषि कार्यों में हुई हैं और इनमें कमी आई है। लेकिन एक भी किसान की कृषि कारणों से मौत हमारे लिए चुनौती है।

मैं प्रधान मंत्री जी, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया जी, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ऋण माफी को अमल में लाया गया, उसका भी यह परिणाम है। उसने किसानों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया है। जो ऋण माफी की योजना को 2008 में लागू किया गया, उससे 369 लाख किसान लाभांवित हुए और 65,318 करोड़ रुपए के करीब ऋण माफी हुई। मैं समझता हूं दुनिया में और कहीं इतनी बड़ी ऋण माफी नहीं हुई है। जो स्पेशल पैकेज चार राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को प्रधान मंत्री जी की तरफ से दिया गया, उस पैकेज ने भी किसानों की काफी मदद की। उस बात का कई इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने सेम्पल सर्वे भी किया है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन चीजों ने काफी असर किया है और उसका लाभ किसानों को और अन्य लोगों को मिला है। मैं अर्जुन भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के ऋण की बात यहां उठाई और कहा कि जो ऋण सरकारी संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिया जाता है, उसे बढ़ाया जाए। सरकार ने उनके दिल की भावना को पहले से ही अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। सन् 2003-2004 में 86981 करोड़ रुपए का ऋण किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में था। वह बढ़कर वर्ष 2010-2011 में 4,68,299 करोड़ रुपये हुआ। मैं गणित में जरा कमजोर हूं, जल्दी से प्रतिशत नहीं निकाल पा रहा हूं, उधर वाले तेज हैं वे प्रतिशत निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत का क्वांटम जम्प है। बैंकों को साफ तौर पर कहा गया है कि इसे प्रीओरिटी लैंडिंग एरिया मान करके, उनके लिए टार्गेट निर्धारित करने का काम किया गया है और बैंक्स उस टार्गेट को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

आपने ब्याज-दर कम करने की बात कही है तो उस पर भी अमल किया जा रहा है। अब प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत की है। यह ठीक है कि आपको उसमें एतराज है और उसमें कुछ इफ और बट्स आपने लगा रखे हैं। आप जानते हैं कि किसान को आखिर ऋण की समय पर अदायगी के लिए प्रेरित भी तो करना पड़ेगा, बैंक्स भी तो हमारे ही संस्थान हैं। हमें दोनों के बीच में तालमेल रखना पड़ेगा। यदि किसान ज्यादा समय तक अपने ऋण को नहीं निपटाये रखेगा तो आगे के ऋण उसे कहां से मिल पायेंगे? इसलिए मैं समझता हूं कि जो सशर्त ब्याज दर में अंतर लाया गया है वह सोच-विचार करके लाया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 90 परसेंट किसान इस पैटर्न को अपना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम और उत्साहित करेंगे तो वे इसे और अपनाएंगे और आगे के लिए क्रेज बढ़ेगा।

सदन में हम लोग इस बात को कहेंगे कि ब्याज दर को चार प्रतिशत से तीन प्रतिशत लाने की कोशिश की जाए। इससे हम प्रभावी-रिटर्न को इंश्योर करने का काम सकेंगे तथा कोओपरेट्व्ज जिनके ऊपर

माइक्रो-लेवल पर लेंडिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कुछ राज्यों में वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ राज्यों में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो संशोधन इस सदन में पारित किया है कि कोओपरेटिव्ज को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है और यह एक लैंड-मार्क फैसला संसद का था। हम यह समझते हैं कि वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर जो सुझाव और सुधार हम कोओपरेटिव्ज में ला रहे हैं, उसके बाद जो हमारा रूरल क्रेडिट सिस्टम है वह और मजबूत होगा और किसानों की निर्भरता प्राइवेट लैंडर्स पर कम हो सकेगी।

पिछले कुछ वर्षों के अंदर आपने इस बात को बहुत उठाया कि हमने कृषि को मजबूती देने के लिए प्रयास नहीं किये हैं। एक कृषि विद्यार्थी के नाते मैं समझता हूं कि जितना एलोकेशन इस सरकार के समय में इस क्षेत्र के अंदर हुआ है उतना पहले नहीं हुआ। कुल मिलाकर के देखेंगे तो कृषि क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा इंवैस्टमेंट हुआ है। ...(व्यवधान)

दो-तीन पाइंट यहां पर रेज किये गये हैं। एक पाइंट यह है कि हम लोगों ने कोई नये इनीशिएटिव नहीं लिये हैं। इसके लिए हमने नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स को लिया, एनएफएसएम और आरकेवीवाई के तहत लिया तथा जिस तरीके से राज्यों को मदद दी है उससे अब राज्य कृषि के सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन कर रहे हैं। उसके कारण एग्रीकल्चर के अंदर पब्लिक इंवैस्टमेंट बढ़ा है और आज उसी का कारण है कि कुछ जगहों पर सूखा और बाढ़ के बावजूद साढ़े तीन परसेंट की ग्रोथ-रेट हम कृषि क्षेत्र में बनाए रखने में सफल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक एक-दो वर्षों के अंदर, 4 प्रतिशत की जो ड्रीम ग्रोथ-रेट कृषि में है उसे हम प्राप्त कर लेंगे। यह तब सम्भव हो रहा है, जब इसके लिए कई योजनाएं जैसे नेशनल हार्टिकल्वर मिशन, स्पोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फार एक्सटेंशन रिफार्म्स, नेशनल एग्रीकल्वर इंश्योरेंस स्कीम शामिल है। हम इसे मोडिफाइड इंश्योरेंस स्कीम ले कर आ रहे हैं और इस पर अमल हो रहा है। मेरे समझ से सौ से ज्यादा जिलों के अंदर उस स्कीम को प्रारम्भ किया गया है। यदि आंकड़ों को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ठीक कर लूंगा लेकिन मेरी समझ से काफी चीजें हैं, जिन्हें हमने कृषि क्षेत्र के अंदर नए-नए इनिशिएटिव ले कर पूरा कर लिया है। आप देखेंगे कि पिछले साल के बजट प्रस्तावों के अंदर वित्त मंत्री जी ने कई नए एरियाज को ओपन-अप किया है, जिनमें से हमारी दूसरी हरित क्रांति, हमारे ईस्टर्न स्टेट्स के लिए विंडो प्रोजेक्ट्स हैं, मगर हमने पूर्वोत्तर राज्यों में एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करने के लिए एक सब्सटांशियल एमाउंट निर्धारित करने का काम किया है। साठ हजार से ज्यादा गांवों को पल्स विलेजिस के रूप में सिलेक्ट किया है, ताकि दलहन में हम आत्मनिर्भर हो सकें। सब्जियों के लिए शैलेन्द्र जी ने चिंता जाहिर की थी कि बाहर कुछ दाम होते हैं और अंदर कुछ दाम होते हैं, उसे बैलेंस करने का काम किया है, ताकि सप्लाई चेन के कारण दाम एकदम से न बढ़ पाएं और खेती

दबाव में न आए। इसके लिए हमने सब्जियों के उत्पादन के लिए योजना प्रारम्भ की है, उसका लाभ मिलेगा। हमने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दूध हमारे पास सरप्लस है और बड़ी-बड़ी कम्पनियां के पास दूध का इतना पाउडर है कि उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद भी 12वीं पंचवर्षीय में उसके लिए अलग से मिशन तैयार किया है। फूड प्रोसेसिंग एरिया के अंदर नया मिशन लांच करने का काम किया है, ताकि प्रोसेसिंग को भी बढ़ाने का काम हम कर सकें। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन में नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से तथा दूसरे माध्यमों से हम स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बल्कि एफडीआई जो रिटेल में लाना चाहते थे, उसका मकसद भी जो फूड प्रोसेसिंग का एरिया है, कोल्ड चेन सिस्टम है, उसे और मजबूत करने के लिए स्टोरेज को मजबूत करने के लिए इन सब चीजों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें सदन का बराबर समर्थन मिलेगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप आलोचना करें और हम तथ्यों के आधार पर दूसरी बार और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने आ सकें। आप हमारे इरादे पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि हमें आपके इरादे पर कोई संदेह नहीं है। हमें आपके इरादे पर भरोसा है। हम यह मान कर चलते हैं कि सरकार बेहतर परफोर्म करेगी, इसलिए आप आलोचना करने के नए विषय ढूंढ़ते हैं। हम आपके इस प्रवृत्ति को सैल्यूट करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, उसे आपके सामने रख रहा हूं। यह आफ एन आवर डिस्कशन है, इसलिए मैं सभापति जी के कहने से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): सभापति महोदय, वर्ा 1990 में एक स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट किया गया था, जो कि चार कम्पनियों को दिया गया था, जिनमें एयरटेल, वोडाफोन तथा दो अन्य कम्पनियां थीं। इन्हें सिंगल बैंड कम्यूलिटिव फ्रिक्वेंसी के आधार पर स्पेक्ट्रम बेचा गया था, जबकि इन कम्पनियों के द्वारा आज तक सिंगल बैंड के आधार पर ही सरकार को भुगतान किया जा रहा है, जबकि इन्हें दोनों तरफ का भुगतान करना था। इस मामले को जेपीसी में भी छुपाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय दूर संचार मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी है, जैसे किसी हाईवे पर कोई गाड़ी एक तरफ से जाती है तब भी पेमेंट करना पड़ता है और जब दूसरी तरफ से आती है तब भी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसमें मात्र एक तरफ से कर रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण मामले को इन्होंने जेपीसी में भी छिपाया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Any material which you want to send to the JPC, they will definitely consider it. You can write a letter to the JPC Chairman. He will definitely look into this matter.

श्री मिथिलेश कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मामले की माननीय दूर संचार मंत्री गंभीरता से जांच कराएं और् जांच कराकर उन लोगों ने जो घोटाला किया है, उस पर कार्रवाई की जाए, उनसे पैसा वसूला जाए जिससे हमारे देश हित में कार्य हो सके।

SHRI S. ALAGIRI (CUDDALORE): Mr. Chairman, Sir thank you very much.

In Tamil Nadu in the Cuddalore District, the contract workers are on strike in the Neyveli Lignite Corporation. More than 10,000 workers are on the strike for the last 30 days, but from the Corporation side there is no good response. Till now, the Corporation is not involved in the dialogue with the striking workers. So, the management's attitude is not a good one. Also, they bring outsiders and outside workers are staying in the mines. They are doing the jobs whenever the contract workers are on strike. So, it is not good.

Sir, due to the strike, there is no surplus lignite there. The position is hand to mouth. So, if any problem arises, the whole power production would be stopped. Sir, for the last 20 years, the workers have been continuing as contract labourers. After the intervention of the Madras High Court and the High Court

gave a strong ruling, the Neyveli Lignite Corporation prepared the seniority list, but the Corporation has not obliged with the list. Whenever and wherever the permanent workers retire, the contract worker should be posted in that post according to the seniority. But the management is not willing to fill up the vacant posts.

Sir, even though it is a *Navaratna* Company still it is acting like Sylac attitude. The equal work and equal payment is a universal concept. But it is rejected in the Neyveli Corporation.

Sir, contract worker's salary is very low. Even a *masan* gets Rs.600/- in our area, but the contract worker gets only Rs. 320/-. It is a very low salary. I know personally so many workers there. More than 1,000 workers are working there for the past 20 years as contract workers. The unskilled labour gets Rs. 302; semi-skilled worker gets Rs. 311/- and skilled worker gets only Rs. 320/-.

Sir, now the Corporation has recruited 100 engineering students in the Neyveli Corporation from the campus interview like a private company. Sir, this is a public sector company. So, this procedure is not good. As a company, it should call for the students through advertisement and conduct the examination and then held interview and then select the students. But the Neyveli Corporation trespassed everything. So, I want to convey my opinion through this august House that the hon. Minister of Coal should stop these postings and announce the new postings.

Also, the hon. Coal Minister should intervene in the workers' strike and settle the workers' problem. Then only, the problem would be solved.

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Sir, I wish to draw the attention to an important matter today in this House. There are thousands of students in Kerala who pursue professional courses such as Engineering, Medicine, Nursing, MBA, MCA, etc. which involve lakhs of rupees as course fee. They mainly depend on education loans to pay their course fee. The very idea behind the education loan is to advance loans to help the students belonging to poor financial

background and the repayment starts only after gaining a job or after one year of the completion of the course. The Central Government's direction is already there to give interest subsidy to the loan amount advanced after April 2009. The banks in the country act in a way to defeat the noble idea of the concept and thereby drag the students to suicide-like situations. In Kerala, the problem is more serious on the eve of the suicide of a number of students due to the denial of education loans to continue their studies. The latest incident in Kerala is the suicide of a Second Year nursing student Sruthi Sreekanth due to denial of education loan from the HDFC Bank. She was studying at Sree Chaithanya Nurisng College, Tirupati. Besides, banks also deny educational loan to the students getting admission in management quota.

Hence, I request that the Government may immediately interfere with the matter and may take immediate action to compel the banks to disburse education loans in the manner prescribed by the Government and the RBI and thereby save the students from the situation of frustration and depression due to such arbitrary denial of education loans. Besides, steps may be taken to extend interest subsidy to all educational loans irrespective of the date of the loan period.

MR. CHAIRMAN: Shri P.T. Thomas, Dr. Botcha Jhansi Lakshmi and Shri M.B. Rajesh are allowed to associate with the matter raised by Shri K.P. Dhanapalan.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak during the 'Zero Hour'.

I would like to draw the attention of the House regarding the man-elephant conflict in my constituency.

My constituency is Chamrajanagar which is situated in the Karnataka-Tamil Nadu border. Out of the total geographical area of 6854 sq. kms. in Mysore District and 5101 sq. kms. in Chamarajanagar District, 1450 sq. kms. and 2791 sq. kms. respectively of forest areas are covered. There are two tiger projects. One is the Bandipur Tiger Project - the BRT Tiger Project. One National Park called the Rajiv Gandhi National Park comes under my constituency.

Regarding the man-elephant conflict, elephants were moving towards farmers' crop area and destroyed the growing crops. So, the compensation given by the Government is not scientific. The compensation given to the farmers is like this. For example, for Paddy, it is Rs.660 per quintal which the Government is giving. For maize/jowar, it is Rs.620 per quintal. For ragi, it is Rs.600 per quintal. For groundnut, it is Rs.1550. For sugarcane, it is Rs.81 per tonne. So, this is not scientific. The farmers are facing a lot of problems.

Hence, I would urge upon the Government to increase the crop compensation in a scientific way. So, I would earnestly appeal to the Government to increase the rate of crop compensation, release sufficient funds to settle the pending cases. About pending cases, I would like to say that 1120 cases are pending. The Government has not paid compensation to the farmers.

Therefore, I request the hon. Minister of Environment and Forests to immediately give money to the farmers.

There is one more point. To avoid man-elephant conflict, erection of solar fencing is very necessary. So, I urge upon the Government to take immediate steps in this regard.

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय जो पूरे देश के लिए और खासकर किसानों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, मैं उसकी तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। देश में जो मैदानी इलाके हैं और जो हिमालय का नीचे का भाग है, गंगा का जो कैचमेंट बेल्ट है, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर नील गायों की संख्या बढ़ रही है। इन नीलगायों के कारण यहाँ के किसानों की फसल बरबाद हो रही है। खासकर जहाँ मेरा क्षेत्र है - सीतामढ़ी, कहनानपुर और बोखरा प्रखंड में सैकड़ों की तादाद में नीलगाय उस इलाके की फसल को बरबाद कर देती है। जो हरी फसल है, इसके साथ-साथ आलू और ज़मीन में रहने वाली फसल को भी पैर से खरोंचकर बरबाद करते हैं और जब वहाँ के किसान इससे निजात पाने के लिए सरकारी अधिकारियों या पुलिस के पास जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। सरकार के पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उस नीलगाय से बचा जा सके।

हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं और बहुत सारे साथियों ने इस पर चर्चा भी की है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में भी बड़े पैमाने पर नीलगायों के उपद्रव से किसान परेशान

हैं। हमारे इलाके का एक गाँव है। वहाँ के किसानों ने गाँव छोड़कर भागना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके यहाँ फसल नहीं हो पाती है। जानीपुर गाँव में उनकी कोई फसल नहीं हो पाती है। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना पाई है कि उन नीलगायों को पकड़कर अच्छी जगह पर रखा जाए। अभी मैंने पढ़ा था कि जो मैदानी इलाके हैं, ग्रीनफील्ड्ज़ हैं, वहाँ नीलगाय रहती हैं, ये जंगल में रहना पसंद नहीं करते। ये लंबे समय से, 15-20 वर्षों से किसान की फसल को बड़े पैमाने पर बरबाद कर रहे हैं। एक तरफ तो कृषि महंगी होती जा रही है, फिर भी किसान फसल लगाते हैं परंतु नीलगाय उनको बरबाद कर देती हैं। किसी भी दृष्टि से ये नीलगाय उपयोगी नहीं हैं। लेकिन एक धार्मिक सैन्टिमैन्ट है हिन्दू समाज के लोगों में कि यह गाय की उपजाति है, भले ही उसकी उपजाति नहीं है और कोई इसको ह्रास भी नहीं करता। यह सवाल सदन में विभिन्न माध्यमों से उठता रहा है कि इस नीलगाय से किसानों को बचाने के लिए सरकार कोई ऐसा मैकेनिज़्म डैवलप करे, और जब तक कोई मैकेनिज़्म डैवलप नहीं होता, तब तक किसानों की जो फसल बरबाद होती है, उसको ऐसैस करके उन किसानों को मुआवज़ा देने के लिए कोई नया प्रावधान करे। हम सरकार से यह मांग करते हैं।

SHRI LAXMAN TUDU (MAYURBHANJ): Respected Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak in this august House. A place named Kesharpur under my parliamentary constituency, Mayurbhanj, where a huge deposit of copper and silver is expected. Some years back, an exploration of investigation was undertaken by the Geographical Survey of India and a report was also circulated in this regard. But I am sorry to say that the report was manipulated for no reason. I also gave a notice for Question in the House in this regard. The reply to the unstarred question No.3737 by the hon. Minister was not clear. The answer was not true to line. Therefore, I would like to urge upon the Government of India, through you, Sir, to give an instruction to the Government for fresh exploration of copper and silver at Kesharpur so that we get a thorough report in this regard.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति जी, अफ्रीका के अंगोला में गुजरात के 40 व्यक्ति एवं संपूर्ण भारत के 1200 लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उस बात को मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ। कई एजेन्सियों के द्वारा ये सब लोग अंगोला में एक सीमेन्ट की फैक्ट्री में काम करने हेतु गए थे। वहाँ उन लोगों ने चार से पाँच महीने काम किया, मगर उनको कोई वेतन नहीं दिया गया। उन

लोगों ने ओवरटाइम किया, मगर उसका भी उनको कोई वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की तो उन पर अत्याचार किया गया, उन लोगों पर गोलियाँ बरसाई गईं। यह घटना करीब दो हफ्ते पहले की है। वे लोग छिप गए। इनमें से कई लोगों को बंधक बनाया गया, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए और वे लोग जान बचाकर जंगल में छिप गए। उनकी स्थिति बहुत ही दारिद्र्यपूर्ण है। वे लोग सदमे में हैं और अपनी जान बचाकर इधर-उधर भाग रहे हैं।

अभी-अभी गुजरात के चार लोग और भारत में से कुल चालीस लोग करीबन चार दिन पहले यहां आए हैं। उन लोगों ने अपनी व्यथा का वर्णन किया है, जो कि बहुत दर्दनाक है। वे लोग कंटेनर में छिप गए थे। वहां के दूतावास से उनको कोई मदद नहीं मिली। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय का रवैया बहुत ही ढीला रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि उन लोगों को रिहा करवाया जाए और उन लोगों को जो यातनाएं दी जा रही हैं, उन लोगों को जान-माल का खतरा है, उससे उनको मुक्त किया जाए। जिस एजेंसी के द्वारा उनको ले जाया गया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे दंडित किया जाए। यही मेरी मांग है।

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Rajendra Agarwal and Shri K.D. Deshmukh are allowed to associate themselves with the matter raised by Dr. Kirit Premjibhai Solanki.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, Sir, I have been waiting to raise this issue throughout the entire Session.

Sir, I would like to draw the attention of this House to an important issue relating to Kashmir. It is almost two years since stone pelting youth took to streets protesting against the high handedness and unaccountable actions of the security forces. Over 120 people, mostly youth, lost their lives in police firing during the protests. Following the turmoil in the Kashmir Valley, Members of Parliament across the political spectrum visited Kashmir and promised to pursue steps to restore peace and normalcy. The Union Government also appointed a 3-member team of interlocutors to recommend steps to resolve the crisis. The team had submitted its report in October, 2011. However, nothing has happened since then and there has been no initiative by the Union Government towards restoring

normalcy in Kashmir. It is precisely this insensitive approach which breeds frustration and alienation among the Kashmiri youth.

Sir, the Chief Minister of Jammu and Kashmir has been demanding a phased withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act from Kashmir. This demand has received support from many quarters. Phased withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act and gradual reduction of troop levels in the Kashmir Valley will be a substantive confidence building measure.

The Public Safety Act has also been used to harass and intimidate innocent persons who have no links with terrorism. These draconian laws need to be withdrawn to restore normalcy. Fighting terrorism does not require harassing innocent people using draconian laws.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Otherwise, I am going to call the next Member.

SHRI M.B. RAJESH : So, I urge upon the Union Government to take immediate steps to repeal the Armed Forces Special Powers Act and the Public Safety Act which will go a long way in restoring peace and normalcy in Kashmir.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 की तरफ, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना से निकलता है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। अभी मंत्रालय ने इस सड़क को फोर लेन बनाने का निर्णय लिया है, जिस पर भूमि अधिग्रहण का कार्य आरम्भ हो चुका है। मैहर शहर से आगे पूड़ी गांव में श्री राम दरबार का मंदिर है, जिसमें लाखों लोगों का आना-जाना होता है। मंदिर पूरी तरह से पट्टे की आराजी में बना है। सड़क का चौड़ीकरण होने से मंदिर का गर्भगृह प्रभावित हो रहा है, जिससे मंदिर में आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालु अत्यंत परेशान हैं। मैंने इस संबंध में एक वैकल्पिक सुझाव दिया था तथा लिखित रूप से पत्र देकर मंत्री जी को भी अवगत कराया था, किंतु अभी तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है। चूंकि सड़क का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होना है, अतः उक्त स्थान की पूर्व दिशा की ओर से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है और इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं आएगा। अतः मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि इसके एलाइनमेंट में थोड़ी-सी परिवर्तन करके लोगों की भावनाओं का खयाल रखा जाए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, महर्षि वाल्मीकि का भारत की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परम्परा में अत्यंत विशिष्ट स्थान है। वे करूणा के अवतार हैं। उनकी संवेदना का अनन्त विस्तार है। क्रौंच पक्षी की पीड़ा को देखकर उनके हृदय से काव्य का प्रथम स्वर प्रस्फुटित होता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। राम कथा को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य सम्पूर्ण मानवता को उनकी अनुपम देन है। राजधर्म से बंधे राम द्वारा परित्याग किए जाने पर माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ही आश्रय देते हैं। राम के समान ही महर्षि वाल्मीकि का व्यक्तित्व अत्यंत अद्‌भुत एवं विशाल है।

महोदय, सम्पूर्ण देश में महर्षि वाल्मीकि का सभी वर्ग आदर करते हैं व उनकी पूजा करते हैं। अपने देश का अत्यंत वंचित वाल्मीकि समाज अपने आदि पुरूष के नाते उनकी विशेष रूप से आराधना करता है। बहुत लम्बे समय से विभिन्न समाजों के सभी प्रतिनिधि महर्षि वाल्मीकि जयन्ती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग करते रहे हैं। परन्तु, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बहुत समय से लम्बित इस मांग का सम्मान करते हुए सरकार महर्षि वाल्मीकि जयन्ती पर तुरन्त राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे।

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Ganesh Singh, and Shri K. D. Deshmukh are allowed to associate themselves with the issue raised by Shri Rajendra Agrawal.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, भारत सरकार ने एलटीसी रूल्स, 1988 के मुताबिक करीब-करीब पचास लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रूल्स रिलैक्स करके नॉर्थ ईस्ट और जम्मू-कश्मीर को होम टाउन के बदले एलटीसी की सुविधा देने की घोषणा कर दी। इस मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी को चार साल में दो बार या तो भारत में घूमने के लिए या फिर होम टाउन में घूमने की सुविधा है। इसमें सरकार ने होम टाउन के बदले नॉर्थ ईस्ट या जम्मू-कश्मीर घूमने के लिए रूल्स में रिलैक्सेशन किया। यह अच्छा कदम है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के पश्चात् हालत बहुत बुरी हो गयी है। बेरोजगारी अधिक है। खेत डूबे पड़े हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल के दर्शन करना सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। करप्शन पर अंकुश लगाने हेतु जहां से देश प्रेम की गाथा आई, वहां लोग घूमेंगे तो उनके दिल में भी वह भावना आएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तमिल, तेलुगू, हिन्दू, मुस्लिम, इसाई आदि में जात-पात का कोई भाव नहीं है। वहां जाने से सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की भावना के दर्शन होंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एलटीसी-80 रूल में

अमेंडमेंट करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के साथ-साथ इसमें शामिल किया जाए।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I would like to raise an urgent matter regarding acute shortage of reservation in all trains bound for Southern region as well as trains plying in Tamil Nadu, especially, during summer vacation.

More than 50,000 people are on wait list up to June 10 of this year for the trains running between Kanyakumari and Chennai alone. This is the case with all routes and in prominent routes other than the above the wait list is running into several lakhs. Even Tatkal Reservations are sold in seconds' time.

Trains are running jam-packed. There are huge crowds in all the reservation centres in spite of having e-mail ticketing facility. People are travelling on footboards due to huge crowds inside the coaches. The children and elderly people are suffering a lot while travelling.

Sir, recently a person, who was carrying his four children to Mumbai from Salem fell down inside the track while he was trying to board the train as he could not enter because of huge crowd inside the coach and succumbed to death. These types of incidents and accidents are taking place everyday and everywhere across the country.

Therefore, I urge upon the hon. Minister of Railways to forthwith direct all the Zonal Railways to add more coaches in all the trains when there are passengers outnumber its capacity.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Sir, I want to bring a matter of great importance to the notice of the Government and the Railway Minister. As is known to the hon. Members, Izzat pass is issued to serve the downtrodden and economically weaker sections of society and also city vendors by the Railways on the authorization of the concerned MP. With this Izzat pass, these deprived sections of the society can travel within a range of 100 kms. In this year's Railway Budget, this distance has been increased to 150 kms.

Sir, now I come to my parliamentary constituency, Tiruvallur. It has come to my knowledge that suddenly, without any information to the concerned MP, the Railway authorities and the Travelling Ticket Examiners (TTEs) started asking for income certificate and the residential proof in the declaration form to issue Izzat passes to these people. My contention is, when an MP has been authorized by the Railways to sign the form for issuance of Izzat passes to these deprived sections of people, how can they take away this privilege given to the MPs without even informing them in advance? This is highly objectionable and completely condemnable.

In my parliamentary constituency, the TTEs have gone to the extent of tearing Izzat passes, which is an insult to the Members of Parliament. I want the hon. Railway Minister to step in and set right the situation by ordering an enquiry to find out who were these TTEs who torn the Izzat passes. I would further urge upon him to find out on whose directions the Railway authorities in my parliamentary constituency, Tiruvallur of Tamil Nadu, decided to change the formalities to be filled up for issuance of Izzat passes overruling the earlier procedure which gives the privilege to MPs to sign the form endorsing the genuineness of the persons from the concerned parliamentary constituency availing this facility.

MR. CHAIRMAN : Shri M. Anandan and Shri R. Thamarai Selven are allowed to associate themselves with the issue raised by Dr. P. Venugopal.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Sir, the Rajiv Gandhi Centre for Bio Technology in Trivandrum is one of the prestigious Institutions in the country. The Institution successfully research different kind of diseases of human being, animals and plants. They have also researched for 'Swine Flu' disease and submitted their observations to the country.

The Rajiv Gandhi Centre for Bio Technology has requested the Central Government and the Ministry of Science and Technology to declare it as

an Institution of national importance. The Government of Kerala has also requested the Central Government to enact legislation for declaring this Institution as of national importance. The Government of Kerala has also offered land for the Rajiv Gandhi Centre for Bio Technology but the Ministry of Science and Technology has not taken any decision on it so far.

Sir, more than 17 hon. Members of Parliament have signed a Memorandum and submitted it to the hon. Prime Minister. The Prime Minister's Office has also given instructions to the Ministry of Science and Technology but some officials are acting against the Rajiv Gandhi Centre for Bio Technology. That is why this Bill has not come to the Parliament.

Therefore, I urge upon the Government and the Ministry of Science and Technology to introduce a Bill in Lok Sabha and Rajya Sabha to make the Rajiv Gandhi Centre for Bio Technology, an institution of national importance.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman.

Around Rs. 65 crore has been sanctioned for face-lifting of the ESI Hospital at Choudwar in my Constituency, District Cuttack of Odisha. But it is learnt that the Archeological Survey of India is not according permission citing Ancient Monument Preservation Act.

This ESI Hospital is functioning since 1965 and this money which has been sanctioned two years back is only to expand and do little bit of face-lifting. This ESI hospital has been functioning in Choudwar for decades and is located more than 500 metres away from the protected monument area. The law says that nothing should be constructed within 100 metres area. This hospital has been functioning since 1965 and is 500 metres away.

My only request here is this. I would urge upon the Government to accord 'No Objection Certificate' for the face-lifting of ESI hospital at Choudwar at the earliest as recently the Archaeological Survey of India has declined to give 'No Objection Certificate'. I think the Government should reconsider it and provide

'No Objection Certificate' at the earliest for the investment and for the face-lifting of this hospital.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): महोदय, मुझे यहां से बोलने की परमीशन दी जाये।

बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय, आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। आज पूरे देश में कॉटन की खेती अच्छी तरह से हो रही है। किसानों की मेहनत बराबर रंग ला रही है, क्योंकि आज किसान ईमानदारीपूर्वक खेत में मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत सफल भी हो रही है। परिणामतः आज कॉटन का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। किसान अपने कॉटन का उत्पादन लहलहाते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा है, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि जब किसान कॉटन का भाव बाजार में सुनता है तो उसकी आत्मा अन्दर से कांप उठती है और वह फूट-फूट कर रो पड़ता है। इसके कारण बहुत से किसानों ने आज आत्महत्या भी कर ली है। यह बात सत्य है कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। मुझे भी यह पता है कि यह भाव उनके बीज और खाद की कीमत के लिए भी बहुत नहीं है, उनकी मजदूरी भी बराबर नहीं मिलती है। बहुत से किसान तो भाव सुनकर ही आत्महत्या कर लेते हैं।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि अगले जून महीने में मानसून का समय आने वाला है और किसान वरुण देव की पूजा करके इस बार भी अच्छी बारिश हो, इसके लिए वह पूजा कर रहा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अभी बाजार में जो हो रहा है, वह मैं कृषि मंत्री जी निकल गये, अभी आधे घण्टे कृषि पर चर्चा हो रही थी, वही मेरा पाइंट है, लेकिन यहां एक दूसरी बड़े दुख की बात है कि आज किसान को बाजार में सही बीज नहीं मिल पा रहा है। जिस गुणवत्ता वाला बीज किसानों को चाहिए, वह बाजार में उपलब्ध नहीं है और बीज कालाबाजार में मिल रहा है। साथ ही साथ पूरे बाजार में निकली बीज का काला धन्धा हो रहा है और आज किसान को कॉटन का सर्टिफाइड बीज नहीं मिल पा रहा है। यह कृषि मंत्रालय के लिए शर्मनाक घटना है। यह केन्द्र सरकार और कृषि मंत्रालय की नाक कटने के बराबर है।

19.00 hrs.

यह सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में सही बीज और समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जो किसान दिन-रात पसीना बहाकर खेती करता है, यदि आज उन्हें समय पर खाद और सही बीज नहीं मिले तो देश में ऐसी सरकार रहने या न रहने का कोई अर्थ नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि मानसून का समय आने वाला है और मानसून से पहले ही किसानों की मदद के लिए यदि कृषि मंत्रालय एक केंद्रीय टीम भेजे, राज्यों के सभी जिलों में निगरानी करे तो शायद इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, इसी साल कवि गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर जी की 150वीं जयन्ती मनायी गयी, स्वामी विवेकानन्द की भी 150वीं जयन्ती इसी साल मनायी जा रही है, गोपाल सिंह नेपाली कविवर की भी 100वीं जयन्ती, इससे पहले डॉ राम मनोहर लोहिया जी की 100वीं जयन्ती और पंडित मदन मोहन मालवीय की भी 150वीं जयन्ती मनायी जा रही है। कांग्रेसी लोग मदन मोहन मालवीय जी को भुल गये। उनकी 150वीं जयन्ती मनायी जा रही है, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं है। उसी जयन्ती के फलस्वरूप अभी-अभी मावलंकर हाल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास के लीडर की ओर से पुस्तक संस्कृति महोत्सव में देश-विदेश के जाने-माने विद्वानजन जुटे हुए हैं। उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। उसमें बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी के संवाद का प्रदर्शन हो रहा है और उस जयंती पुस्तक संस्कृति महोत्सव के माध्यम से देश में पुस्तकालय संबंधी कानून बने, क्योंकि कुछ ही राज्यों में पुस्तकालय का कानून है, देश भर के सभी राज्यों में पुस्तकालय का कानून नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय का कानून बने। पुस्तक संस्कृति नौजवानों के लिए और देश के नागरिकों के लिए उत्सव के रूप में मनायी जाए, पुस्तक संस्कृति फैलायी जाए। चूंकि मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं, किताब चाहिए। इस संस्कृति को विकसित करने के लिए भारत सरकार पुस्तकालयों को बढ़ाने के लिए इसे मिशन के रूप में तैयार करे। पुस्तकालय से संबंधित वह कानून बनाये और मिशन के रूप में इसे लागू करे। तब हमारा देश दुनिया के मुल्कों की अगली पंक्ति में आएगा और उसे विश्व शक्ति होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise a very important matter of public importance regarding the plight of the Indian workers in Angola.

Sir, as reported in the print and electronic media, near about 1200 Indian workers are facing a problem in Angola. A sizeable number of workers are from my Lok Sabha constituency, that is, from Vizianagaram and Srikakulam districts of the North coastal Andhra Pradesh. The employers have taken away their passports and treating them inhumanly. Their families are agitating at the

Srikakulam district Collectorate leading to tension and police intervention. We need to understand the agony of the family members.

Similar incidents of ill-treatment of the Indian workers are being reported regularly. All these people are going to earn some extra income to improve the financial condition of their family but they are facing life threatening problems.

I, on behalf of the affected family members, would request the Government through you, Sir, to take immediate steps to bring back all the Indian workers from Angola, who wants to return to India. I would urge the Government through you, Sir, to come up with a long-term policy so that no Indian worker is affected in any part of the world. It is high time that the Government should take measures to sensitize the Indian workers, who are going abroad for employment so that these Angola types of incidents would not be repeated in any part of the world.

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, the Scheme of Jana Shikshan Sansthan (JSS) is a unique Scheme crafted by the Government of India to accelerate the people's education focusing on the poor and also the illiterates. The JSS not only provides for skill development but also links literacy with vocational skill.

But it is a matter of regret that in my Lok Sabha constitutency, Jajpur of Odhisa, the district JSS headed by one so-called NGO, that is, Laxmi Narayan Seva Pratisthan is doing nothing in my district. The work of JSS is going only on paper. Not only myself but also even the MLAs, Chairmen of different Blocks, elected Zila Parishad members, Sarpanch and Samiti Members of different Gram Panchayats are not even aware of where this programme is going on in Jajpur district. There is no work, no accountability and no transparency in the JSS work. It is pertinent to mention here that since 2007-08, about Rs. 1.25 crore have been provided by the Government to the said NGO to carry out the scheme. But it is only in theory. In practice, there is no work.

I would, therefore, urge upon the Government to take appropriate action, to conduct a high level inquiry, to evaluate the implementation of the scheme and to unearth the corruption in this regard.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I am raising an urgent matter of public importance on which the Central Government should act early.

This is with regard to conducting examination of various Central Public Sector Undertakings and also of various Departments of Government for recruitment in both technical and non-technical posts. Now, for filling up these posts, the examinations are being conducted only in Hindi or English. Some of the Departments like the Railways are the exceptions. The candidates mostly hailing from the non-Hindi speaking areas are put to disadvantage.

Therefore, in order to ensure quality, parity and to put an end to discrimination, I would urge upon the Central Government to take suitable and immediate steps to permit candidates to write in these competitive examinations for recruitment to various posts in their regional language, that is, their mother tongue.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए धन्यवाद। भारत कृषि प्रधान देश है। देश में किसानों को वित्तीय सुविधा देना सरकारी बैंक बोझ समझने लग गए हैं। देश के किसानों को लगभग 55 वर्ष से अपने खेतों के विकास कार्य पर खर्च करने के लिए भूमि विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं। नाबार्ड जो कृषि की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी स्थापित किया गया है वह अपनी नीतियों के कारण कृषि कार्यों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करने के स्थान पर कई प्रकार की बाधाएं खड़ी कर रहा है। सरकारी घोषणाएं जो कि नाबार्ड द्वारा पूरी की जानी हैं उनको नाबार्ड द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इसमें कार्यरत कृषि विरोधी व्यवस्था एवं प्रबंध व्यवस्था कृषि विकास पर अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। नाबार्ड एक्ट 1981 की धारा 25(1)(व) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भूमि विकास बैंकों के समय से ऋण चुकाने वाले किसानों को फसली ऋण 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के बजट में क्रमशः 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई हैं जो आज तक इन भूमि विकास बैंकों को नहीं दी गई है। भूमि विकास बैंकों एवं सरकारी बैंकों को किसानों को ऋण कार्य में नाबार्ड एवं सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जो कृषि विकास के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर भूमि विकास बैंक सहकारी बैंकों से ज्यादा काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि नाबार्ड एवं सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनके अनुसार 4.50 प्रतिशत पर पुर्नवित्त उपलब्ध कराया जाए जिससे भूमि विकास बैंक जो 55 साल से कार्य कर रहा है, उनके उत्साह में और तेजी आए और कृषि क्षेत्र में वित्त के माध्यम से विकास की दिशा मिल सके।

श्री जगदीश सिंह राणा (सहारनपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र नगर निगम सहारनपुर में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। मैंने पत्रों के माध्यम से मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को कई बार स्थिति से अवगत कराया है लेकिन अभी तक मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु कोई भी कार्रवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। अभी पिछले सप्ताह संसदीय कार्य प्रणाली के 60 साल पूरा करने के बावजूद भी बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कई संसदीय क्षेत्र के क्षेत्रीय निवासी केन्द्रीय विद्यालय से वंचित है।

मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर में केन्द्रीय विद्यालय न होने के कारण शिक्षा के स्तर में लगातार कमी आ रही है। शिक्षा का लगातार अभाव होने के कारण क्षेत्र में गरीबी व बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है या नहीं हैं। क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की कोई योजना बनाई है या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है?

अतः मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता पर जनहीत में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त मेरे संसदीय क्षेत्र सहारनपुर मंडल में एक अतिमहत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे सहारनपुर मंडल में लगभग 30 साल से यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी अवगत कराया था। सहारनपुर मंडल में यूनिवर्सिटी न होने के कारण शिक्षा का स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है जिसके कारण क्षेत्र में बेरोजगारी एवं गरीबी लगातार बढ़ रही है और यूनिवर्सिटी न होने के कारण बाहर अलग-अलग प्रदेशों में शिक्षा ग्रहण रकने के लिए जाना पड़ता है। अतः मैं भारत सरकार से सहारनपुर मंडल के नगर निगम सहारनपुर में जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी बनावाये जाने की मांग करता हूं। मैं आपको अपने संसदीय क्षेत्र सहारनपुर मंडल के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराना चाहता हूं। सहारनपुर मंडल में लगभग तीस वर्षों से यूनिवर्सिटी की मांग हो रही है जिसके बारे में मैंने पूर्व

में भी अवगत करवाया था। सहारनपुर मंडल में यूनिवर्सिटी न होने के कारण वहां शिक्षा का स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Your Kendriya Vidyalaya matter will only go on record. Nothing else will go on record. Your second matter will not go on record. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): चेयरमैन साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसमें डिफरैंट सरकारें हैं। हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलैक्शन हुए एक साल हो गया है। उसके बाद ब्लॉक समिति, जिला परिषद के इलैक्शन होने थे जो नहीं हो पाए। उस कारण आज पंचायतों की कोई पावर नहीं है। There is no democracy. हम इतनी डींगें हांकते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमारी कोने में बैठी एक सरकार है, एक छोटी सी रियासत है। उसकी छोटी-छोटी पंचायतें, एरिया बहुत बड़ा है। आज उन पंचायतों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी तरह पार्टीसिपेशन नहीं है। वे किसी स्कूल को चैक नहीं कर सकतीं, पानी की दुर्दशा नहीं देख सकतीं, वहां की सड़कें नहीं देख सकतीं। मेरी जनाब से विनती है कि उन पंचायतों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाया जाए और उन्हें पावर दी जाए। देश की डैमोक्रेसी लागू की जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे बहुत ही लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शुक्रवार 18 मई, 2012 को राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में 30 पदों के लिए प्रादेशिक सेना की भर्ती थी जिसमें गोवा, दमन, दीव, नागर-हवेली, केरल, तमिलनाडु सहित राजस्थान के 16 जिलों से अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 30 पदों की भर्ती के लिए 12 हजार अभ्यर्थी कस्बे में पहुंचे जिनमें से 497 अभ्यर्थी सफल रहे। असफल अभ्यर्थियों ने कस्बे में जमकर उत्पात मचाया। वाहनों को रोका, पत्थर फेंके जिनसे वाहनों के शीशे टूट गए। रेल रोकी गई, रेल के इंजन को जलाने का प्रयास किया गया, पटरियां उखाड़ दी गईं जिससे हजारों यात्रियों को टिकट रद्द करवाने पड़े। पुलिस की एक बस को जलाया गया। दो अन्य वाहनों को भी जला दिया गया। हाईवे पर जाम लगा दिया गया। आसपास के खेतों में घुसकर फसलों का नुकसान किया। महिलाओं के

---

* Not recorded.

साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुईं। दुकानदारों के साथ मारपीट हुई जिससे कस्बे में एक तरह से अघोषित कर्फ्यू लग गया। लोग अपने घरों में दुबके रहने पर मजबूर हो गए और प्रशासन लाठी चार्ज, आंसू गैस आदि प्रयोग करने के बाद बेबस नजर आया। अंत में सेना ने कमान संभाली। हर बार सेना की भर्तियों के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है जिसके चलते 30 पदों के लिए 12 हजार लोग पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं कि सेना की भर्ती कस्बों में नहीं करवाने की मांग जन-प्रतिनिधि करते रहते हैं। मेरी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मांग है कि सेना की भर्ती का काम या तो सेना मुख्यालयों पर करवाया जाए या शहर, कस्बों से दूर इसका आयोजन किया जाए जिससे पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था हो और सेना को इसके लिए बजट मिले ताकि राज्य सरकारों को विशेष निर्देश जारी हो और ऐसी भगदड़ से बचा जाए।

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Sir, there are 1087 Central schools spread throughout the country with 10,58,450 students receiving quality education. Since inception in 1965, the Central schools have come to be known as centres of excellence in the field of secondary and senior secondary education promoting national integration and a sense of Indianness among the children while ensuring their total personality development and academic excellence. However, out of 1,087 Central schools, there are only 37 schools in Tamil Nadu. Even important ancient towns in Tamil Nadu do not have Central schools. Kumbakonam and Mayiladuthurai are historical towns in the Cauvery delta. There are many Central Government offices and institutions like Railways, Postal Services, CPCL, ONGC and Telecommunications services in these towns. At least one Central School should be opened in these two towns in the ensuing academic year. The Centre should take steps to open Central schools in other towns of Tamil Nadu where there are no Central schools.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हिली स्टेट्स की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे नैशनल हाईवेज जनरली तारकोल या जिसे हम बिट्टूमिन कहते हैं, उसके माध्यम से बनाये जाते हैं। परन्तु हम अभी जो नयी टेक्नोलॉजी प्रयोग में ला रहे हैं, उसमें आरसीसी के माध्यम से कंक्रीट की रोड्स बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे हिली एरियाज, स्नो बाउंड एरियाज हैं या जो शेडी एरियाज रह जाते हैं, उसमें बिट्टूमिन काम नहीं करता क्योंकि इसकी लाइफ तीन से पांच साल तक रहती है। परन्तु अगर हम यही रोड आरसीसी, सीमेंटेड कंक्रीट के बनायेंगे, तो उसकी लाइफ पन्द्रह से बीस साल तक रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिमला जिले में छराबड़ा से फागु तक दस किलोमीटर का पेच है, जिसे हम पायलट प्रोजैक्ट के रूप में बनायें, तो वहां से हमारा जितना सेब आता है, 90 परसेंट सेब लगभग उसी रोड से आता है। वह रोड काफी डेमेज्ड होती है, क्योंकि बरसात, सर्दी और जब बर्फ पड़ती है, तो वह रोड खराब हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वह रोड आरसीसी के माध्यम से बनाने के लिए केन्द्र सरकार विशेष बजट का प्रावधान करे, ताकि हम वहां उस रोड को ठीक तरह से बना सकें।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से चुनकर आता हूं। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के 34 जिलों में सबसे ज्यादा नक्सलवादी जिला माना जाता है। यह अति पिछड़ा जिला है। केन्द्र सरकार द्वारा एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत रोड्स और पुलों के प्रस्ताव राज्य सरकारों से मंगाये गये। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट जिले के सड़क और पुलों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये। इस बात को दो साल हो गये हैं, लेकिन आज तक इन मार्गों को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार चाहती है कि नक्सल प्रभावित जिलों में विकास होना चाहिए, तो फिर दो साल तक सड़क और पुल नहीं बनेंगे, तो वहां कैसे विकास होगा? इस तरह से वहां विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सड़क एवं परिवहन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एलडब्ल्यूई के अंतर्गत भेजे गए प्रस्ताव दो साल से लंबित पड़े हैं। उन्हें केन्द्र सरकार तत्काल स्वीकृत करे, ताकि वहां जल्दी से जल्दी काम हो सके।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow, that is, 22nd May, 2012.

19.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 22, 2012 /Jyaistha 1, 1934 (Saka).